खण्ड-120, अंक-1
बुधवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(4 मार्च, 1953 ई0)

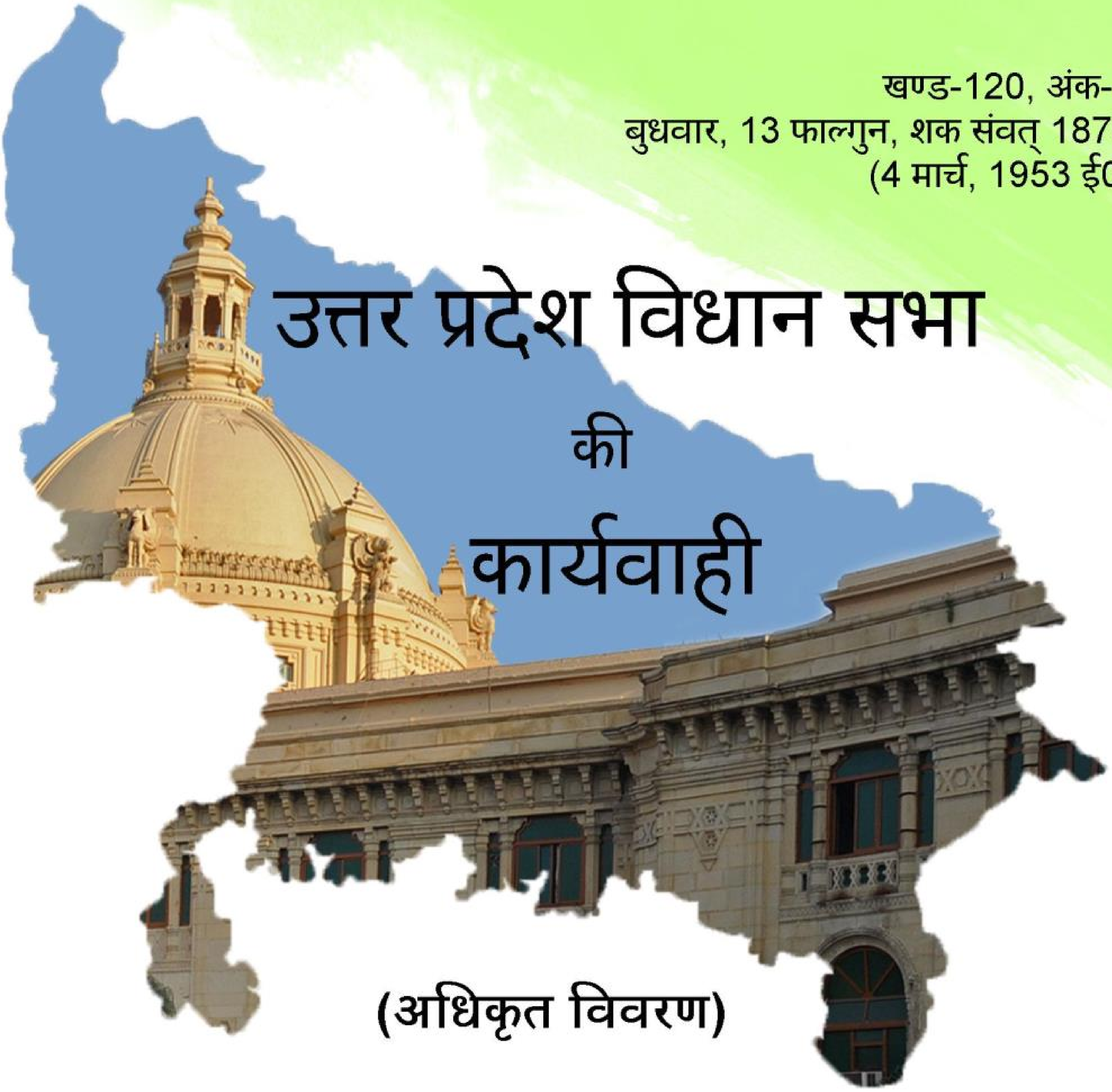

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

खंड १२०

बुधवार, ४ मार्च, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–१३
अनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (विरोधी दल द्वारा सदन त्याग से अनिर्णीत) ..	१३–२०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का धन्यवाद	२१
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा	२१
जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	२१
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बस्तियां (स्वीकृत)	२१–२२
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (विवाद जारी)	२२–६५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक मेज पर रक्खा गया) ..	६५
शनिवार, ७ मार्च, १९५३ को सदन की बैठक करने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया)	६५–६८
नत्थी	६९

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	७१–७४
प्रश्नोत्तर	७४–८०
४ मार्च, १९५३ को सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल द्वारा अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना के संबंध में विचारार्थ प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित नहीं किया गया)	८०–८१
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (विचार जारी) ..	८१–८३
१९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन ..	८३–८४
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (स्वीकृत) ..	८४–१०४
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम और संख्या) (स्वीकृत)	१०४–१३५

विषय	पृष्ठ-संख्या
शुक्रवार, ६ मार्च, १९५३	
उपस्थित सदस्यों की सूची	१३७–१४०
प्रश्नोत्तर	१४१–१४७
उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	१४७
उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४८
मार्शल स्टालिन के निधन पर शोकोद्गार	१४८–१५२
१९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन तथा सभा के कार्य-काल में वृद्धि	१५२–१५३
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७—शिक्षा (विचार जारी)	१५३–१६९
हज कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा	१६९
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७—शिक्षा (विचार जारी)	१७०–१९५
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (विचार जारी)	१९५–२०८
सभा का कार्य-काल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२०८
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (विचार जारी)	२०९–२१३
सभा का कार्य-काल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२१३
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	२१४–२२४
सोमवार, ९ मार्च, १९५३	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२२५–२२८
प्रश्नोत्तर	२२९–२४४
दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२४४
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२४४–२४५
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)	२४५–२७३

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	२७३–२९०
सदन की बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२९०–२९१
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) आज्ञा, १९५३ को मेज पर रखना	२९१
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स) विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया)	२९१
निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से ७ बजे सायंकाल तक सभा की बैठक करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	२९१–२९४
नत्थियां	२९५–३१२

मंगलवार, १० मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	३१३–३१६
प्रश्नोत्तर	३१७–३३२
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन	३३२–३३३
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	३३३–३४९
अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—रजिस्ट्री (स्वीकृत)	३४९–३५३
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	३५३–३७९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित पारित) ..	३७९–३८६
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३ (विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया—विवाद स्थगित) ..	३८६–३८७
डूबेकुई इंट्रेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९५३ के संबंध में सूचना ..	३८७
नत्थियां	३८८

बुधवार, ११ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	३८९–३९२
प्रश्नोत्तर	३९३–३९७
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	३९७–३९८
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन (स्वीकृत) ..	३९८–४२०
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५४-क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	४२०–४२२

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (स्वीकृत)	४२२–४५५
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक १९५३, (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	४५५–४८५
उत्तर प्रदेश इवैकुई इण्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	४८५
नत्थी	४८६–४८७

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	४८९–४९२
प्रश्नोत्तर	४९३–४९८
वित्तीय वर्ष १९५३५-४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन	४९८
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आयव्ययक में -अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	४९९–५१८
अनुदान ख्या ४३ले खा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय—६३-ख—सामूहिक योजनायें (स्वीकृत) ..	५१८–५४९
नत्थियां	५५०–५५२

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	५५३–५५६
प्रश्नोत्तर	५५७–५६७
श्री अध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १९५३ को दिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण—	५६७–५७१
उत्तर प्रदेश फ़ैमीन रिलीफ फ़ण्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	५७१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति का मेज पर रखा जाना	५७२
यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	५७२
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन	५७२–५७३
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २१— लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	५७३–६०२
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या५१—लेखा शीर्षक ८५-क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) .. .	६०२–६२२
नत्थियां	६२३–६२५

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मन्त्री परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री

श्री सैयद अली ज़हीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम०ए ल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उपमन्त्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी ०एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुज़फ्फ़र हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

मुख्य मंत्री के सभासचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए० ।

अन्न मंत्री के सभासचिव

१. श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०,

२. श्री बनारसी दास, एम० एल० ए० ।

उद्योग मंत्री के सभासचिव

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, एम० ए०, एम० एल० ए० ।

माल मंत्री कें सभासचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए० ।

शिक्षा मंत्री कें सभासचिव

डाक्टर साता राम, एम० एस-सी० विस, पी एच० डी०, एम० एल० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपूर (दक्षिण)
१८—इतिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट-
२४—उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९—किन्दर लाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४५—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री	..	बांस गांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५३—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशी राम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
५५—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)-गौड़ा (उत्तर)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	..	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व-गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगा प्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६२—गज्जू राम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण) झांसी-(पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांस गांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)--सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७३—गोपी नाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविंद वल्लभ पंत, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७६—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
७८—घासी राम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)।
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री		डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण—पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)।
८३—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८६—चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८८—चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजी लाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदा लाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर—पश्चिम)।
९२—छेदा लाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६—जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर) (पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण—पश्चिम)।
१०१—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन—टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगल किशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११३—टीका राम, श्री	..	संडीला बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्ला राम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचंद, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—तारा चन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिघौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
११८—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	..	औरैया भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री		नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्द शहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३९—देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री	..	मरियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री	..	आओं (पूर्व)-फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री	..	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण-पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	..	पवायां शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बोसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकरामशर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री		सोराव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरी राम, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६६—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवाँयां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर
१७६—फतेह सिंह श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
१७७—फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७८—फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर, (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३—बलबीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह,श्री	..	मुज़फ्फ़रनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज, (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१९२—बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०६—भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१४—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१५—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़-(उत्तर)
२२२—महाजन, श्री सी० बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेवप्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलाल गंज
२२७—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	..	विधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-
	..	इटावा (उत्तर)।
२३१—मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़ अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)।
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा-
२४३—मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	..	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री	..	उतरौला (मध्य)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)-बांसी (पश्चिम)।
२४९—मोहनलाल, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	ग़ाज़ीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पचिम)।
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	..	बाग़पत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र, शर्मा श्री	..	मरियाहू (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री	..	हांटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७१—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुन्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७८—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२८०—राम अनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८१—रामअवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८८—राम जी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना, (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया-(दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	..	चकिया चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामबचन यादव, श्री	..	फूलपूर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र 'विशारद', श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३२८—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३९—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम) कासगंज (दक्षिण)।
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेंद्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेंद्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—व्रज भूषण मिश्र, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज।
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर-(मध्य)
३५५—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर-(उत्तर)
३५६—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५९—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार पांडेय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)

सदस्यों का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७०—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)फ-तेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७४—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिवबचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगन चन्द्र, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८३—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्वव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८८—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९३—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९४—सत्यानन्द, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३९५—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०३—सुन्दर लाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)-फरीदपुर
४०४—सुरुजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर) हसनगंज
४११—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१२—हबीबुर्रहमान आजमी	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१३—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१४—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य पूर्व)
४१५—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१६—हरगोविन्द पंत, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१७—हरगोबिन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१८—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१९—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२०—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२१—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२२—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२३—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२४—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२५—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री	..	करछना (उत्तर) चैल (दक्षिण)
४२६—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२७—(रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)
४२८—(रिक्त)	..	कैसरगंज (उत्तर)
४२९—(रिक्त)	..	देवरिया (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
४३१—(रिक्त)	..	कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एलएल० बी०

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एलएल० बी०

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एलएल० बी०, डी० एल० एस-सी०

विशेषाधिकारी

श्री राम प्रकाश, बी० काम, एलएल० बी०

अधीक्षक

श्री देवकी नन्दन मित्तल, एम० ए०, एलएल० बी०

श्री भोलादत्त उपाध्याय

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०२)

अजीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयालु, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज़ श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुहजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रेल के वैगन न मिलने के कारण आलू के व्यापार में हानि

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि आलू जैसा नष्ट होने वाला माल रेल के वैगन न मिलने के कारण बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की मंडियों में खराब हो रहा है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—जी हां।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह वैगन न मिलने का कारण क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत—वैगन न मिलने का कारण केन्द्रीय सरकार ही बता सकती है। लेकिन संभवतः कारण यह है कि जो वैगंस उनके पास हैं अभी तक और चीजों के ले जाने में लगी हुई हैं। हमने जब भारत सरकार से यह प्रार्थना की तो उन्होंने आलू ले जाना हायर प्रायरिटी में इन्क्लूड कर लिया है और वैगंस अलाट कर दी हैं। उम्मीद है कि उनमें माल जाने भी लगा होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने दिनों के अन्दर वैगन मिलने लगेंगे?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने अभी निवेदन किया था कि भारत सरकार ने इसको हायर प्रायरिटी दे दी है और उन्होंने वैगंस भी अलाट कर दिये हैं और यह उम्मीद है कि वैगंस में अब तक माल जाने भी लगा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार मोटर ट्रांसपोर्ट के जरिये आलू को इधर उधर भेजने के बारे में विचार करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो जहां तक संभव है होता ही है।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि अभी तक रेलवे से वैगंस नहीं मिले हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—मेरा ख्याल है कि यह बात सही नहीं है।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आलू पैदा करने वाले किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह आलू बाहर भेजने का तुरन्त प्रबन्ध करे।

आयकर से प्राप्त भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आपत्ति

*३—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये आय कर का जो हिस्सा मिलने का फैसला हुआ है उसके विरुद्ध प्रदेशीय सरकार ने कोई आपत्ति केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं।

श्री लाल बहादुर सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह ऐसा कोई रिप्रिजेंटेशन करने का इरादा रखती है कि आयकर का बटवारा आबादी के अनुपात पर हो ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बात जो सवाल में कही गयी यह गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस कमीशन यू० पी० में आया था, उस वक्त रख दी गई थी कि बटवारा उसका आबादियों की बिना पर हो। चुनान्चे उन्होंने तकरीबन इसी बिना पर किया है। इसलिये इस सवाल के उठाने का कोई मौका नहीं है।

*४—श्री श्याम मनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) [अनुपस्थित]—[देखिये आगे पृष्ठ १२ पर]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यातायात की सुविधाओं के लिये रेलवे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार

*५—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को पंचवर्षीय योजना के संबंध में रेल द्वारा जरूरी माल प्रदेश के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कोई कठिनाई हो रही है ? और क्या उसने इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—कभी कभी होती है। जी हां।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कठिनाइयां कब से शुरू हुईं ?

श्री फूल सिंह—कठिनाइयाँ तो बहुत पुरानी हैं मगर कुछ चन्द महीनों से जब से यह तरीका बना मूवमेंट का तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं लेकिन रेलवे विभाग से बातचीत करके उसको सुलझाते रहते हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई विश्वास दिलाया है कि आइन्दा ऐसी कठिनाइयां नहीं होंगी ?

श्री फूल सिंह—जो खतोकिताबत अब तक हुई है उससे यह साफ मालूम होता है कि बहुत सारी जगह काफी सुधार हो गया है पर कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिनमें कुछ समय लगेगा। एक बड़ी दिक्कत यह है कि वैगनों की कमी बहुत काफी है और इस मौसम में बहुत सारी चीजों के लिये मूवमेंट की जरूरत पड़ जाती है, खासकर गन्ने के मूवमेंट की वजह से। तो उनका सुझाव यह है कि स्लैक सीजन भर तो मूवमेंट ज्यादा कर दें और बिजी सीजन में मूवमेंट कम कर देने से काम आसान हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार का आशय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह—आशय तो मैंने बता दिया है। मैंने कहा कि हर चीज के मूवमेंट की दिक्कत पड़ती है जैसे आलू है, कोयला है सीमेंट है और हर चीज में जैसे जैसे कठिनाई पड़ती है वैसे वैसे खतोकिताबत करते हैं कि रेलवे विभाग से हमदर्दी हासिल करके इन कठिनाइयों को दूर करें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि चीनी मिलों से चीनी का मूवमेंट नहीं हो पाता है जिससे चीनी नहीं बिकती है, गन्ना भी नहीं मिलों में पहुंच पाता है इसमें बहुत कठिनाई पड़ती है ?

श्री फूल सिंह——मिलों को चीनी के मूवमेंट के लिये वैगनों की दिक्कत है। गन्ने के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड़ के मूवमेंट में कुछ दिक्कत थी और वह प्रायरिटी की दिक्कत थी। अब उसके लिये लिखा जा रहा है कि उसको प्रायरिटी मिलनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय——क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि ऐसी कठिनाइयां केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं ?

श्री फूल सिंह——और प्रदेश के मुताल्लिक मैं नहीं कह सकता। शायद दूसरी जगह भी होंगी।

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में चिकित्सालय की कमी

*१——श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)——क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में तीस तीस मीलों तक कोई चिकित्सालय नहीं है ?

*२—— यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)——जहां तक सरकार को सूचना है ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार अपनी नीति के अनुसार कई चिकित्सालय इस क्षेत्र में खोल चुकी है और अधिक चिकित्सालय खोलने के लिये प्रयत्नशील हैं। स्थानीय बोर्ड के चिकित्सालय भी कई हैं। इन सबका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर)

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट——क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कौन कौन से अस्पताल इन इलाकों में सरकार निकट भविष्य में खोलने के लिये प्रयत्नशील है ?

श्री बनारसी दास——एक तो पिठौरागढ़ के अन्दर स्त्रियों का कायम किया गया है, एक दूसरा धारचूल्हे के अन्दर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के खोलने के लिये आदेश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जो संलग्न तालिका है उसमें ऐसी सूची दी है। उसमें सभी के अन्दर आधा व्यय सरकार बर्दाश्त करती है और आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट——क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चम्पावत और पिठौरागढ़ तहसीलों का क्षेत्रफल दो हजार मील है और जिन की तालिका दी गई है ?

श्री अध्यक्ष——आप यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। कृपा करके प्रश्न पूछिये।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट——क्या सरकार को विदित है कि जिन अस्पतालों का विवर संलग्न तालिका में है उनसे तीस तीस मील की ज्यादा दूरी पर अस्पताल हैं ?

श्री बनारसी दास——क्षेत्रफल जो आप ने बतलाया वह सही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं, आबादी कम है, इसलिये वहां पर अधिक अस्पताल कायम नहीं हो सके हैं और इसके संबंध में मैंने अभी निवेदन किया है कि एक अस्पताल खोलने का आदेश तो दिया ही जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि धारचूल्हा में अभी तक कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है ?

श्री बनारसी दास—अभी उसका आदेश दिया गया है और शीघ्र ही वहां पर खुलने वाली है।

*३—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बनारस के धानापुर थाने के सामने जिला बोर्ड का मवेशीखाना

*४—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बनारस के धानापुर थाने से लगा हुआ जिला बोर्ड का एक मवेशीखाना था जो सन् १९४२ की जनक्रान्ति के समय तात्कालिक सरकार द्वारा सुरक्षा का बहाना करके थाने के हाते में मिला लिया गया था ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—जिला बनारस के धानापुर थाना के सामने जिला बोर्ड का एक कच्चा मवेशीखाना लगभग १० वर्ष पहले था। यह ज्ञात नहीं कि कब और क्यों इसका अन्त हुआ। इस समय उक्त मवेशीखाना की चहारदीवारी आदि का कोई पता नहीं चलता। कुछ समय से उक्त भूमि पुलिस विभाग के अधिकार में है।

*५—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—यदि यह सही है, तो क्या सरकार जिला बोर्ड की उस भूमि को फिर से यथाशीघ्र वापस कर देने का विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर—उपरोक्त भूमि को जिला बोर्ड को वापस करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि यदि जिला बोर्ड, बनारस, उस भूमि को वापस करने की मांग करे तो सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री कृपाशंकर—यदि कोई प्रस्ताव आयेगा तो जरूर विचार किया जायगा।

मैनपुरी जिला बोर्ड में स्पेशल आडिट का परिणाम

*६—श्री महाराज सिंह—(जिला मैनपुरी) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला बोर्ड में जो स्पेशल आडिट करने का आदेश सरकार की ओर से हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री कृपा शंकर—जिला बोर्ड मैनपुरी का स्पेशल आडिट अभी-अभी समाप्त हुआ है। अभी सरकार को आडिट के परिणाम के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं हुई है। सम्बन्धित अधिकारियों को आडिट नोट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिला बोर्ड की स्पेशल आडिट रिपोर्ट की नकल उन्हें प्रश्न करने के बाद क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

श्री कृपाशंकर—जब रिपोर्ट आ जायगी तब इसपर प्रकाश डाला जा सकता है।

मैनपुरी जिले में ईंट पकाने के लिए कोयले का वितरण

*७—श्री महाराज सिंह—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में कितने वैगन कोयला ईंट पकाने के लिए दिया गया ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५०–५१ तथा ५२ में मैनपुरी जिले को क्रमशः ५२५ व ६६९ तथा १३३ वैगन कोयला ईंट पकाने के लिए दिया गया।

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में जो कोटा जिलों को दिया गया है उसमें क्रमशः अन्तर क्यों है ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५१ में चूंकि वैगन्स की कमी थी, इसलिये सन् १९५० के मुकाबले में सन् १९५१ में तमाम प्रान्त में कोटा काफी कम हो गया है और सन् १९५२ में, सन् १९५१ के मुकाबले में और भी कम हो गया है। इस वजह से यह अंतर है।

श्री महाराज सिंह—सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में जो कोटा दिया गया है, उसमें क्या वे वैगन्स भी सम्मिलित हैं, जो सरकारी कामों के लिये कोयला दिया जाता है ? यदि हां, तो क्रमशः उस कोटे का अनुपात क्या है ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५० के अन्दर जो जिलों को कोटा दिया गया है, उसमें सरकार के काम के लिये जो दिये हुये वैगन्स हैं वे सम्मिलित नहीं हैं।

*८—श्री महाराज सिंह—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कोयला जनता के लिए ईंट बनाने के लिए दिया जाता है वह प्रत्येक जिले में किस अनुपात से दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—कोयले का वितरण प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, किन्तु यदि किसी जिले में अधिक मांग होती है तो निर्धारित अनुपात से अधिक कोटा भी दिया जाता है।

*९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०–११—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १२ पर।]

*१३–१४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[वापस लिये गये।]

प्रयाग माघ मेले में कोढ़ी और रोगी भिखमंगों का प्रबन्ध

*१५—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान प्रयाग माघ मेले में कोढ़ी और रोगी भिखमंगों की ओर गया है और क्या वे भविष्य में

इस बात का कोई प्रबन्ध करने का विचार रखते हैं कि ये छूत की बीमारियां अन्य यात्रियों में न फैलें ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

माघ मेले में अधिकांशतः ऐसे भिखारी जिनके कोढ़ जल चुके हैं तथा जो संक्रामक नहीं हैं, आते हैं। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वास्तव में संक्रामक कोढ़ से पीड़ित भिखारियों को Laper asylum में पहुंचा देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के भिखारियों के लिये मेले के क्षेत्र में बाड़े बना दिये जाते हैं जिससे कि वे जनसाधारण से न मिल सकें।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह कोढ़ी ज्यादातर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उन मार्गों में जहां यात्री नहाने के लिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है। जैसा कि उत्तर दिया गया है कि इस बात की कोशिश की जाती है कि जिनको कंटीजियस बीमारी होती है उनको वहां असाइलम के अन्दर पहुंचा दिया जाता है। अधिकतर रोगी इस तरह के हैं कि जिनसे छूत नहीं फैलती है और उनको अलाहदा रख दिया जाता है।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के लिए भी ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छंटनी

*१६—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या खाद्य की नयी नीति के कारण खाद्य विभाग के कर्मचारियों में कमी की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी कम किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, १,८०६।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनमें से दो सौ रुपये मासिक से अधिक पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ?

श्री बनारसीदास—यदि आप इसकी नोटिस दें तो अलग-अलग सूची दी जा सकती है, लेकिन यह जितने भी कर्मचारी हैं केवल ६ उसमें गजटेड हैं बाकी सब १,८०६ के अन्दर नान-गजटेड हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव—यह जो रिडक्शन होता है उसमें किस आधार पर यह रिडक्शन किया जाता है ?

श्री बनारसीदास—उसके लिये तो जितने आदमियों को कम करना होता है पहले से ही सरकार के आदेशानुसार सूचियां जिले के अन्दर बना दी गई हैं और जो लोग सी श्रेणी के अन्दर रखे गये हैं उन्हें सबसे पहले निकाला गया है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग से आगामी जून तक कितने कर्मचारी निकाले जाने वाले हैं ?

श्री बनारसीदास—अभी जून तक कितने कर्मचारी निकाले जायंगे इसका ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह—जिलों से जो सूचियां बनी हुई हैं उसमें गलती होने पर या पक्षपात होने पर माननीय अन्न मंत्री उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बनारसीदास—अगर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जायगा तो उसमें सुधार किया जा सकता है।

*१७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[९ मार्च, १९५३ के लिये संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फैजाबाद जिले के पन्चायत सेक्रेटरियों का वेतन

*१८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि फैजाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तमान आर्थिक वर्ष को छोड़कर कुल कितना रुपया पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया है ?

श्री कृपाशंकर—फैजाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तमान आर्थिक वर्ष को छोड़ कर कुल ७६,७२० रु० पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अब तक यह वेतन क्यों नहीं दिया जा सका ?

श्री कृपाशंकर—अब तक वहां कुछ आर्थिक कठिनाई जिले में थी। वहां एक तहसील में अकाल पीड़ित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था और इस वास्ते यह दिक्कत पड़ी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार इस बक़ाया को सरकार के कोष से देने की कृपा करेगी ?

श्री कृपाशंकर—जी हां, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री रामदास रविदास—कब तक यह देने की कृपा की जायगी ?

श्री कृपाशंकर—बहुत शीघ्र।

जिला रामपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उदयराज मंडियों में टैक्स वसूली

१९—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को पता है कि जिला रामपुर में ग्राम पंचायत उदयराज मंडियों में गांव सभा द्वारा टैक्स न लगाये जाने पर भी टैक्स वसूली के लिये कुर्कियां हुई हैं ?

श्री कृपाशंकर—रामपुर जिले में उदयराज की मंडियों नामक एक ग्राम है, ग्राम पंचायत नहीं। यह ग्राम सभा मगरमऊ में सम्मिलित है। इसमें जो टैक्स लगाये गये थे वे नियमानुसार ही लगाये गये थे। टैक्स न देने वाले ५ व्यक्तियों से टैक्स वसूली, पंचायत के प्रधान की रिपोर्ट पर, कुर्कियों द्वारा की गई थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि जो कुर्की के वारंट निकाले गये उन पर कोई मोहर वगैरह नहीं थी ?

श्री कृपाशंकर—उस पर पंचायत अफसर की मुहर थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो रुपया पुलिस वाले वसूल करके ले गये उसकी रसीद अभी तक भी मांगने पर क्यों नहीं दी गई ?

श्री कृपाशंकर—इसकी सूचना नहीं है।

*२०—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या रामपुर के जिलाधीश के पास उक्त ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा जिसमें अदालती पंच भी शामिल हैं इस तरह की नाजायज वसूली किये जाने की शिकायत पहुंची है ?

श्री कृपाशंकर—उदयराज की मंडियों ग्राम के एक व्यक्ति ने नियमों के अनुसार की गई वसूली के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० रामपुर के पास भेजा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सरकार ने कहा कि एक व्यक्ति की अरजी थी तो क्या जो अरजी तारीख २९-८-५२ को वहां के लोगों ने दी, जिस पर देवी, कल्लू, गंगवाराम भोला आदि के दस्तखत थे वह जिला मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची ?

श्री कृपाशंकर—यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधान की रिपोर्ट की जांच कराई गई थी और उस पर जिलाधीश के आज्ञानुसार वारन्ट जारी होकर रुपया वसूल किया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यह जो इतने आदमियों के दस्तखत से अरजी जिले के मैजिस्ट्रेट के पास गई है क्या सरकार इस पर कुछ विचार करने की सोच रही है ?

श्री कृपाशंकर—विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो ज्यादती वहां के पुलिस वालों ने इस टैक्स के वसूल करने में की सरकार उस पर क्या करेगी ?

श्री कृपाशंकर—ज्यादतियों की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। यह है कि प्रधान ने बताया कि ५ आदमी रुपया नहीं वसूल होने दे रहे हैं तो उसकी जांच कराई गई और जिलाधीश की आज्ञा से वारन्ट जारी होकर रुपया कुर्की के जरिये से वसूल किया गया। इसके अलावा कोई और शिकायत सरकार के पास ज्यादती की नहीं है।

* * * * *

शिक्षा विभाग के निरीक्षकों के पुनर्संगठन की योजना

*४—श्री श्याम मनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सरकार के समय में जिला बोर्ड से संबंधित शिक्षा विभाग के निरीक्षकों का जो पुनर्संगठन हो रहा था और जिसके अनुसार जिला बोर्ड में जाने वाले शिक्षा सुपरिन्टेंडेंट का चुनाव भी हो गया था क्या वह योजना अब कार्यान्वित नहीं की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जनाने अस्पताल में लेडी डाक्टर की कमी

*१२—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के स्त्रियों के अस्पताल में लेडी डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री बनारसी दास—लेडी डाक्टरनी का २६ दिसम्बर को तबादला हो गया था। दूसरी डाक्टरनी के लिये आज्ञा हो गई है। शीघ्र पहुंच जायेगी।

नोट—तारांकित प्रश्न १२ श्री बाबूनन्दन जी ने पूछा।

श्री बाबूनन्दन—जब लेडी डाक्टर वहां नहीं पहुंची है तो स्त्रियों का इलाज कैसे हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—वहां के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज अपनी ड्यूटी के अलावा वहां पर भी कार्य देखते हैं।

अनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें वह इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि आज प्रातः काल पुलिस ने कुछ अध्यापकों के ऊपर बल प्रयोग किया जो सत्याग्रह कर रहे थे। तो इस प्रश्न के ऊपर यह तो सत्य है कि यह महत्व का है इसमें कोई शक की बात नहीं है। निश्चित भी है। तो मैं उनको इजाजत इस बात की देता हूं कि अनुमति के लिए थोड़े शब्दों में यह बतावें कि जिससे यह सदन निश्चित कर सके कि अनुमति दी जाय या नहीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की हड़ताल जिस मांग को लेकर हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मांग न्यायपूर्ण है। इसके पहले भी कई बार अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने निवेदन किया। इसके संबंध में जो मेरा कामरोको प्रस्ताव है वह इस प्रकार है—

"प्रदेश के स्थानीय बोर्डों के अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते आदि के संबंध में उत्तर प्रदेशीय अध्यापकों के शान्तिप्रिय अनशनकारियों के, विधान भवन के सामने से उनके कैम्प, सामान आदि को आज प्रातः पुलिस के बल प्रयोग द्वारा अनिश्चित स्थान में उठा ले जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर जिसके कारण सारे राज्य की शिक्षा मशीनरी के छिन्न-भिन्न हो जाने और ८५ हजार अध्यापकों द्वारा सत्याग्रह और हड़ताल हो जाने का अंदेशा है, वाद-विवाद करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि अध्यापकों की मांगें जिस प्रकार सरकार के सामने बराबर रक्खी जाती रही हैं.....

श्री अध्यक्ष—मांगों के संबंध में इसमें चर्चा नहीं है। प्रश्न इस समय यह है कि आज सवेरे दो तीन बजे पुलिस द्वारा बलप्रयोग इत्यादि जो बातें हुई हैं उन पर आपने प्रस्ताव रक्खा है।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापक अनशन कर रहे थे इस कारण अपनी कुछ आवश्यकताओं से बाधित होकर और वह आवश्यकतायें थीं कि उनकी जो दैनिक जीवन की चीजें हैं जो उनको आज तनख्वाह मिलती है उसमें पूरी नहीं हो पाती और उसी से प्रेरित होकर वे हड़ताल कर रहे थे और जिस तरह से भूख हड़ताल कर रहे थे उसके लिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि वह बिलकुल शांति ढंग था, उससे किसी विशेष विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका नहीं थी, किसी तरह से भी शांति के भंग होने की आशंका नहीं थी, बल्कि जो हमारी एक चिर परिचित परिपाटी रही है उसी के अनुसार शांति के साथ, सत्याग्रह का अस्त्र ग्रहण करके अहिंसात्मक तरीके से भूख हड़ताल के रास्ते पर चलकर अध्यापक अपनी मांग के लिये विधान भवन के सामने डटा हुआ था.....।

श्री अध्यक्ष—आप तो फिर मेरिट्स पर जाने लगे। आपको तो यह बताना है कि क्या हुआ? आपको इस प्रस्ताव के लिये सदन से अनुमति लेनी है। आप बहस में जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसी अत्याचार के बारे में वर्णन कर रहा हूं कि अध्यापकों पर किस तरह से पाशविक वृत्ति अख्तियार करके दमनचक्र चलाया गया है उसको कहते हुये मेरा मस्तक लज्जा से, शर्म से झुक जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि अपनी बात को यह मान कर कि अखबार किसी ने नहीं पढ़ा, कहें। अखबार पढ़ कर ये सब आये हैं यह मानकर जितनी बातें हैं आपने रखी हैं। आप को तो स्वयं सदन को केवल यह बताना है कि किस वजह से आप इस प्रस्ताव को लाये हैं।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र में आज सारी बातें निकली हैं। मैंने अपने काम-रोको प्रस्ताव में इस बात को व्यक्त कर दिया है कि अध्यापकों को पुलिस ने जबरदस्ती यहां से उठाया और उनके जो कैम्प आदि गड़े थे उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया और उनकी जगह दूसरे कैम्प लगा दिये गये। इसी के साथ-साथ जो अनशनकारी वहां पर अनशन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेकर, उन अनशनकारियों को कहां ले जाया गया, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया ये सारी बातें प्रकाश में नहीं आ सकीं। जिस बर्बर नीति को अख्तियार किया गया है उसके देखते हुये ऐसा अंदाजा होता है कि अनशनकारियों के साथ मानवोचित्त व्यवहार नहीं हुआ। जब मानवोचित व्यवहार न हो और अध्यापकों के साथ जुल्म ढाया जाये और उनको शांति के साथ अपनी मांगों को न रखने दिया जाये ऐसी हालत में, मैं यह समझता हूं कि इस सदन की मर्यादा का सवाल उत्पन्न हो जाता है। मैं आपके द्वारा इस सदन से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शांति के साथ विचार किया जाय। इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि टैक्निकलिटीज और रूल्स की बारीकियों में न जाकर सरकार अपनी मान मर्यादा के लिये और उस के द्वारा जो गलत काम हो रहे हैं उसकी सफाई के लिये जो काम-रोको प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है उसको विचार के लिये आने दें। जहां तक मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से परिचित हूं उसके आधार पर मैं आपसे इस बात की अपील कर सकता हूं और आपके द्वारा मंत्रीगण से निवेदन कर सकता हूं कि मेरी इस भावना के साथ वे भी हैं, किन्तु परिस्थिति विशेष के कारण वे हमारी भावनाओं के साथ होते हुये भी यहां दूसरा रुख अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सरकार उनकी भावनाओं का विचार करेगी और मैं समझता हूं कि सरकार इस काम-रोको प्रस्ताव के ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगायेगी। स्त्रियों के साथ, जो भूख हड़ताल में सम्मिलित हैं, जहां तक मेरे सुनने में आया है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज हम सब के सम्मान और मर्यादा का सवाल है। इतने बड़े राज्य में, जो देश में सबसे बड़ा प्रान्त हो. . . .।

श्री अध्यक्ष—आपने तो विस्तार में बहस शुरू कर दी। थोड़े शब्दों में बतला दें।

श्री राजनारायण—मैं इस सदन से थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम-रोको प्रस्ताव जो विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये रक्खा गया है मैं समझता हूं कि हमारे सामने गृह मंत्री जी विद्यमान हैं और अन्य माननीय मंत्रीगण विद्यमान हैं वह उसकी भावनाओं को समझते होंगे। अध्यापकों के साथ जुल्म देखकर उनकी भावनाओं को ठेस लगी होगी। इस गतिविधि को कहकर वह इस बात को पसन्द नहीं करते होंगे कि उनकी पुलिस बर्बर हो। जिस आजादी को हमने प्राप्त किया है उस आजादी को प्राप्त करने के लिये न मालूम कितनी कुर्बानियां हुईं,

कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गयीं, कितने नौजवान सूली पर झूल गये, कितनी ललनाओं के सिन्दूर पुछ गये तो उस आजादी में आज जब कि अध्यापकों के ऊपर इस तरह का दमनचक्र चलाया जाय तो यह हम लोगों के लिये लज्जा और शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से इस विषय पर विचार करने के लिये तनिक भी बाधा उपस्थित की जाती है तो हमारी जो भावना सरकार के प्रति आज तक है उसे हमें बदलना होगा। सरकार पुलिस के दमन चक्र को पसन्द नहीं करती, अपनी उस भावना को हमें बदलना होगा और हम समझेंगे कि सरकार कहती है कि पुलिस के द्वारा दमन चक्र हो। अन्यथा उस पर खुल कर विचार होना चाहिये और सरकार की ओर से कोई बाधा उपस्थित न होनी चाहिये। सरकार के इशारे पर पुलिस जो तांडव नृत्य कर रही है उस पर आज सदन उचित रूप से विचार करे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कविता की बात है, मैं कविता का जवाब कविता में देना उचित नहीं समझता हूं और न मैं कविता में जवाब दे ही सकता हूं। जिस घटना का जिक्र है और जहां तक मैं समझ सका हूं वह यह है कि उस वक्त विरोधी पक्ष के नेता मौजूद नहीं थे। इसलिये जो बर्बरता का व्यवहार हुआ या बल प्रयोग हुआ तो शायद यह बात उनकी कल्पना से निकली होगी और इसका उनके पास रत्ती भर भी प्रमाण नहीं है। मेरा ऐसा खयाल था कि पुलिस का बजट आने वाला है उसमें इन सब बातों पर शास्त्रार्थ हो सकता था। इस वक्त इस सवाल को उठाना अनुचित है। फिर भी यदि आप उचित समझें तो मैं थोड़े से फैक्ट्स पेश कर सकता हूं कि किस तरह से यह घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष—आपको यदि संकल्प पर एतराज हो तो थोड़े से फैक्टस दे दें तो अच्छा हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस जमीन पर सत्याग्रह हो रहा था वह जमीन वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्ज में थी और बगैर उनसे अनुमति लिये हुये यह सत्याग्रह उस जमीन पर किया गया था और प्रदर्शन किया गया था। यह ट्रेसपासर के कानून के अन्तर्गत आता है। इसलिये उन्होंने सूचना दी कि आप हमारी जमीन को खाली कर दें, और ऐसा कोई भी वह आदमी कर सकता है, जिसकी जमीन पर ट्रेसपास हुआ हो.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कितने दिन के अन्दर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फौरन यानी शब्द फोर्थविद कहा जायगा उनको काफी वक्त दिया गया लेकिन उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की। तब जैसा कि कानून में है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपील की कि हमारी जमीन पर ट्रेसपास हो रहा है इसलिये उसको कानून के अन्तर्गत खाली करा दें, लेकिन इसमें कोई सख्ती और बर्बता का सवाल पैदा नहीं हुआ इनके साथियों में से दो साहब तो ऐसे थे जो कमजोर मालूम पड़ते थे वह अपने साथियों के साथ किंग जार्ज हास्पिटल में पहुंचा दिये गये इनके अलावा जो और बाकी साथी थे जो तन्दुरुस्त मालूम पड़ते थे और जिन पर ट्रेसपास करने का मुकदमा चलाया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ न करके यह समझा गया कि होली के अवसर पर उन्होंने काफी तपस्या की है और वह अपने बाल बच्चों से मिलना चाहते होंगे, इसलिये उनको उनके घर पहुंचा दिया गया। वह अपने बाल बच्चों से मिल रहे होंगे या मिलने के करीब होंगे। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी गयी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्ताव का जो मूल आधार है वह यहां प्रस्तुत नहीं होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् यह नोटिस कब दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर कृपया खड़े हो जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् मैंने आपको नियम के अनुसार.....

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मैं इजाजत नहीं देता, नियम स्थगित करने के लिये जो प्रस्ताव आपने भेजा है मैं उसको पेश करने के लिये इजाजत नहीं देता हूं। शाम को इजाजत दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् इससे संबंधित है.....

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शाम को आप इजाजत दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—शाम को मैं इजाजत दे दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

कृपया जो अनुमति देने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

श्री राजनारायण—श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके संबंध में जो सदन में स्ट्रेंथ होती है उसके लिये हमने निवेदन किया और सरकार से भी निवेदन किया कि यह इतना बड़ा अहम सवाल है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिये। अगर आप इसको मान लें तो जो कैद लगी हुई है कि ३५, ३६ आदमी खड़े हों, वह कैद उठ जायगी और सदन इस पर विवाद कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—सदन में जो प्रस्ताव पेश होता है उसकी शक्ल प्रस्ताव की ही होगी न कि संशोधन की और यदि सदन उस प्रस्ताव को पास कर देगा तभी तो मुझे अधिकार होगा कि मैं इस ३६ की कैद को उठा दूं। अगर सदन की यह इच्छा है कि काम रोको प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी जाय तभी वह ऐसा नियम स्थगन का प्रस्ताव पास कर सकता है। इसलिये बजाय इसके कि इतना चक्कर खाकर सदन का इतना समय खर्च किया जाय, आपके साथ यदि सदन के इस ओर के कुछ लोग भी खड़े हो जायं तो वह काम रोको प्रस्ताव ही पेश हो सकेगा। इसलिये जो इजाजत दी जा सकती है वह इसी तरह से दी जा सकती है। मैं सदन का समय बजट अनुदानों के वोटिंग के रोज नियम के अनुसार दूसरे कामों में खर्च नहीं कर सकता हूं सिर्फ कामरोको प्रस्ताव ही पहले आ सकता है। अतः.....

श्री राजनारायण—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो पवित्र भावनायें हमें मालूम हुई उसके संबंध में मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह कैद हमारे ऊपर है। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि इतनी हमारी स्ट्रेंथ नहीं है कि ३६ आदमी खड़े हो जायं और इस पर विवाद हो मगर जब वह प्रस्ताव आ जाता है तो इस सदन को.....

श्री अध्यक्ष—आप काम रोको प्रस्ताव इसी तरह का ला सकते हैं, कल। अगर सदन की इच्छा हो कि वह नियम सस्पेंड किया जाय तो उसके लिये कौन सा रास्ता हो वह मैं बतला सकता हूं। लेकिन मैं इस वक्त कोई प्रस्ताव बजट के डिस्कशन के पहले लेने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं इसके पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं। जिस रोज वोटिंग होती है उस दिन और कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, इस तरह से आपके पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे प्रस्ताव के बारे में सदन का बहुमत नहीं होगा यह कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमान् यह तो आपको मालूम है कि जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है उतने हम खड़े नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् यदि आप इस तरह से अपने उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं कराना चाहते हैं तो फिर हमारे लिये यहां बैठना बेकार ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—मैं यह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आप कृपा करके बैठ जायं

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि हम आपके आदेश का तनिक भी उल्लंघन करें। मगर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने जिस उद्देश्य को यहां पर व्यक्त किया उसके लिये मैं पुनः आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को ले लिया जाय...

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं। मैं उसके लिये रास्ता बता सकता हूं। बाद में वह ला सकते हैं। लेकिन यह रास्ता मैं खोलने को तैयार नहीं हूं कि जिस रोज बजट पर वोटिंग हो उस रोज हर आदमी इस तरह के प्रस्ताव लाये। श्री राजनारायण जी, आप कृपा कर बैठ जायं।

(श्री राजनारायण के न बैठने पर)

तो आप नहीं बैठ रहे हैं इसलिये मुझे अब फोर्स का मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कृपा करके बैठें या सदन को छोड़ें 'विथिन ए सेकेंड'। (सचिव, विधान सभा से) आप कृपा करके पुलिस आफिसर से इनको बाहर ले जाने के लिये कह दें।

(श्री राजनारायण से) आप चाहते हैं कि इस सदन में भी उस तरह का तमाशा हो।

श्री राजनारायण—मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस बर्बरता के साथ अध्यापकों को निकाला जा रहा है उसके विचार करने के लिये जब मैं आपसे कहता हूं और हमारी भावना और आपकी भावना मिलती है।

श्री अध्यक्ष—मैं अब आर्डर दे चुका हूं।

एक सदस्य—प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप कृपा करके बैठें, प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव पर फिर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप लोगों ने हर तरह से देख लिया, जहां तक हो सकता था श्री राजनारायण जी के साथ रियायत बरती गयी मगर उसके बावजूद भी माननीय श्री राजनारायण जी जो अध्यक्ष की हिदायत है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब कोई माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर के लिये भी खड़ा होता है और उनसे कहा जाता है कि बैठें तब भी वह बैठने को तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में मुझे लाचारी से और बहुत दुःख के साथ यह तय करना पड़ता है कि उनको यह सदन छोड़ देना चाहिये और अगर सदन नहीं छोड़ते हैं तो जितनी कम से कम हो सकती है उतनी शक्ति के प्रयोग से उनको सदन के बाहर कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सख्ती जो आप चाहें कर लें मगर मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपकी भावनायें हमारे साथ हैं, इसलिये अपनी भावनाओं को साथ रखते हुये भी....(कोलाहल)

श्री अध्यक्ष---(पुनः राजनारायण जी से) आप कृपया बैठ जायं। नहीं तो सख्ती के लिये मैं मजबूर होऊंगा।

श्री राजनारायण---हम जहां तक सख्ती का ताल्लुक है उससे डरने वाले नहीं हैं अंग्रेजों की सख्ती हमने बर्दाश्त की है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके हाल से बाहर हो जायं।

श्री राजनारायण---मैं इस तरह से जाना नहीं चाहता।

(शेम शेम की आवाज)

(इस समय श्री अध्यक्ष की आज्ञा से सचिव, विधान सभा द्वारा बुलाये जाने पर पुलिस अधिकारी सदन में आये और श्री राजनारायण जी को बाहर चलने के लिये कहा जिस पर श्री राजनारायण जी *[सदन के फर्श पर बैठ गये और उन्होंने] ने कहा कि बल का प्रयोग कीजिये, अध्यक्ष ने बल प्रयोग से ले जाने को कहा है। मैं बल प्रयोग से ही जाऊंगा। पुलिस ने जैसे ही हाथ में हाथ श्री राजानारायण जी के डाला वैसे ही श्री नारायण दत्त जी ने कहा।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् आपकी बिना खुली आज्ञा दिये पुलिस माननीय राजनारायण जी पर जबरदस्ती कर रही है। मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने पुलिस को ऐसी आज्ञा दे दी है।

(पुलिस न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए श्री राजनारायण जी को सदन के बाहर ले गयी।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---(बिला अनुमति लिये खड़े होकर) श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी इजाजत आपको अवश्य देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप कृपया करके बैठ जाइ मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है।

(इस पर श्री राम नारायण त्रिपाठी खड़े ही रहे)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---बहुमत के बल पर हमारी सरकार किसी भी बात पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---क्या उसी प्रकार आप भी सदन को छोड़ देना चाहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं भी सदन छोड़ने के लिये मजबूर हूं क्योंकि सरकार अपने बहुमत के आधार पर हर बात का विरोध करना चाहती है।

(श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के भाषण जारी रखने पर)

श्री अध्यक्ष---(पुलिस आफिसर से) मैं आपको आज्ञा देना चाहता हूं कि श्री रामनारायण जी को भी शक्ति के साथ बाहर कर दें।

(शेम शेम की आवाजों के साथ श्री रामनारायण त्रिपाठी को भी पुलिस द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदन ने यह अच्छी तरह से देख लिया कि श्री राजनारायण जी ने कैसा व्यवहार किया और माननीय रामनारायण त्रिपाठी भी किसी प्रकार से आज्ञा मानने के लिये तैयार नहीं हुए और अन्त में बल का प्रयोग करना ही पड़ा। अतः इस चीज को मैं सिद्धान्ततः यहीं छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह

---

* [ ] रह गया था और बाद में पता चलने पर श्री अध्यक्ष की दिनांक २ अप्रैल १९५३ की आज्ञा से बढ़ाया गया।

सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है। अतः इन दोनों सदस्यों ने जो ज्यादती की है उसके बारे में मैं यह निश्चय करता हूं कि इस प्रश्न को सदन की विशेषाधिकार कमेटी के सामने भेजा जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—(बिना अनुमति लिये खड़े होकर) श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि जिस प्रकार से सरकार ने तमाम अध्यापकों को यहां से हटाया है और जिस प्रकार से सरकार का व्यवहार हमारे साथ रहा है वह अन्याय-पूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, जब यह गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है और आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं तो मेरे लिये इसके सिवा और कोई चारा नहीं है जो कि मैं इस समय कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को मान लें।

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा करके बैठ जायं, नहीं तो मुझे आपको सदन से बाहर हटाने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—खैर, वह तो आपका अधिकार है।

(श्री जगन्नाथ मल्ल के भाषण जारी रखने पर)

श्री अध्यक्ष—(पुलिस अधिकारी से) अगर ये नहीं मानते हैं तो आप कृपा करके इन्हें बाई फोर्स बाहर कर दें।

* [श्री जगन्नाथ मल्ल इस पर भी नहीं बैठे और पुलिस अधिकारी के श्री अध्यक्ष से पूछने पर कि क्या उनकी आज्ञा है कि उनको बाई फोर्स बाहर कर दिया जाय श्री अध्यक्ष ने "जी हां" कह कर स्वीकृति दी]

(श्री जगन्नाथ मल्ल को भी तब पुलिस द्वारा सदन के बाहर भिजवाया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—(बिना अनुमति के खड़े होकर) श्रीमान् जी, जगन्नाथ मल्ल जी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया है वैसा ही श्री राजनारायण व श्री रामनारायण त्रिपाठी के साथ नहीं हुआ इस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रोटेस्ट कर चुके तो अब आप कृपा करके शान्त हो जायं ताकि आगे की कार्यवाही हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं उस नियम को पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसके विरोध में बाहर जाना चाहता हूं।

(श्री सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—(बिना अनुमति के खड़े होकर) अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे विरोधी दल के नेता को तथा दूसरे माननीय सदस्यों को जिस तरह से पुलिस यहां से खींच कर ले गई है उसके पश्चात् हमारे दल का कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में अब रहना उचित नहीं समझेगा और मैं जानता हूं कि यह गवर्नमेंट बेहया है इसको जरा भी शर्म नहीं है..

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। आपको बोलने की इजाजत नहीं।

---

* [यह छोड़ दिया गया था क्योंकि बाहर वालों के कहे वाक्य नहीं लिखे जाते। परन्तु गेंदासिंह के विशेषाधिकार समिति के सामने प्रश्न उठाने के कारण श्री अध्यक्ष ने दिनांक ४ अप्रैल, १९५३ को पुनः विचार करके इसको कार्यवाही में रखना आवश्यक समझा।]

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट बोहया है इसलिये हम समझते हैं कि हमारा यहां रहना उचित नहीं है और इसलिये मैं अपने दल के माननीय सदस्यों को परामर्श देता हूं कि वे इस सदन से उठ कर बाहर चले जायं।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्य अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गये।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—(बिना अनुमति के खड़े होकर) मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि माननीय गृह मंत्री ने जो यहां पर अपना स्पष्टीकरण दिया उसमें यह कहा कि रात में दो या तीन बजे विरोधी दल का कोई आदमी यहां पर मौजूद नहीं था और यह कानूनी काम था कि अगर कोई आदमी किसी ऐसे स्थान में हो तो उसको अलग किया जाय। तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि यह कार्यवाही दिन में क्यों नहीं की गयी? रात में इस तरह से क्यों किया गया?.....

श्री अध्यक्ष—जो बातें हो चुकी हैं उनको ही आप दोहरा रहे हैं। अगर आप बहस में भाग लेते हैं तो जिस समय यहां पर अनुदान आता तो उस समय आपको उत्तर मिल जाता लेकिन आप लोग तो उस बजट की कार्यवाही को शुरू ही होने देना नहीं चाहते हैं।

श्री मलखान सिंह—यह मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष—आप लोग तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुले हुये हैं। कृपया आप अब बैठ जायं।

श्री मलखान सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही दिन में क्यों नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं तो आपको इसका उत्तर मिल जायगा।

श्री मलखान सिंह—माननीय गृह मंत्री यहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप किससे पूछना चाहते हैं? आप कृपा कर बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है।

श्री मलखान सिंह—जब सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है तो मैं इस बर्बरता का घोर विरोध करता हूं और अपने साथियों के साथ मैं भी वाकआउट करता हूं।

(इसके पश्चात् श्री मलखान सिंह भी सदन के बाहर चले गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का धन्यवाद

श्री अध्यक्ष—अब मैं इस माननीय सदन को यह सूचना देता हूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर इस सदन ने पास किया था और जिसको इस सदन के माननीय सदस्य और मैंने उनकी सेवा में उपस्थित किया था उसके उत्तर में माननीय राज्यपाल ने यह पत्र भेजा है जिसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपको आपके २६ फरवरी के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं और विधान सभा द्वारा १८ फरवरी को पारित किये गये उस संकल्प की सराहना करता हूं जिसको आपने तथा विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने स्वयं आकर मुझे देने की कृपा की।

आपका विश्वसनीय,

के० एम० मुन्शी।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ जनवरी, १९५३ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ६ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १३ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—जेल (लेखा शीर्षक) २८—जेल और बस्तियां के अन्तर्गत १,१२,३४,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, समय योंही बहुत सा चला जा चुका है और यह बात ग़लत होगी कि मैं किसी लम्बे भाषण द्वारा इस सदन का ज्यादा समय लूं। इसलिये इस समय मैं केवल तीन-चार बातों का थोड़े में जिक्र कर देना चाहता हूं जिससे सदन में वादविवाद में सुविधा हो। पिछले वक्त हमने तय किया था कि हम अपने यहां कुछ प्रयोग करेंगे। एक तो यह कि अब तक जो कैदियों की मुलाकात केवल महीने में एक बार होती थी वह रोज हुआ करे। पहले यह प्रयोग एक दो जगह से शुरू किया गया लेकिन अब हर जगह रोज मुलाकात कैदियों से हो सकती है। इसके अलावा हमारा इरादा है कि आगे डिस्ट्रिक्ट जेलों में भी यह प्रयोग शुरू किया जाय। इससे कैदियों को और उनके सम्बन्धियों को बहुत सुविधा होगी।

दूसरी चीज थी चन्द्रप्रभा डैम में खुले तरीक़े से क़ैदियों से काम लेना। उसके सम्बन्ध में भी मैं यहां ज्यादा फीगर वगैरह न दूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि अक्टूबर से जनवरी तक वहां औसतन १,५०५ कैदी बराबर काम करते रहे और उनकी मजदूरी का १ लाख ५७ हजार रुपया हासिल हुआ जिसमें से ८० हजार रुपये का खर्च गवर्नमेंट ने काट लिया और ७७ हजार कैदियों के पास रहा जिसके मानी यह हुये कि उनकी करीब ५० रुपये के औसत आमदनी हो गई और किसी किसी की तो १०० रुपये तक की आमदनी रही, जो कुछ उन्होंने खाया उसके अलावा यह आमदनी हुई। इसके अलावा उनको वहां बीड़ी-सिगरेट और दूसरी खानेपीने की चीजें इस्तेमाल करने का अख्तियार है। अगले वर्ष में ३ हजार कैदियों के नये ऐसे कैम्प्स खोलने के लिये दस हजार रुपया रखा गया है। हालांकि हमारा विश्वास है कि हम इन कैम्प्स को नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चला लेंगे और सम्भव है कि हमें इस दस हजार रुपये की जरूरत न पड़े।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तीसरी चीज अन्डर ट्रायल्स के बारे में है। अब तक वह लोग कुछ काम नहीं करते, उनका खाने का रेट भी दूसरा होता है और न उनके साथ काम करने की जबरदस्ती ही हो सकती है। अब उनको भी अगर वह उस पीरियड में काम करना चाहें तो काम करने का मौका दिया जायगा। अगर वह मुकदमे से छूट गये तो छूट गये और अगर सजा होगी तो उन्होंने जितना काम किया होगा उसी हिसाब से उनको अपनी सजा में रेमिशन मिल जायगा। अगर काफी अन्डर ट्रायल्स ने काम करना शुरू किया तो इस प्रयोग को भी और जिले में किया जायगा। इसके अलावा जो शार्ट टर्म कनविक्ट्स होते हैं जिनकी तीन चार महीने की सजा होती है उनको चन्द्रप्रभा डैम जैसे कामों में भेजने से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये उनके लिये हम सोच रहे हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जो छोटे काम होने वाले हैं उनको तीन चार जगह के शार्ट कनिवक्ट्स को जमा करके उनसे कराया जायगा। उससे कुछ खर्च घटेगा और उनका भी लाभ होगा। पहले हमीरपुर में यह काम आरम्भ किया जायगा और यदि सफलता हुई तो और जिलों में भी इस प्रयोग को आरम्भ किया जा सकेगा।

एक और प्रयोग औरतों के विषय में है। उनको वहां सिवा सीने और काढ़ने के और कोई काम नहीं मिलता और चूंकि ऐसे काम की कोई खपत नहीं है, इसलिये उससे कोई विशेष लाभ उनको नहीं होता। हम ऐसे तरीके निकालना चाहते हैं कि जिससे उनको ऐसी शिक्षा उन कामों की दी जाय जिससे समाज का फायदा हो। और जगह से लाकर लखनऊ में औरतों के लिये हम एक कन्सेन्ट्रेशन कैम्प जेल माडल जेल में बनाना चाहते हैं। हमारे यहां ट्रेंड नर्सेज और मिडवाइव्ज की बहुत कमी है। हिन्दू और मुसलमानों के यहां की लड़कियाँ अभी आमतौर से इस काम को करना पसन्द नहीं करती हैं यह हमारी बदकिस्मती है। सिर्फ कुछ ऐंग्लो इंडियन या क्रिश्चियन लड़कियां ही इस काम में आती हैं। यह ऐसा काम है और दूसरे ऐसे काम हैं जो थोड़ी पढ़ी लिखी औरतों को जरा सी शिक्षा देकर लिया जा सकता है। तो उनको हम मिडवाइव्ज और नर्सेज की शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वह उनके लिये और समाज के लिये उपयोगी साबित हो सकें। यही तीन चार प्रयोग थे जो हम अपने यहां करना चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—जेल-लेखा शीर्षक २८—जेल और बस्तियां के अन्तर्गत, १,१२,३४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—पुलिस (लेखा शीर्षक २९—पुलिस) के अन्तर्गत ७,१६,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस संबंध में मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सदस्य देखेंगे कि हम बराबर इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जहां तक हो सके पुलिस का खर्च कम किया जाय।

सन् १९५१—५२ में खर्च ७,३२,००,००० रुपया था और सन् १९५२—५३ में ७,११,४१,००० रुपया था। इस साल ७,१६,००,००० रु० ले रहे हैं। रकम कुछ ज्यादा

है पिछले साल से। उसकी एक वजह तो यह है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें १,०४,००० रु० की जो रकम है वह फायर सर्विस के नान रेकरिंग खर्च के लिये है, जिसमें मशीन और एक्विपमेंट शामिल है जो खराब हो गया था। उसका आर्डर तो बहुत पहले जा चुका था। इस साल वह आ रहा है।

दूसरी रकम, माघ मेला जो इस साल होने वाला है उसमें जो खर्चा होता है उसके लिये सवा दो लाख रुपये की रकम है। एक रकम और है जो एक जगह नहीं, कई जगह मिलेगी। वह दो, सवा दो लाख रुपये की रकम है। यह आर्म्ड पुलिस के लिये, जो हमारी पी० ए० सी० है उनके लिये खास किस्म के हथियार और अम्युनीशन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो रिक्मेंड हुये हैं, उनके लिये पी० ए० सी० की कांटिजेंसी में वह रकम रखी जाती है।

यह दो तीन खास बड़ी रकमें हैं जिन की वजह से ऐसा मालूम होता है कि रकम ज्यादा है, लेकिन हम बराबर उसके कम करने की कोशिश करते हैं। पुलिस एक ऐसी चीज है जिसकी रकम में कोई नई चीज होने वाली नहीं है। कोई नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट है नहीं। जो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं उनमें सच्चाई बहुत सी है। उन पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि सारी शिकायतें दूर हो गयीं। इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं और जो सुनता हूं उससे मालूम पड़ता है कि हमें थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है। बस इससे ज्यादा हमारा किसी किस्म का कोई दावा नहीं है।

एक चीज में बहुत से माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी, बल्कि दो चीजों में। एक बार सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में यह सवाल उठाया गया था, सामने से लोग चले गये हैं, लेकिन यह कहा गया था कि क्राइम फीगर्स तो कम हैं आपके, जो हमारी रिपोर्ट छपी है उसमें दिखलाया गया है कि क्राइम कम है, लेकिन यह कहा जाता है कि आपके जेल में कैदी बढ़ गये हैं। तो जब कोई यह कहता है कि क्राइम बढ़ गया या क्राइम घट गया तो जाहिर बात है कि उसके दिमाग में वही फीगर होती है जो रिपोर्ट में है यानी मर्डर, डकैती, बरगलरी, रायट वगैरह की, लेकिन जेल में इनके अलावा और भी किस्म के कैदी रहते हैं। जैसे टिकिटलेस ट्रैवलिंग होती है, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वह भी रहते हैं। उसकी भी देखभाल और रोकथाम की जाती है। इसके अलावा एक्साइज के आफेंस होते हैं वह तो पुलिस के अन्दर आते नहीं है, मामूली क्राइम में आते हैं। इन चीजों से जेल के फीगर्स ज्यादा मालूम होते हैं। लेकिन जहां तक सीरियस क्राइम का ताल्लुक है ऐसा मालूम होता है, लक्षण और टेंडेंसी इस बात की है कि वह कम है।

आगरे की बाबत कुछ जिक्र हुआ था, मान सिंह वगैरह की बाबत सवाल हुआ था। माननीय सदस्य को खबर भी है। वहां एक बड़ी दिक्कत पड़ती है। दो तीन स्टेट्स के फ्रांटियर्स वहां मिलते हैं। विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत और राजस्थान। कोई नानकोआपरेशन नहीं होता। लेकिन तीन राज्य होने के कारण पूरी शक्ति नहीं लग पाती। मिसाल के तौर पर अगर मध्य प्रदेश में डाकू खड़े हों और हमारी पुलिस देख रही हो, तो वह जाकर उन्हें पकड़ नहीं सकती सिवाय इसके कि रनिंग चेज हो। यूं अगर सामने खड़े भी देखें तो न तो पुलिस बन्दूक ही चला सकती है और न पकड़ ही सकती है। यह सब टेक्निकल दिक्कतें थीं। इन सब दिक्कतों को हल करने के लिये राजस्थान और मध्यभारत की सरकारों ने सम्मिलित कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया है और हमारे यहां के सीनियर डी० आई० जी०, श्री शांति प्रसाद उसके इंचार्ज हैं। और हम पूरी आशा कर रहे हैं कि बहुत थोड़े दिनों के अन्दर इन डाकुओं के गैंग्ज को पकड़ने में सफलता मिलेगी।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इस मांग को सदन स्वीकार करेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह पुलिस की मांग हमारे सामने पेश है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ जो दिक्कतें आज प्रान्त में उपस्थित हैं उन पर भी प्रकाश डालूंगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को बड़ी आशा थी कि एक अजीब नयी क्रांति होगी, देश में एक तब्दीली होगी। लेकिन पुलिस विभाग अपने पुराने तरीके पर, वहीं का वहीं है जहां पर कि अंग्रेजों के जमाने में था, जैसा कि सन् ४२ के जमाने में था। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि तीन प्रान्तों के बीच में मध्य भारत राज्य है, वहां की पुलिस जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से प्रत्येक जिले में ऐसा मालूम होता है कि पुलिस है ही नहीं। आये दिन कत्ल और डकैतियां होती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं पुलिस मंत्री का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि आज हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी के जमाने में सुन्दर शासन होना चाहिये। हमारी पुलिस सुधरी होनी चाहिए। मैं यह सुझाव देता हूं कि हमारे जो पुराने अधिकारी हैं उनकी सर्विसेज अगर २५ साल की हो गयी हो, तो उन्हें छुट्टी दे दी जाय और नयी पुलिस भर्ती की जाय। मिसाल के तौर पर मैं बतलाता हूं कि हर गवर्नमेंट जब बदली है तो उसने अपने आदमियों को रखा है। मिसाल के तौर पर जब लेबर गवर्नमेंट इंग्लैन्ड में शक्ति में आयी तो उसने यहां के वायसराय लार्ड वेवेल को वापस बुला लिया। हर गवर्नमेंट को अपने विश्वसनीय आदमियों को रखना चाहिये। आज हम देखते हैं कि हमारी मखौल होती है। हमारे अफसर दिल खोलकर हमसे कोआपरेट नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात हम पुलिस मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा हरिजन वर्ग जो पुलिस विभाग में है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मामूली मामूली बातों पर वह निकाल कर बाहर कर दिये जाते हैं। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहते हैं कि हाउस में हम इस पर जो कुछ बतायें उस पर अमल की जरूरत है, क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनता नाना प्रकार के प्रश्न हम से पूछती है कि यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ? मिनिस्टरों के पास हम लोग पहुंच पाते हैं। हम लोगों का जनता को जवाब देते-देते दम फूलता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस मशीनरी को जरा टाइट किया जाय जैसे कि हमारे माल मंत्री जी ने पटवारियों को ठीक किया उसी प्रकार अगर कोई भी सब-इन्सपेक्टर गलती करता है, तो उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाय और जिनका काम अच्छा है उनको इनामात दिये जायं। हमारे नये एस० पीज० और थानेदार हैं वह काम कर रहे हैं लेकिन इसके लिए सख्ती की जरूरत है। मुझे चन्द केसेज की नालेज है जो निकाल दिये गये। यह कहा गया कि हमारी तबियत ठीक नहीं है और वह अनुशासन में हटा दिये गये। अगर एक अफसर ने आमालनामा खराब कर दिया तो दूसरे ने ब्लाइंडली उसी को लिख दिया। यह नहीं कि जिस आदमी ने दो साल काम किया उसका ख्याल किया जाय। मैं पुलिस मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे हमारे नये कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही है वैसे ही आप नये कैडेट्स को सेलेक्ट कीजिये और नये लोग आयें। जो पुराने हैं जिन पर विश्वास नहीं है देश को, जनता को, उनको जैसे आपने पटवारियों का रेजिगनेशन ऐक्सेप्ट किया, मैं ईमानदारी और साहस के साथ बताना चाहता हूं कि इससे वहां बड़ी खुशी है, वैसे ही आप पुराने लोगों को हटा दें। हमारा बस्ती का जिला ट्रांस राप्ती एरिया है वह नैपाल के बार्डर पर पड़ता है। वहां रात दिन डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं और वहां के सब-इन्सपेक्टर आराम से अपने बंगले में बैठे रहते हैं। नैपाल राज्य में कम्युनिस्ट प्रचार होता है। वहां कम्युनिस्ट उपद्रव करते हैं। नैपाल के लोग कहते हैं कि यू० पी० की सरकार हमारी मदद करने के लिये तैयार है लेकिन न मालूम कब होगा। तो श्रीमान्, मैं इन शब्दों के साथ पुलिस मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह एक लेविल पर चलाया जाय, एक सुन्दर ढंग से चलाया जाय। मैं सरकार का ध्यान आज भी दिलाना चाहता हूं कि अध्यापक बेचारे जो यहां पर अनशन कर रहे थे, और गांधी जी के

सिद्धांतानुसार अनशन कर रहे थे, सत्याग्रह का जो मार्ग गांधी जी ने बतलाया था उसके अनुसार अनशन कर रहे थे, उनको रात को वहां से हटा दिया गया लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजें न होनी चाहिये कि जिनसे जनता हमारे विरुद्ध हो। आज हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे खिलाफ बड़ा प्रचार हो रहा है, जनता बहुत उबली हुई है और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को भी पब्लिक ओपीनियन को देखना चाहिये कि पब्लिक ओपीनियन क्या है। मैं इन शब्दों के साथ श्रीमन्, आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि सरकार पुलिस विभाग को एक सुन्दर ढंग से चलाते हुये, और कंट्रीज में पुलिस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वैसा डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में भी पुलिस विभाग में करने का कष्ट करे।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)——अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि शासन करने के लिये थोड़ी सी ऐसी सजा देने की आवश्यकता होती है जो जनता को सदैव प्रिय नहीं होती और यह भी जरूरी है कि ऐसे आदमियों पर जब उन चीजों का प्रयोग होता है, तो थोड़ी-सी कटुता भी होती है लेकिन देखना हमें यह है कि वह कटुता, वह अप्रिय बात जो है, वह उसी हद तक महदूद रहती है कि जहां तक वह लाजिमी है और वह लाजिमी हद के आगे तो नहीं बढ़ती। श्रीमान् पुलिस एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ ऐसे जरूरी मसले हैं जिनको कि मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने उन चीजों को जो मेरे ख्याल से बहुत अहम थीं इस सदन के सामने जनरल डिबेट में भी रखा था। मालूम ऐसा होता है कि माननीय गृह मंत्री जी की निगाह से वह चीजें छूट गईं और चूंकि कोई प्रकाश उन चीजों के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी की ओर से नहीं डाला गया, इसलिये मैं आज इस सदन के सामने उन्हें फिर दुहराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में जैसा कि तमाम हिन्दुस्तान में १०९ और ११० दफायें लागू हैं जिनसे जनता के फंडामेंटल राइट्स पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात होता है और मैं अपने जिले की बात जानता हूं। श्रीमान्, मैं अपने वहां पर रोज देखता हूं कि आदमी के चोरी और डकैती में जजी से या मैजिस्ट्रेट के यहां से बिलकुल निर्दोष छूट जाने के बाद भी पुलिस उनकी निगरानी शुरू कर देती है। इस तरह की बातें बड़ी ही ग़लत हैं और हम पुलिस के कर्मचारियों के हाथमें उन ताक़तों को देते हैं कि जिनसे जनता को वे आतंकित कर सकते हैं और करते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि ये आदमी बहुत जिम्मेदार नहीं होते हैं और जनता की तक़लीफ, जनता के ख़यालात और जनता के फंडामेंटल राइट्स को वे अपने administration के मामले में नीचे कर देते हैं। मैं आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से विशेषरूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इन चीजों पर खास विचार करें, क्योंकि जहां एक तरफ यह चीज जरूरी है कि हम चोरी का इंवेस्टिगेशन करायें, डकैती का इंवेस्टिगेशन करायें और मुजरिम आदमी को कानूनी ढंग से जो कुछ सजा अदालत से मिल सकती है, उसको दिलायें, वहां दूसरी तरफ़ हमारा यह भी पवित्र कर्तव्य है कि हम यह भी देखें कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा बेगुनाह आदमी सताये न जायं।

अब मैं क्राइम्स के मामले पर आता हूं। यह तो मैं नहीं जानता हूं कि क्राइम्स इस राज्य के अन्दर बढ़ गये हैं या घट गये हैं और इस संबंध में मैं कोई आंकड़े भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन क्राइम्स बहुत होते हैं इस बात को मैं कह सकता हूं और अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने यहां इसे देखता भी हूं। अक्सर यह भी देखता हूं कि रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। जब कोई फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो वह आमतौर पर नहीं लिखी जाती है। यह भी होता है कि रिपोर्ट लिखाने वाले को रिपोर्ट लिखाने के लिये कुछ रुपया देना पड़ता है और वह इतने गंदे तरीक़े से देना पड़ता है कि गांधी जी की तसवीर की तरफ़ इशारा कर के कहा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि पांच रुपये से कम मत लो। यहां तक हालत होती है। तो मैं इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी से विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर विशेष तरीके से ध्यान दें और कुछ ऐसे तरीक़े निकालें कि जिनसे आइन्दा यह सब चीजें न हों।

[श्री भगवान सहाय]

अब मैं पुलिस कर्मचारियों के एक मसले की तरफ आता हूं। यह थानेदार का सवाल है। एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि सिपाहियों को वर्दी मिलती है और पुलिस के ऊंचे ऊंचे कर्मचारियों को वर्दी मिलती है जिनको हजारों रुपये की तनख्वाह मिलती है, और सब इंस्पेक्टर, जिनको १२० रुपये से स्टार्ट मिलता है उसको कोई वर्दी नहीं मिलती है। यह मैं मानता हूं कि ऊंचे कर्मचारियों का वर्दी एलाउंस खत्म कर देने से कोई विशेषरूप से आर्थिक फायदा नहीं होगा लेकिन यह बड़ी अनजस्टीफाइड चीज है कि हम ऊंचे कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं दें और वे लोग जो मुश्किल से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं उनको वे सुविधाएं न दें। इसके साथ-साथ एक और बात यह है कि जाड़े के दिनों में जीन की वर्दी जो बहुत ठंडाती है, सब इंस्पेक्टर्स को चूंकि प्रेस्क्राइब्ड है पहननी पड़ती है। अगर वे अपने पास से ऊनी वर्दी बना लें तब भी चूंकि रेग्यूलेशन में नहीं है, इसलिये वे उसको नहीं पहन सकते हैं, गोकि होता यह है कि आमतौर पर पुलिस के थानेदार उसको पहनते हैं। मैं श्रीमन् आप के द्वारा इस बात की सिफारिश करूंगा कि या तो उनको कानूनी बना दिया जाय कि उनको ऊनी वर्दी अपने पास से बनवा कर पहनने का हक़ है और एक कपड़ा प्रेस्क्राइब कर दिया जाय, या फिर ठंडी वर्दी पहनने के लिये सख्ती की जाय।

गवर्नमेंट आफ इंडिया में रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत शिकायतें हुआ करती थीं और उन्होंने अपने यहां एक कम्प्लेंट डिपार्टमेंट खोल दिया है जिसके अन्दर हर कम्प्लेंट की जवाबदेही देनी पड़ती है। जो पार्लियामेंट के किसी मेम्बर के द्वारा की गई शिकायतें हैं उनका उत्तर तीसरे दिन अवश्य देना पड़ता है। दूसरी जो जनता के द्वारा शिकायतें हैं उनका उत्तर एक निर्धारित समय के अन्दर उनको देना पड़ता है। इस तरह का कोई सिस्टम हमारे पुलिस में नहीं है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से इस बात की भी प्रार्थना करूंगा कि इस ओर भी विचार करें और इन चीजों पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को लाने पर मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा आप का बहुत दिनों से साथ है। मैं आप को एक कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छा लेखक, त्यागी और अच्छा कांग्रेस का नेता समझता था लेकिन आप कुशल शासक भी हैं और इस तरह से बजट को भी ला सकते हैं, यह बात मुझे आज देखने को मिली। आप की शासन-कुशलता का मैं आज से कायल हुआ। मैं फर्ज नहीं अदा करता हूं बल्कि तहेदिल से आप को धन्यवाद देता हूं। जेल का और पुलिस का बजट सामने आ गया है, इसलिये दो मेरे कट मोशन्स हैं मैं दोनों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

एक सदस्य—जेल का बजट पास हो गया है।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरे दोस्तों ने बतलाया कि जेल का बजट तो पास हो गया है। खैर अब रह गया पुलिस का बजट। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, जहां तक पुलिस की शिकायतें की गयीं, प्वाइन्ट आउट किया और बतलाया, कोई ग़लत नहीं कहा, आज अपना राज्य है, अपनी गवर्नमेंट है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि आज भी हमारे यहां ऐसे आफिसर्स हैं जिनकी करतूत देख कर शर्म से सिर झुकता है। (ईट, ड्रिंक ऐन्ड बी मेरी) खाओ, पियो और मौज करो, उनका यही उद्देश्य है। उनमें सेवाभाव नहीं है। मगर जहां यह शिकायत है वहां हम यह भी क़बूल करते हैं कि पुलिस में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके त्याग, सूझ बूझ और जिनकी कुर्बानी से हमारा सिर ऊंचा होता है। ऐसे भी आफिसर्स हैं जो ग़रीबी के साथ जिन्दगी बसर करते हैं मगर वह रिश्वत नहीं लेते हैं। परेशानियां हैं मगर उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वह रिश्वत लेते हैं। मैं जानता हूं कि यहीं आप के असेम्बली आफिस के सामने की बात है, एक दूर का आदमी यहां परेशानी में आया, वह बरखास्त हो गया था। परेशानी में कोई सुनने वाला नहीं था। एक पुलिस आफिसर ने कहा, ठहरो मेरे साथ, जो कुछ मैं खाता हूं उसे

खाना और जहां मैं रहता हूं वहां रहना, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी, ऐसे भी उदार हृदय लोग इस पुलिस के अन्दर मौजूद हैं। हुजूर वाला, हम भूल नहीं सकते, जिस समय हमारा सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था, जहां कुछ पुलिस आफिसरों ने सख्ती की है वहां उन्होंने हेल्प भी की है। एक थानेदार से मैंने कहा कि कांग्रेस के लिये कुछ पैसे दो। उन्होंने कहा कि हुक्म दीजिये उतना दूं। मैंने कहा इतना दो, उन्होंने कहा कि मैं इसका दूना दूंगा। मैंने कहा कि तुम ज्यादा कह रहे हो इतना नहीं दे पावोगे किन्तु उन्होंने बराबर हेल्प भी की थी। हम इसे भूल नहीं सकते हैं। हुजूरवाला मैं अर्ज करूं कि आर्थिक कठिनाई बड़ी बुरी चीज होती है। श्री भीष्म पितामह जी ने फरमाया था (संस्कृत में श्लोक है "अर्थस्य पुरुषो दासःदासस्त्वर्थो न कश्चनः" इति सत्यं महाराज बद्धो स्म्यर्थेन कौरवैः)" अर्थ का दास पुरुष होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता है। यह सत्य है कि मुझे अर्थ से कौरवों ने बांध दिया है इसलिये मैं मजबूर हूं। इसलिये मैं उधर से लड़ूंगा मगर बृहन्नला के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा, यह बतलाकर उन्होंने अपनी मौत खुद करवा ली। उसी प्रकार जहां पुलिस के जवान हमारे खिलाफ काम करते थे वहां उनकी हमदर्दी हमारी तरफ रहती थी। इसलिये जब उनकी शिकायतें कीजिये तो दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी कीजिए।

मैं अर्ज करता हूं कि पुलिस पर कितना खर्चा होता है, जरा इस पर भी ध्यान दें। रूस में तीस आदमियों पर एक पुलिस आफिसर रहता है, लन्दन में ४१९ पर एक आदमी रहता है और हमारे सूबे में ६९३ पर एक आदमी रहता है। इंगलैन्ड में पुलिस के जवान पर बीस रुपया खर्च होता है मगर हमारे देश में बंगाल में दो रुपया कुछ पैसे, बम्बई में तीन रुपये कुछ कुछ पैसे, पंजाब में दो रुपये कुछ पैसे और हमारे यू० पी० में एक रुपया, सबसे कम पैसा यहां खर्च होता है। इस मुश्किलात को भी हमें देखना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि जो अफ़सरान डाकुओं को पकड़ने में मारे गये हों, उनके बच्चों को फ़ौरन् पेंशन मिलनी चाहिये और उनके लड़कों को फौरन् छात्र-वृत्ति दे कर पढ़ने का मौक़ा दिया जाय ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। अगर रिटायर हुये सरकारी अफ़सरों से आप काम लेना चाहें तो आपको आनरेरी सब-इंसपेक्टर भी मिल सकते हैं। अगर आनरेरी मैजिस्ट्रेट होकर अच्छा काम कर सकते हैं तो आनरेरी पुलिस अफसर भी अच्छा काम कर सकते हैं। कालेजों में पुलिस साइंस भी पढ़ानी चाहिये ताकि जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हों उन्हें पहले से ही उसका कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक तो पुलिसवालों को चोर, डाकुओं और बदमाशों को पकड़ने का ही काम था परन्तु अब प्रोपैगैंडिस्ट को भी पकड़ना है। वे वक्ता होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे ही आदमी हैं, तुम्हारी तनख्वाह के लिये यहां लड़ते हैं और तुम हम ही को पकड़ते हो। इसलिये पुलिस के आदमियों को बौद्धिक शिक्षण भी दिया जाय। साथ ही मैं अर्ज करता हूं कि अगर गिरफ्तार करने के बाद विरोधी राजनीतिज्ञों को सही बातें बताई जायं तो आज का विरोधी कल मित्र बन सकता है, उत्तरी कोरिया के गिरफ्तार हुये क़ैदी यदि अपनी राय बदल सकते हैं तो यहां के भी राजनीतिक क़ैदी को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा रास्ता ठीक है। अतः एक नौजवान को ठीक रास्ते पर लाना मुश्किल नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह विभाग आज ऐसे कुशल गृह मंत्री के हाथों में है जिनमें इनीशियेटिव और ओरजीनैलिटी (Originality) है। और थोड़े ही समय से उनके हाथों में पुलिस विभाग आया है और हमें आशा है कि पुलिस विभाग की खराबियां जल्दी दूर करके पुलिस का ऐसा निर्माण कर देंगे कि पुलिस वास्तव में हमारे प्रदेश की एक सेवा करने वाली पुलिस कहलायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे २ या ३ बातों की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है। बावजूद बहुत से प्रयत्न करने पर भी, माननीय गृह मंत्री के आश्वासन दिलाने पर भी, आई० जी० और डी० आई० जी० के परिश्रम के बावजूद भी, रिपोर्टों का ठीक तरह से रेकार्डिंग नहीं

[श्री नेकराम शर्मा]

होता और गांवों के लोग जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वे क़तई नहीं लिखी जातीं। यदि लिखी भी कोई जाती हैं तो मिनीमाइज आफ क्राइम कर के लिखी जाती है। मेरे इलाक़े में अभी थोड़े दिन हुये कई डकैती पड़ीं। उनमें बन्दूकें चलीं और आदमी मारे गये। उन्हें चोरी लिखाया गया। इस तरह के और भी उदाहरण मैं गृह मंत्री जी के नोटिस में ला चुका हूं। कभी डकैतियों का रेकार्ड ४५८ में भी होता है। क्राइम्स को छिपा कर सरकार के पास जो रिपोर्ट आती है उसमें यह दिखलाया जाता है कि क्राइम्स की संख्या घट रही है। अगर आप देहातों में दौरा करें और लोगों से मिलें तो उनसे पता चलेगा कि उनकी नज़रों में क्राइम्स बढ़ता नज़र आता है। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया था कि वह संख्या घटती हुई तब मानेंगे जब कि वहां की जनता यह कहे कि क्राइम्स घट रहे हैं। आज जनता की आवाज है कि क्राइम्स बढ़ता जा रहा है और पुलिस का रवैया है कि वह क्राइम्स को छिपाती ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करती है। हमारे गृह मंत्री का नाम जब बदनाम होता है तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि वास्तव में ये जो पुलिस कर्मचारी हैं, सब नहीं, बहुत से जो तोड़ कर भी काम करते हैं, डाकुओं के मुठभेड़ में मारे जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सरकार को बदनाम करने के लिये इस तरह की रिपोर्ट फैलाते हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी कंसीलमेंट करने की है और हम मजबूर हैं। अगर हम सच्ची रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम सबकी तहक़ीकात कर सकें। पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसमें सजेस्ट किया गया था कि इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर्स अलग होने चाहिये। यदि आप यह चाहें कि क्राइम्स का अच्छी तरह से इन्वेस्टीगेशन हो सके तो जरूरत इस बात की है कि हर थाने में इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर्स हों और वे तहकीकात करके आपके सामने सच्चे वाक़यात रख सकें।

अभी एक सप्ताह मनाया गया था। इसमें आदेश निकाला गया था कि पुलिस विभाग के और अन्य विभागों के भी सारे कर्मचारी इसमें मदद दें। लेकिन कम से कम मेरी कांस्टीटुयेंसी में पुलिस ने कोई भी सहयोग नहीं दिया बल्कि यही नहीं उन्होंने सहयोग देने से इन्कार भी किया। यह जो मनोवृत्ति है वह जनसेवक पुलिस की नहीं है। इस बात की ओर मुझे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

एक बात की ओर मैं और अपने गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जब कभी कत्ल होते थे तो उस जगह पर पुलिस मौके पर जाती थी और जुर्म का पता लगाया जाता था लेकिन मेरी कांस्टीटुयेंसी में क़त्ल हुये। पुलिस मौक़े पर नहीं गई, गई तो एक दिन के लिये, वहां से लौट आई और जिस तरह चाहा उस तरह की रिपोर्ट आ कर लिख दी। जब इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर जाते थे तो रोजनामचे में रवानगी लिखी जाती थी और जब वह आये तहकीकात करके तो उसकी आमद और तहकीक़ात की रिपोर्ट थाने में लिखी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि रोजनामचा बिना लिखे हुये गये और वहां जा कर डकैती की रिपोर्ट हुई तो चोरी में लिख ली और उसके बाद थाने में आकर रोजनामचा भर दिया मेरे ही जिले में सिकन्दराराऊ थाने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा एक रोजनामचा पकड़ा जिसमें थानेदार साहब की रवानगी नहीं थी और खाली था। तो मंत्री जी किसी दिन किसी गांव में बिना इत्तिला दिये हुये चले जायं तो उन्हें मालूम पड़ जायगा कि आज स्थिति क्या है। किस तरह से क्राइम्स को छिपाया जा रहा है और किस तरह से वे बढ़ रहे हैं। डाका पड़ा। डाकुओं को पकड़ा गया लेकिन वहां उसको डकैती में न दर्ज कर के ४५८ में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। अभी थाना हसायन, नगरिया गांव में डाका पड़ा और पता चला है कि उसे चोरी में लिखा गया जब पूछा गया तो पता चला कि गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि क्राइम्स को मिनिमाइज करके दिखाओ। अगर माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और यह स्पष्ट घोषणा करें कि सरकार की ऐसी नीति नहीं है और सरकार क्राइम्स को छिपाना नहीं चाहती और जो सब-इंस्पेक्टर या इन्सपेक्टर इस तरह से सरकार को बदनाम करने पर तुला हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। आज भी जनता इस बात के लिये उत्सुक है कि वह इस बात को सुने कि क्राइम्स को छिपाया नहीं जाता तो मैं चाहता था कि गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसके बाद एक बात और है कि जब हम कोई शिकायतें करते हैं तो उसकी इन्क्वायरी के लिये सरकार उनको उसी कर्मचारी के पास भेजती है। मान लीजिये कि हमने शिकायत की कि हमारे यहां एक डकैती पड़ी तो आप ने उसको आई० जी० को, आई० जी० ने डी० आई० जी० को, वहां से एस० पी० और वहां से इंस्पेक्टर के यहां पहुंची, उन्हीं के पास पहुंची जिनके विभाग के सबार्डिनेट के खिलाफ इस प्रकार की एन्क्वायरी करना है तो उस एन्क्वायरी से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा हो, कि एक कम्प्लेन्ट डिपार्टमेंट हो जिसमें यह तमाम एन्क्वायरी के मामले डील किये जायं। जैसे पार्लियामेंट में मेम्बरों के लिये है कि अगर कोई मेम्बर किसी चीज की शिकायत करता है तो तीन दिन के अन्दर जरूर जवाब पहुंच जाना चाहिये और ऐसी तेजी के साथ सही एन्क्वायरी होना चाहिये। इसी तरह से यहां भी जैसे आप के फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उसी तरह से गांवों में भी कोई ऐसी शक्ल हो जिससे देहातों में मामलों की करेक्ट रिपोर्ट आपको हो जाया करे। देहातों में आजकल पुलिस ने गश्त बिल्कुल स्टाप कर दिया है। क्राइम्स हुआ तो चले गये वर्ना झूठी डायरी भरते रहे। अगर डकैती हुई तो जिसके यहां हुई तो उसको बुलाकर लिख दिया कि चोरी हुई। इस प्रकार की आदत को सरकार को रोकना चाहिये। डरा धमका कर जुर्मों को मिनीमाइज करना ठीक नहीं। यदि यह जारी रहा तो राज्य के लिये खतरनाक साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की है कि आम पुलिस में वह जागृति पैदा करें, वह भावना पैदा करें कि पुलिस आदर्श बन सके। वास्तव में आज पुलिस के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिये हमारा सिर ऊंचा उठ जाता है और कुछ लोग पुलिस में ऐसे हैं जो पुलिस विभाग और सरकार को बदनाम किये हुये हैं। अगर उनकी रोकथाम कर दी जाय तो बहुत जल्दी ही जो असंतुष्टता फैली हुई है वह खत्म हो जाय क्योंकि कंसीलमेंट करने से जुर्म घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाय तो दशा सुधर जायगी। पुलिस की खराबियां दूर हो जायंगी कुछ हद तक। इतना कह कर मैं गृहमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपकी कृपा से पहला दिन है जो मुझे हाउस में बोलने का मौका मिला है। मैं दिल की बात अपने दिल में ही लेकर हमेशा चला जाता रहा हूं। इस वास्ते मैं आपको धन्यवाद देते हुये और बजट के लिये माननीय गृहमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं उन बातों पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो मेरे विचार में आवश्यक हैं।

आज हम देखते हैं कि पुलिस के बजट में बढ़ती होती चली जा रही है लेकिन सुधार न भीतर ही होता है न बाहर होता है। पुलिस के कर्मचारी असंतुष्ट हैं और पब्लिक भी असंतुष्ट है। इसलिये ऐसा प्रबंध किया जाय जिससे कि उनको अपने बाल-बच्चों के वास्ते जिससे उन्हें नाजायज आमदनी की कार्यवाही करना पड़ती है, वह रुक जाय और पब्लिक भी सुखी हो जाय। मेरे क्षेत्र में तो ऐसा मालूम होता है कि पुलिस का हो राज्य है और लोगों के मुंह से यही निकलता है कि उससे तो पहला राज्य ही अच्छा था। हमारे यहां इस तरह के हाल-चाल हैं कि चाहे कितनी ही डकैती और चोरियां होती हों मगर वह कागजात के अन्दर बराय नाम आती हैं। पारसाल मैंने कुछ सवाल किये थे जिनमें कम तादाद में जुर्म दर्ज किये गये हैं जिन मामलों में आदमी मर जाता है वही केस डाकेजनी में दर्ज किये जाते हैं वर्ना कोई केस डाके में दर्ज नहीं किये जाते हैं। चोरी के बारे में तो कहना ही नहीं है, दुर्भाग्य से मेरे जिले में कुछ ऐसी चोरी हुई हैं कि जिससे कलेक्टर साहब और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट साहब भी नहीं बचे हैं। इससे पब्लिक में कुछ संतोष अवश्य हुआ है कि आफिसर भी चोरी से नहीं बचते। अभी हाल का जिक्र है कि दो चोरियां मेरे जिले में कस्बे करवी में हुई हैं वहां पर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस आफिसर भी रहते हैं। बीच बाजार में से चोर तिजोरी को उठा ले गये लेकिन

[श्री जगपति सिंह]

कुछ पता नहीं हो सका और एक आदमी बीच बाजार में कत्ल कर दिया गया, उसका कुछ पता तक नहीं चल सका। इस तरह की आये दिन चोरी, डकैती और कत्ल वगैरा होते रहते हैं जिनसे पब्लिक को बड़ा दुख होता है और कुछ सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कहने के लिये कहा जाता है कि हमारा राज्य है। ऐसा मालूम होता है कि अभी भी हमारे यहां अंग्रेजी राज्य बना हुआ है। पब्लिक ऐसा समझती है कि अभी हमारे राज्य की वही हालत बनी हुई है जो अंग्रेजों के जमाने में थी बल्कि उससे भी बदतर हालत हो गई है।

हमारे संदेश नहीं सुने जाते हैं। बड़े-बड़े अफसरों पर ही हमारे मिनिस्टर साहबान निर्भर करते हैं और हमारी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हमारी बात पर ध्यान दिया जाय तो पब्लिक को संतोष हो और उसको किसी तरह का भय न रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है इसलिये पब्लिक के दुखों का अंत नहीं होता है और धीरे-धीरे यह रफ्तार कम होने के बजाय उल्टे बढ़ती जा रही है और उसमें कोई सुधार नहीं होता है। बड़े अफसर लोग जो दौरे में जाते हैं तो छोटे छोटे अफसरों के मेहमान बनते हैं और मजबूर होकर उन छोटे अफसरों को उनकी मेहमानदारी करनी पड़ती है, अगर न करे तो उनका रिकार्ड खराब हो जाता है। फिर उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि उससे वह अपने बाल-बच्चों की परवरिश करें, शान से रहें, उनको पढ़ावें लिखावें और अपनी माली हालत को सुधारें। इसलिये उनको मजबूर होकर रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है और वही बात होती है जैसे कि एक वैद्य का किस्सा मशहूर है। एक मरीज है वह वैद्य जी के पास नुस्खा लिखाने के लिये जाता है। वैद्य जी उसको दो रुपये के नुस्खे को दस रुपये का नुस्खा लिख देते हैं और वह बाद में पंसारी से आधा आधा कर लेते हैं। इसी तरह से पुलिस का भी चोरों के साथ गठबंधन हो जाता है और पुलिस पब्लिक की बात नहीं सुनती जिससे परेशानी में पड़ जाती है। अगर वह अपनी आवाज उठाती है तो उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती है।

माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि हम लोग चुने हुये आदमी हैं और वहां के दुखों को लेकर यहां आते हैं और लोग हमसे आशा रखते हैं और जब हम वहां जाते हैं तो वह लोग हमसे पूछते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सही बात पर ध्यान दिया जाय। अब सही बात पर अमल नहीं होता है, तो इससे इंतजाम संतोषजनक नहीं होता है और लोगों के दुख बजाय घटने के बढ़ते जाते हैं। बजट बढ़ जाता है तो उससे टैक्स भी बढ़ जाते हैं और जनता के आराम में घटती होती जा रही है। देहात का क्या हाल होता होगा मैंने नमूना बतला दिया कि बीच शहर में इस तरह के वाकये होते हैं तो देहात में क्या होता होगा इसका अन्दाजा आप लोग स्वयं लगा लें। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि शासन की बागडोर में कुछ कड़ाई से काम लें। जैसे थानेदार के करेक्टर रोल के संबंध में पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर साहब का हाथ रहता है उसी तरह से एम०एल०एज० का हाथ रहे। जिसकी उस क्षेत्र के एम०एल०एज० सिफारिश करें उसी का चाल-चलन अच्छा माना जाय वर्ना वह लोग परवाह नहीं करेंगे। उनको ईमानदारी की सनद उसी समय मिले जब कि उनके चरित्र के संबंध में वहां के एम० एल०ए० भी लिख दें।

आजकल रिपोर्ट भी बहुत से मामलों में नहीं लिखी जाती है। जो कुछ दे देता है उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। बहुत से लोगों के गलत रिपोर्ट पर अंगूठे लगवा लिये जाते हैं और मनमानी रिपोर्ट लिख ली जाती है। ऐसे बहुत से मुकदमें चल रहे हैं लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अपराधियों के दंड में ढिलाई नहीं करनी चाहिये। हमारे मंत्री जी आज आदर्श जेल बनाना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जेलों में उनको ही सहूलियत दी जायं जो खूनी और डकैत न हों और जो लोग साधारण हों उन्हें और जो लोग जुर्म करने के आदी हों

उनसे कड़ी मेहनत ली जाय तभी उनका सुधार हो सकता है वर्ना वह कहते हैं कि जेल तो हमारी ससुराल है। अगर उनके साथ सहूलियत बर्ती जायगी तो वह और जुर्म करने के आदी हो जायंगे। मुझे इतना ही कहना है। अधिक क्या कहूं क्योंकि कहने का कुछ सार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी से हम आशा करते हैं कि कभी कभी वह हमें बोलने का मौका दे दिया करें जिससे हम अपना दुख हलका कर लिया करें।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)——माननीय सदस्य महोदय, आज पुलिस का अनुदान सदन में आपके समक्ष प्रस्तुत है और आज ही हमने सदन में पुलिस के बल प्रयोग को भी देखा है। जिस शान्ति के साथ आपके आदेश का अनुसरण करके पुलिस ने बल प्रयोग किया है यदि यही धारणा देहाती क्षेत्रों में भी होती। यदि सरकारी आदेशों का इसी शांति के साथ इसी न्यायप्रियता के साथ इस्तेमाल होता तो शायद यह कड़ुवी बातें आज सदन में दिखाई नहीं पड़तीं। देहात में पुलिस जिस प्रकार से, जिस निरंकुशता के साथ छोटे-मोटे गांवों में और अक्सर बड़े-बड़ी जगहों में भी अपनी मनमानी करती है उसका चरित्र और चित्र वस्तुतः आपके सामने आ ही नहीं पाता है।

मैंने पिछले साल अपने यहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस महोदय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सूबे में जो चोरी और डकैती इस किस्म की होती है उसके संबंध में आदेश है कि वह दर्ज नहीं की जानी चाहिये। मालूम नहीं कि यह आदेश उनको कहां से मिले हैं। जनता के हृदय में सरकार के प्रति जो भावना है कि यह कांग्रेसी सरकार है, यह गांधी जी की पल्टन है, जो हुकूमत कर रही है, उसके प्रति उनके हृदय में थोड़ा-सा विरोध का भाव अवश्य आ जाता है। वह स्वराज्य में जो सुख देखना चाहती थी वह इन कुछ पुलिस कर्मचारियों की मनमानी की वजह से उनको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक भाई ने कहा कि थाने में महात्मा गांधी जी की लगी हुई तस्वीर में उनकी पांच ऊंगली दिखा कर वह कहते हैं कि पांच रुपये लेंगे तब रिपोर्ट लिखेंगे। यही नहीं कभी-कभी हम ऐसा पाते हैं कि एक एक मुकद्दमें के ऊपर जिनमें उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है उनमें २५,३०,४० और ५० रुपये ले रहे हैं। पुलिस की ही बात क्या कहें। इस समय देश में फैली हुई अनेक प्रकार की बुराइयों को देखकर हमें तो यही समझ लेना चाहिये कि जब वर्षाकाल में वर्षा होती है तो उस वक्त जहां हमें सुख होता है, पशु पक्षी सुखी होते हैं उससे भलाई खेती के लिये होती है और सिंचाई के लिये जल मिल जाता है और उससे अच्छी खेती होती है तो वहां उसी समय में अनेक प्रकार के दुखदायी बरसाती विषैले कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह से स्वराज्य आया, हमारी सरकार आई और अच्छी से अच्छी बातें आईं और उसके साथ ही साथ कितनी एक बुराई भी आई। यदि इस बुराई में हम भी शामिल हो जायं तो फिर नहीं हो सकती है।

आज हम बुराई के सिलसिले में देखते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, चोरी, डकैती और जुये आदि का वातावरण सारे देश में फैला हुआ है। सिनेमा भी इसी के अन्दर है। आज इन बुराइयों का हमारा देश अड्डा बन गया है। बड़े-बड़े नेताओं को चाहिये कि वह उस तरफ देखें कि देश में और सरकारी नौकरों में आज क्या बुराई फैल रही है। आज यह कहा जाता है कि यह धर्म निरपेक्ष राज्य है। यह वाक्य चाहें जिस अच्छे भाव से रखा गया हो किन्तु मैं इस शब्द को गलत समझता हूं। यदि वास्तव में यह धर्म निरपेक्ष राज्य न होता और इसके बजाय धर्म सापेक्ष होता तो हर एक कर्मचारी को यह समझ होती कि हृदय की पवित्रता क्या है और पुलिस का भी कोई कर्मचारी रिश्वत की ओर न जाता बल्कि इससे अलग होता क्योंकि वह समझता कि इसका दंड अंत में भोगना ही पड़ेगा। हम सबका एक दिन ऐसा था जब हम देखते थे कि पुलिस का बड़े से बड़ा कर्मचारी भी हमारे छोटे से वालेंटीयर को देखकर डरता था। लेकिन आज अपनी हुकूमत होते हुये ऐसा समय है कि वे छोटे कर्मचारी भी निर्भय हैं किस तरह से वह रिश्वत लेते हैं इसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है। अभी कल की बात है जो मुझे मालूम हुई पुलिस के संबंध की तो वह बात नहीं है किन्तु एक दूसरे विभाग के कर्मचारी तथा एक एम० एल० ए० के बीच की बात है। लखीमपुर के एक बासिल

[श्री गंगाधर शर्मा]

बाकी नवीस ने कहा कि जब तक वह एक सौ रुपया रिश्वत नहीं लेते तब तक जो रुपया उनको सरकार से मिलना है उसे वह नहीं देते। लाचार होकर उस एम० एल० ए० ने सौ रुपये दिये तब काम बना। यही हाल सब जगह है। एक पुलिस को क्या कहें यहां तो सारे कुएं में ही भांग पड़ी है। मैं समझता हूं कि जो एम० एल० ए० हैं जो मिनिस्टर हैं या चाहे कोई और हों आज हममें वह ताकत नहीं रही। आज हमारी पुलिस निर्भय हो गई है, भय का भाव उसमें से जाता रहा है। हमारे गृह मंत्री धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, वह धर्म सापेक्ष हैं उनका हृदय पवित्र है उज्जवल है। वह पुलिस को धर्मनिर्पेक्ष न बनायें, वह उसमें ऐसी ट्रेनिंग दें कि हर पुलिस कर्मचारी अपने हृदय को पवित्र बनाये रखने की कोशिश करे तो संभव है कि आप का यह रामराज्य एक दिन वास्तव में राम राज्य कहा जा सके, कल्याणकारी राज्य कहा जा सके, अन्यथा जैसा हम देख रहे हैं शहर और देहात में दिन पर दिन विरोध की भावना बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहता हूं कि यह भावना विरोधियों की नहीं है, यह भावना हमारे पक्ष में भी है, देहात में जा कर हमें उन भावनाओं का ज्ञान होता है। बहुत सी बातों को हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन मजबूर हो कर अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं पाते और दब जाते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं कि यह भावना अगर बढ़ती रही तो सरकार के लिये कुछ सुनना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह पुलिस में अपनी वह रूह फूंक दें जिसको उन्होंने अपने हृदय में दबाये रखने का प्रयत्न किया है। हर एक कर्मचारी को ऐसा बनायें कि वह देश की रक्षा कर सके, देश की रक्षा तभी हो सकती है जब बाहरी हमले के लिये मिलिटरी अपना जोर बांधे रहे और हमला न होने दे और देश के अन्दर पुलिस ऐसी सुदृढ़ हो जो देश के बलवाइयों को दबा सके, ऐसी पुलिस का संगठन हमें करना है। यदि ऐसी पुलिस का संगठन नहीं हुआ तो फिर देश के अन्दर जो मनोवृत्ति बढ़ रही है, जो विरोधी शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं उनके बढ़ने के कारण चाहे कुछ भी हों लेकिन अगर ऐसी शक्तियां बढ़ती रहीं और हम उनको दबा नहीं सके तो एक दिन हमें अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। रामराज्य का कहीं पता नहीं चलेगा। मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह पुलिस फोर्स को मजबूत करें और साथ ही साथ उसकी आत्मा की पवित्रता को भी बनायें। अगर आत्मा की पवित्रता मजबूत न हुई तो आपके सारे प्रयत्न निष्फल से दिखाई पड़ेंगे। भगवान न करे वह दिन आये, जिसका चित्र आज देहातों में दिखाई देता है कि कब १० मई, १९५७ आये और विप्लव हो जिस वक्त जर्मनी और इंगलैन्ड का युद्ध हो रहा था उस वक्त अंग्रेजों ने शांति और विजय, कह कह कर विजय प्राप्त की। अगर उसी तरह से हम इस भावना की तरफ ध्यान नहीं देते और उस दूषित वातावरण को बढ़ने देते हैं तो हमारा कल्याण दिखाई नहीं देता। सन् ५७ की भावना, प्रलय करने की भावना, विप्लव करने की भावना, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध उपद्रव करने की भावना कुछ लोगों में बढ़ रही है। गोकि जनसाधारण में यह भावना बहुत नहीं बढ़ी है। वैसे गन्दे विचार अभी लोगों के नहीं हुये हैं। माननीय गृह मंत्री जी इन बातों से अवगत होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि उनके कानों तक ये सारी बातें पहुंच चुकी होंगी। मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं भी ये बातें उनके कानों में डाल दूं। विरोधी लोग वह भावना पैदा कर रहे हैं कि अगले तीन चार सालों में, अगले इलेक्शन में वह हमको नीचा दिखायें। हमारे बीच में विविध प्रकार के पैम्फलेट बांटे जाते हैं, विविध प्रकार की भावनायें पैदा की जाती हैं जैसे कि आज सदन में कहा गया कि अनशनकारी मास्टरों को हटाने के लिये बर्बरता का व्यवहार हुआ। मास्टरों की भावनायें ठीक हैं या नहीं यह तो शिक्षा मंत्री जानें और जैसा पुलिस के लिये कहा गया कि अनशन करने वालों को हटाने में रात में बल प्रयोग क्यों किया गया यह तो गृह मंत्री जानें या पुलिस के अधिकारी जानें। यह तो साफ़ बात है कि दिन में अगर ऐसा प्रयोग होता तो संभवतः उसमें उत्तेजना होती, उसमें कलुषता पैदा होती। इसलिये मालूम यह होता है कि पुलिस के कर्मचारियों ने यह मुनासिब समझा कि रात्रि के समय में ऐसा प्रयोग किया जाय यदि इसी तरह से बुद्धिमत्ता के साथ हमारी पुलिस काम करती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस और यह कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रीगण और कांग्रेस के स्वयंसेवक सबके

सब धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। अन्त में मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कर्मचारियों में वह भावना पैदा करने का प्रयत्न करें जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो और जनता में जो भावनायें कांग्रेस सरकार के प्रति प्रबल होती जाती हैं वे प्रबल न हों बल्कि हमारे प्रति उनके विचार अच्छे, सुन्दर और हमको प्रोत्साहन देने वाले हों। अन्त में निवेदन है की अनुदान रक़म तो पास होगी ही लेकिन उसको ऐसे भी कामों में खर्च किया जाय कि जहां पुलिस की कठिनाइयां हैं वे दूर हो जायं। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पुलिस के रहने की जगह नहीं, पुलिस चौकियां छप्पर जैसी बनी हुई हैं, बरसात में जब पानी बरसता है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है और उनके काग़ज़ात वग़ैरह सब खराब हो जाते हैं। इसलिये ऐसी पुलिस चौकियों को ज़रा ठीक बनवा दिया जाय ताकि उनका कल्याण हो जाय। मज़म्मत जहां हम पुलिस की करते हैं वहां उनके लिये सिफारिश भी करते हैं और फिर यह भी कहना है कि कुछ चोरी डकैती इसलिये भी हो जाती है कि अक्सर पुलिस चौकियों तक बड़े-बड़े अफसरों की पहुंच नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे गन्दे हैं जिनके ठीक न होने की वजह से उन पुलिस चौकियों तक अफ़सर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिये निर्माण कार्य के अन्दर जिले के केन्द्र से लेकर पुलिस थाने तक रास्ता भी पक्का बनाया जाना चाहिये जिससे आसानी के साथ पुलिस फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाय।

एक और बात मैं क्या कहूं। मेरे एक मित्र हैं, अभी इसी साल वह पुलिस ट्रेनिंग में गये हैं मैंने कहा कि साहब, पुलिस में घुसने की आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, हर जगह तो पुलिस की इतनी बुराई होती है। उन्होंने कहा कि साहब, यहां इतनी आमदनी नहीं है, वहां हमको ऊपर की आमदनी हो जायगी। सौ, सवा सौ रुपये सरकार दे देगी और ऊपर से चार सौ पांच सौ, हज़ार रुपये की आमदनी हो जायगी, इसलिये घुसते हैं। तो यह जो वातावरण है वह माननीय गृह मंत्री जी अपने हृदय में रख लें और उसकी ओर ध्यान दें और ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमारी पुलिस और सरकार का नाम ऊंचा हो।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं अपने गृह मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि मुझे एक मिसरा याद आ गया कि "जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले"। अभी हमारे एक खद्दरधारी महोदय ने जो मुझसे पूर्व वक्ता हैं कुछ थोड़ा सा सही नक्शा हमारे गृह मंत्री के सन्मुख रखने का प्रयत्न किया। यदि मैं वैसी बातें कहता तो शायद उसका उतना मान गृह मंत्री जी के हृदय में न होता और हमारे माननीय सदस्य गण के दिलों में भी उतना मान न होता। सब से बड़ी बात यह है कि जब तक नैतिक उत्थान और चरित्र निर्माण न होगा तब तक किसी देश की उन्नति या किसी देश की बहबूदी होना बड़ा मुश्किल है। हम अगर सच्चे दिल से देखें तो हमें यह मालूम होगा कि पुलिस की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गयी है। हम अपने गृह मंत्री जी को दूसरी जगह खूब अच्छी तरह से बधाई भी देंगे। मेरी समझ में जेल का इंतज़ाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है। उसमें अगर हम देखें तो यह ज़रूर पायेंगे कि नानआफीशियल्स का भी हैन्ड कुछ रहा है जिसकी वजह से इतनी अच्छी हालत हो गयी है। गो कि मुझे मालूम है कि जेल का अनुदान खत्म हो गया है लेकिन उसका मुक़ाबला करने के लिये दोनों की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि जेल और पुलिस दोनों ही चीजें एक ही मंत्री जी के हाथ में हैं। जहां जेल की हालत पहले से कहीं अच्छी हो गयी है, वहां क़ैदियों को खाना भी पहले से अच्छा मिल रहा है, बर्ताव भी उनके साथ अच्छा होता है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मौजूद है। गृह मंत्री जी ने चकिया में जो काम किया है उसमें जेल के कैदियों से बड़ा अच्छा काम लिया जा रहा है। अगर आप जेल में जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां का वातावरण पहले से बहुत अच्छा है। उसका कारण भी है कि श्री परिपूर्णानन्द जी और कर्नल उबेराय डिस्चार्ज्ड प्रिजिनर्स ऐड सोसाइटी के मेम्बर थे जिसका नाम अब क्राइम प्रीवेंशन सोसाइटी हो गया है, इन लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे सुझाव दिये थे।

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भी बहुत से किस्से मिलेंगे जिनमें पुलिस के कांस्टेबिल डाका डालने गये और बड़े सबेरे ही दूसरे दिन वहां पहुंच गये जहां डाका पड़ा था, यह जानने के लिये कि वहां डाका कैसे पड़ा। गांव वालों को यह ताज्जुब हुआ कि यह इतने सबेरे कैसे आ गये। न कोई रिपोर्ट हुई, न किसी और प्रकार से कोई इत्तला की गयी। उन्होंने कहा कि फलां मौजे में गश्त में गया था, वहां मुझे मालूम हुआ कि यहां डाका पड़ गया है, यहां आगया। इतना सब कुछ होते हुये भी डाके की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी।

एक बनिया १०९ में तीन बार जेल घूम आया। पहली मर्तबा जब वह जेल से छूटकर आया तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि रात के वक्त इसे अपने यहां सोने की इजाजत दे दीजिये और जिलाधीश और कप्तान साहब से कह दीजिये तो इसकी जान बच जायगी। मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वह एक श्री वी० प्रकाश रिटायर्ड जज थे उनके साथ चला गया। लेकिन वह बनिया आदमी ठहरा, कहां तक खिदमतगारी करता। वह लौट आया और उसको फिर जेल भेज दिया गया। जब वह ९ महीने की जेल भुगत कर आया तो लोगों ने मुझसे फिर कहा कि इस पर यह अहसान कर दीजिये लेकिन मैंने उसके बीच में पड़ना मुनासिब नहीं समझा और वह २,४ महीने के बाद फिर जेल भेज दिया गया। जब वह तीसरी बार जेल से लौटा तो मुझसे फिर कहा गया और मैंने उसे अपने दरवाजे पर सोने की इजाजत दे दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला दे दी और अब वह करीब ३, साढ़े ३ साल से जेल जाने से मुबर्रा है। जाति का बनिया है, दूकानदारी का काम दिन में करता है। एक नहीं बहुत सी ऐसी मिसालें हैं।

एक खटिक अपनी औरत को बिदा कराने के लिये गया। वह अपनी औरत और ससुर के साथ आ रहा था कि ललया थाने के एक कान्स्टेबिल और चौकीदार ने उसको पकड़ लिया और थाने में ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया। औरत को बाद में छोड़ दिया गया। ससुर दामाद दोनों बन्द थे। दामाद की मां ११५ रुपये ले गयी तब वह छोड़ा गया। ससुर नहीं छोड़ा गया तो उस पर दफ़ा १०९ का मुकदमा चलाया गया। बहरहाल, मैंने दोनों की पैरवी की। जो १०९ का मुक़दमा चलाया गया था उसकी भी पैरवी की। ये सब वाक़यात हमने अदालत के सामने रखे तब वह छूट गया। बहरहाल अदालत ने यह नहीं लिखा कि कांस्टेबिल ने रुपया लिया, लेकिन जो कुछ लिखा था उसका इस्तगासा मैंने दायर कर दिया। इस्तगासा दायर करने के बाद कांस्टेबिल साहब मेरे पैरों पर गिरे, कई मर्तबा इल्तजा की.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। इंडिवीजुअल केस और मुकदमेबाजी से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—यह जो मुकदमेबाजी हो रही है उसकी सर्टिफायड कापीज मेरे पास हैं। तो इस तरह से सिर्फ इत्मीनान दिलाने के लिये मैंने अर्ज किया कि ये सब चीजें हो रही हैं, जो कि पहले ब्रिटिश रेजीम में होती थीं। तो मैं नम्रतापूर्वक कुछ नुक्स निकालने के लिये या कुछ आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि सिर्फ अपनी बातों की पुष्टि के लिये यह कह रहा हूं। जैसा कि मैंने बतलाया उनकी कापीज मेरे पास रखी हैं। बहरहाल, चूंकि अध्यक्ष महोदय ने अभी यह आज्ञा प्रदान की कि इंडिवीजुअल केसेज में नहीं जाना चाहिये लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि हालत यह खराब कैसे हुई। उसका कुछ कारण हमारे पूर्व वक्ता जी ने बतलाया मगर उसका जो खास कारण है उसे उन्होंने नहीं बतलाया। उसका कारण मेरी समझ में यह है कि हमारे कुछ नेता गण ही देहातों में ऐसे मौजूद हैं जिनके कारण पुलिस इतनी ज्यादा ज्यादती करती है क्योंकि जो कुछ पुलिस करती धरती है वह उनके मशविरे से करती है, उनकी सलाह से करती है। अब इस तरह की चीज कहना तो मेरे लिये मुनासिब नहीं है, उनके लिये हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिये मैं यह नहीं कहता हूं कि इस सदन के भीतर या इस सदन के बाहर कुछ ऐसे नेता

नहीं हैं जिन्होंने त्याग, तपस्या न की हो। बहुतों ने त्याग, तपस्या की है परन्तु जिन्होंने त्याग, तपस्या की है वे पहले ही त्याग तपस्या की बात भूल गये। वे पहले से बड़ी अच्छी हालत में हैं लेकिन वे पहले की बात को भूल गये, त्याग तपस्या के सबक़ को भूल गये, "कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता" "अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्।" जो शुभ अशुभ कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। हर एक मजहब का आदमी जो ठीक सोचने वाला है वह इस बात को कहता है। चाहे क्राइस्ट धर्म के मानने वाले हों, चाहे हजरत मुहम्मद के धर्म के मानने वाले हों, दुनिया के जितने धर्म हैं वे सब इस बात को कहते हैं कि जैसा अमाल होगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। यह कोई खास बात नहीं है जो कि मैंने यह अर्ज किया। आप भी इसको जानते होंगे मगर यह कि मेरे दिल में कोई घृणा किसी दूसरे मनुष्य के लिये नहोगी जितना और बहुत से लोगों के दिल में होगी जो अपने को जाहिर करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा हमदर्द दुनिया का हूं तो आज क्या है। मैं किसी एक आदमी के ऊपर लान्छन नहीं लगाता लेकिन मैं तो यह देख रहा हूं कि भारतवर्ष में रहने वालों के दिल में धर्म की मात्रा बहुत कम हो गयी है। खुदा परस्त लोग नहीं रह गये हैं जो कि ठीक रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं किसी दल की बुराई करूं चाहे वह कम्युनिस्ट हों या हिन्दू सभा के हों। मैं किसी की बुराई करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और न किसी की बुराई करना चाहता हूं। सिर्फ मैं यह चाहता हूं कि आप व्यक्तियों को देखिये कि उनके विचार कैसे हैं और उनके विचार खराब क्यों हो गये हैं। इसी वजह से पुलिस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गयी है और बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। इसके लिये आप को कोई न कोई तरीक़ा निकालना होगा।

जहां तक हमारे गृह मंत्री जी का ज़ाती ताल्लुक़ है मैं उनके अन्दर कोई नुक्स नहीं निकालता और न उनके अन्दर कोई नुक्स है। लेकिन वह बहुत अच्छे होते हुये भी उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वह अगर सहयोग ठीक नहीं देते हैं तो फिर उस विभाग का काम ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके इसका इंतजाम ऐसे लोगों के जरिये से होना चाहिये, जो ईमानदार और अच्छे आदमी हों। इसी वजह से तरह-तरह के झगड़े हो जाते हैं। होली पर भी कई जगह झगड़े हुये हैं। फर्रुखाबाद में हुआ है और जगह भी हुये हैं। पहले तो ऐसा था कि दशहरे या मुहर्रम पर झगड़ा होने की आशंका रहती थी लेकिन अब होली के मौके पर भी होते हैं और हर जिले में सरकारी अफ़सरों को डर लगा रहता है कि कहीं पर झगड़ा न हो जाय और किसी के ऊपर रंग न पड़ जाय और कोई मामला खड़ा हो जाय। यहां पर लखनऊ में भी मुझे बताया गया कि चौक में कुछ गड़बड़ हुई। इस तरह से हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि फसाद हो जाय। कुछ लोग इस वजह से ऐसी हालत करते हैं कि चूंकि वह धर्म निरपेक्ष होते हैं और धर्म में उनका क्या कर्तव्य है, और किस कर्तव्य को पालन करना चाहिये इसका खयाल नहीं रहता है। वह किसी बात को समझते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मदान्ध हो गये हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी नेता के रिश्तेदार हैं। यक़ीनन अगर वाक़ये को समझा जाय तो जो लोग जेल जाते हैं उनमें कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने वाक़ई में जुर्म किया हो। मगर जो जुर्म करने वाले हैं वह जेल से बाहर रह जाते हैं और किसी वजह से अपने यार दोस्त की वजह से बच जाते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है और उनकी काबिलियत भी कुछ नहीं है। उनको पोलिटिकिल सफरर कहा जाता है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री की सेवा में यह निवेदन कर रहा था कि वह पुलिस वालों की हालत को देखें कि पुलिस में कैसे लोग हैं और वह कितनी धांधली कर रहे हैं। पुलिस में आज भी ऐसे सब-इंस्पेक्टर हैं जो कि झूठे मुक़दमात तैयार करते हैं, एक तरफ तो सच्चे मुकदमों की रिपोर्ट नहीं

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

लिखी जाती है और खासकर डकैतियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती हैं और दूसरे झूठे मुकदमात तैयार करके उनको चिपट जाते हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता लेकिन अगर कोई पुलिस वाला नाखुश हो गया तो उन्हीं को गवाह सबूत बना कर दूसरे आदमियों पर मुकदमा चला देते हैं। अदालतों में तो आज कल पेपर जस्टिस होता है, जैसा मिसिल में सबूत आ गया वैसा ही फैसला हो गया। ऐसी हालत में देखना यह है कि दरअसिल पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस सब का ताल्लुक गृहमंत्री जी से ही नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी और मुहकमें में जो कारकुनान हैं वह सही काम करें तो काफी कामयाबी हो सकती है। एक शख्स चाहे कितना ही नेकनियत क्यों न हो वह कुल भार को नहीं उठा सकता। तो पुलिस में दिन व दिन खराबी आती जाती है। अगर लोगों को एक घंटे के लिये भी मालूम हो जाय कि पुलिस नहीं रहेगी तो लोगों का जान माल भी रहना मुश्किल हो जाय। यह बात नहीं है कि पुलिस की वजह से लोगों को आराम नहीं है, वह जरूर है लेकिन खराबियां दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जाती हैं। मैं उनकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोगों में ऐसा वातावरण पैदा हो, आचार विचार लोगों के दिलों में आये कि लोग अपने कर्त्तव्य का पालन करें और अपनी ड्यूटी को समझें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो बजट माननीय गृहमंत्री जी ने बनाया है उसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी काबिलियत का परिचय दिया है। वह हर तरह से बहुत मौजूं है और बराबर हर साल से तरक्की कर रहा है। इसमें शक नहीं है कि पुलिस एक ऐसा मुहकमा है जिस की शिकायत अक्सर रहती है और शायद हमेशा रहेगी लेकिन फिर भी जो इल्जामात लगाये जाते हैं उम्मीद है कि वह कम होते जायेंगे। मैंने कानपुर जैसे शहर में देखा है कि कैसी ही मुसीबत हो घंटों और मिनटों में अब इंतजाम हो जाता है। वहां पर एक फ्लाइंग स्क्वाड है, मिनटो में हो जाता है। वहां पर हाल में जो रंग के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो वहां फौरन ही फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच गया और बड़ा झगड़ा होते होते बच गया। आजादी मिलने के बाद चूंकि हम हर काम को Critical eye से देखने लगे हैं तो ऐसे इल्जामात में काफी तरक्की हो गयी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुंडागिरी बढ़ती जा रही है और मुश्किल यह है कि पुलिस के साहबान भी यह समझते हैं कि जो मुकदमा उनके यहां आये उसमें अगर बाकायदा सुनवाई न हो और सजा न हो तो ऐसा मालूम होगा कि पुलिस की कार्रवाई में कमी हुई। जितने केसेज आते हैं उनका नतीजा ठीक निकलना चाहिये इसलिये वह बहुत सी चीजों को लिखने से गुरेज करते हैं और कानपुर में चूंकि प्राहीबीशन भी है इसलिये और भी मौके थे लोगों को गलत पैमाने पर काम करने के और वहां गुंडागिरी बढ़ती चली जा रही है। लोगों को काफी शिकायत है। जो शरीफ आदमी गुंडों से सताये जाते हैं वह अगर रिपोर्ट करने जाते हैं तो कहा जाता है कि हम तो दोनों के मुचलके और जमानत लेंगे। भला आदमी गुंडों से तकलीफ पाता है, दूसरी तरफ समझता है कि मेरी जमानत होगी या मैं भी जेल जाऊंगा तो इस वजह से वह बजाय शिकायत लिखाने के घर बैठना ज्यादा पसन्द करता है और मुश्किल से ही शिकायत लिखाता है, इसलिये जरूरत है कि कुछ न कुछ प्रायमा फेसी इंवेस्टीगेशन हो जाये जिससे अगर मालूम हो जाय कि दोनों तरफ से ज्यादती है तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर गुंडों का ही काम है तो इस बात की कोशिश की जाय कि शरीफ आदमी उसमें न फंसे गुंडे का ही चालान होना चाहिये।

जो पहला गुंडा ऐक्ट था उसकी तरफ भी मैंने देखा था। गुण्डा ऐक्ट में केसेज बहुत कम चल रहे हैं और गुंडे बहुत बढ़ रहे हैं। पुराने १०-१०, २०-२० सालों से

आदमियों के नाम जो लिखे हुये हैं उन्हींकी निगरानी होती है। इसलिये जरूरी है कि बाकायदा एक इंक्वायरी बैठाई जाय और जो गुंडे नहीं हैं उनके नाम काट देने चाहिये। उन आदमियों का नाम इस समय लिखा रहना अच्छा नहीं मालूम होता जिन्होंने अब और बिजनेस करना शुरू कर दिया है और अच्छी तरह से बिजनेस से गुजर कर रहे हैं। लेकिन उनके नाम बराबर चले जाते हैं। नये गुन्डे ऐसे पैदा हो गये हैं जिनका कोई जरिया मास नहीं है। दो बोतलें सोडावाटर की रख ली, पुलिस वालों की खातिर तबाजह कर दी। उनके लिये जरूर कुछ होना चाहिये जिसमें कि यह गुंडागिरी कानपुर से कम हो जाय।

दूसरे मुझे यह सुझाव देना था कि यह फायर आर्म्स जो हैं, जो पिस्तौल लाइसेंस वगैरह दिये जाते हैं वह नये बनते हैं और हर साल रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि हर दो तीन साल के बाद यह देखा जाय कि किनके पास फालतू हैं। अब तो जमींदारी खत्म हो गयी, तो उनके पास कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक-एक के पास ५-५, ७-७ हथियार हैं और उमूमन शिकायत यह है कि इनमें से कुछ बदमाशों के पास जाते रहते हैं और वह उनसे फायदा उठाते हैं। इसलिये फायर आर्म्स के सिलसिले में भी जरूर कुछ होना चाहिये। किसके पास कितने हैं, कैसे लोग हैं, उनके पास रहने चाहिये या नहीं इन सब बातों की छानबीन होनी चाहिये और मुझे यह सुझाव देना था कि जो इनामात दिये जाते हैं जो पब्लिक और पुलिस के लोग जो डाकुओं से हिम्मत करके लड़ते हैं और अपनी जान दे देते हैं इसके लिये इस बजट में जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। इसके लिये जरूरत यह है कि जो दरअसल अपने ऊपर खतरा लेकर मुकाबिला करते हैं, उन को मालूम हो जाना चाहिये कि अगर हम जान देंगे तो हमारे बच्चों को हमारे पीछे कोई देखने वाला है। मैं समझता हूं कि जो रकम इस में दी गई है दो ढाई हजार रुपये की वह सारे सूबे के लिये काफी नहीं है। उसमें इजाफा होने की जरूरत है।

खास चीज जिसके लिये मैं हाजिर हुआ हूं वह यह है कि मैं मध्यभारत गया था मैं वहां इंदौर, ग्वालियर और कुछ गांवों में भी गया। वहां एक आन्दोलन "अपराध रोकथाम" चल रहा है। बहुत मामूली से अल्फाज हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने हर गांव में एक पंचायत बना ली है। उस पंचायत में वहां के भले आदमी चाहे जिस पोलिटिकल-ब्यु के होते हैं। वह पंचायत अपना सरपंच चुन लेती है जिसकी ट्रेनिंग पुलिस में हो जाती है। हर थाना जो उसके करीब है वहां का बीट कांस्टेबिल जो है उसके वह सुपुर्द हो जाती है। वह पढ़ा लिखा और ट्रेन्ड होता है। वह हफ्ते भर में ४८ स्क्वायर माइल्स (Squre miles) में दस बारह गांवों का दौरा करता है। हर गांव के लिये दिन मुकर्रर होता है कि फलां गांव की सुबह पंचायत होगी फलां की और वक्त और वह बराबर पंचायतों में गश्त करता है। वह पंचायत अपने आप वालेन्टियर मुकर्रर करती है और वह एक डे आफिसर मुकर्रर करता है जो कि २४ घंटे देखता है। उनके पास एक कांफीडेंसल रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि किस दिन कौन आदमी नया इस गांव में आया। उसका जरियामाश क्या है। यह सब इन्फारमेशन ले कर बीट कांस्टेबिल अपने थाने में जाता है। इससे हर गांव में मालूम रहता है कि कितने आदमी आये हैं, उनके पास कुछ काम है, या नहीं है। इस तरह से गांव वाले खुद अपनी देखभाल करते हैं। ऐसी ही पंचायतों की यहां भी जरूरत है। अगर गांव के लोग आपस में मिलकर अपनी पंचायतें कायम कर लें और गवर्नमेंट उन को रिकगनाइज करे, उनको ट्रेनिंग दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार पुलिस और जनता में जो वैमनस्य है यह चीज भी बहुद जल्द खत्म हो जायगी। मैंने इसका थोड़ा सा लिटरेचर भेजा भी था। मैं फिर गृह मंत्री साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर ऐसा आंदोलन यहां बढ़ाया जाय तो बहुत मुफीद होगा।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं पूज्य गृह मंत्री जी का इस शांत वातावरण में, इस पुरअमन आबहवा में इस अनुदान के पेश करने का मौका पाने पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ ही यह पूरी आशा मैं इस सदन में प्रगट करता हूं कि मुझे उनकी उच्च विद्वता, हाई स्कालरशिप, और बड़े तजुर्बे की बिना पर पूरी आशा है कि जो त्रुटियां इस महकमे की इस सदन में इस समय हमारे साथी लोग बतायेंगे वह एक साल के अरसे में अवश्य दूर हो जायंगी और अगले साल जब हम को दोबारा इस बजट पर बातचीत करने का मौका मिलेगा तो उनको दोहराने की नौबत नहीं आयेगी।

मैं इस समय सदन में सिर्फ एक कामन विलेजर के आउटलुक को, जो कि पुलिस के संबंध में उसका है रखना ही अपना कर्त्तव्य समझता हूं और उसके साथ साथ जो सरकारी पुलिस विभाग की इस वक्त अवस्था है, जो हालत है मेरे दृष्टिकोण से उसको मैं सामने रखना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे जो इनके मुताल्लिक विचार हैं उनको भी सदन के सामने रखना चाहूंगा। आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी उसमें जो चीज ठीक पायेंगे उस पर अवश्य ध्यान देंगे और जो गलत पायेंगे उसको मुझको समझाने की कृपा करेंगे। मेरी ऐसी रीडिंग है कि जिस देश में जितना बड़ा पोलिटिकल चेंज हुआ है, जितना बड़ा सियासी इन्कलाब हुआ है वहां के लोगों की उतनी ही बड़ी उमंगे रही हैं। वह उतनी ही बड़ी तब्दीली, चेंज गवर्नमेंट के हर एक काम में, हर एक विभाग में चाहते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस देश में बड़े-बड़े इन्कलाब जितने ज्यादा शांतिमय ढंग से, जितने ज्यादा कम संघर्ष से, जितने ज्यादा कम कीमत देकर हुये हैं वहां की आने वाली गवर्नमेंट में उतनी ही ज्यादा उदासीनता होती है और मैं समझता हूं कि इस देश में इस सरकार में भी वही हालत है और पुलिस में वह अधिकांश में है क्योंकि पुलिस का काम अब तक बहुत आसान रहा है। अब तक विदेशी राज्य में पुलिस का काम यही रहा है कि सिर्फ आंतक के जरिये से, डंडे के जरिये से अमन कायम रखे रहे। मगर अब जनता और पुलिस के ताल्लुकात बड़े पेचीदे हो गये हैं। अब हर काम करने के लिये पुलिस मैन में राष्ट्रीयता और मानवता की जरूरत है और मैं अनुरोध करूंगा पुलिस मंत्री जी से कि वह अधिक से अधिक राष्ट्रीयता और मानवता की भावनाओं का समावेश अपने मुहकमे में करायें। जब मैं कहता हूं कि पुलिस मुहकमें में उदासीनता है तो मेरा मतलब यह है कि जैसे आज हम रोज हवाई जहाज देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और उसके आदी हो गये हैं और हम को उन पर कोई ताज्जुब नहीं होता, उसी तरह से हमारे यहां पुलिस अफसर देखते हैं कि कानून टूट रहा है, वह स्वयं तोड़ रहे हैं, लेकिन वह उसके आदी हो गये हैं। इसका बड़ा खराब असर जनता पर पड़ता है। जनता का राज्य पर से विश्वास हट जाता है, फ़ेथ हट जाता है और उसमें निराशा पैदा हो जाती है कि इस गवर्नमेंट में न तो कानून के चलाने की सामर्थ्य है और न कानून मनवाने की सामर्थ्य है और जहां जनता में विश्वास नहीं रह जाता वहां कोई भी सरकार ज्यादा दिन चलती नहीं है क्योंकि आज हमारी ताकत पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, हमारी ताकत जनता का विश्वास है। दूसरा पुलिस का सहायक अंग हुआ करता है, रेलीजन और शिक्षा। जहां लोगों के अन्दर मज़हब का ज्यादा प्रचार नहीं होता है, जहां लोगों के अन्दर मजहबी भावनाएं नहीं हुआ करती हैं वहां काम और ज्यादा बढ़ जाता है। आज लोगों के अन्दर न उतना मजहब है, न मानवता उतनी ज्यादा है और अभी हम पुलिस से पीड़ित भी रहे हैं। इसलिये आज की पुलिस को इतनी भारी असुविधायें हैं और इसके साथ-साथ जनता की भारी मांगे हैं। इसलिये यह विषय बड़ा ही गम्भीर और टेढ़ा हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय पूज्य गृह मंत्री जी अपनी विद्वता से और अपनी समझ से इन सारी दिक्कतों को दूर कर पायेंगे। मैं देखता हूं कि जहां रोडवेज नहीं है वहां प्राइवेट बसेस चलती हैं, ओवर क्राउडेड बिलकुल पैक्ड हो कर चलती हैं, सीमेंट के बोरों की तरह। अन्दर भी लोग बैठते हैं, ऊपर भी बैठते हैं और मैंने देखा है कि

पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राइट में बैठकर चले जाते हैं। उनको यह एहसास नहीं होता है कि यह मानवता के नियमों के विपरीत है, कानून के विरुद्ध है और उनके ऐसा करने से लोगों के दिलों में अविश्वास पैदा हो रहा है। मैं देखता हूं कि आजकल अन्न की कमी है। सरकार चाहती है कि लोग कम से कम पेड़ काटें लेकिन मैं देखता हूं कि अब भी ग्राम की लकड़ी से गाड़ियां लदी हुई चली जा रही हैं थाने के सामने से, दो चार पुलिस के इंस्पेक्टर खड़े हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह जो हमारी कामन पालिसी है उसका जरा भी एहसास नहीं करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिसालें हैं जिन से हमें जाहिर होता है कि हमारे मुहकमे के अन्दर उदासीनता है और उन्हीं छोटी-छोटी चीजों का असर गांव के लोगों के ऊपर पड़ता है और उन छोटे-छोटे लोगों के अविश्वास से एक बड़ा अविश्वास बन जाता है, जो हमारी सरकार को कमजोर करता है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी गांव की दैनिक चीजों के ऊपर विचार करें। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उसके पांच सात मील के अन्दर पुलिस का रवैया दूसरा है और इंटीरियर्स में जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां की पुलिस का रवैया एक दूसरा ही है और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के पास तक ऐसी चीजें नहीं पहुंचती होंगी। मैं यह चाहता हूं कि वे स्टेट के इंटीरियर में जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां कृपया छिप कर पहुंचने का प्रयास करें और वहां के ग्रामीण भाइयों से मिल कर के मालूम करें कि उनकी क्या हालत है और स्पेसीमेन के तौर पर ऐसी सजायें जगह जगह दें जिससे जनता को मालूम हो कि हमारा पुलिस विभाग चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे उच्च कर्मचारी और हमारे नेतागण इस बात पर तुले जरूर हैं कि जो खामियां हैं उनको अवश्य ही जल्द दूर कर देंगे और मैं आशा करता हूं कि यह जनता में काफी विश्वास पैदा कर देगा।

दूसरी बात जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसा हम भारत के संविधान प्रिएम्बुल में कहते हैं कि हम इंडिविजुअल की डिगनिटी को अश्योर करते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कुछ सेक्शन्स जैसे १०९ और ११० वगैरह ऐसे हैं जो इंडिविजुअल की डिगनिटी को क्रश करते हैं। जब कोई शख्स किसी अदालत से सम्मानपूर्वक रिहा किया जाता है तो पुलिस फौरन् उसका चालान १०९ में कर देती है। ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे आदेश जारी हों कि जो आदमी सम्मानपूर्वक रिहा किये जायं उनकी डिगनिटी को गवर्नमेंट अश्योर करे। दूसरी बात यह है कि हाल ही में ऐसे केसेज सामने आये हैं कि इम्मूवएबिल प्रापर्टी की भी रक्षा पुलिस नहीं कर सकी है। मैंने देखा है कि हाई कोर्ट से लोग पेड़ पा जाते हैं, उनके हक़ में फैसला हो जाता है, लेकिन दिन दहाड़े लोग दस दस बीस-बीस पेड़ काट डालते हैं। पुलिस ने बजाय इसके कि उन पीड़ितों की मदद करे, उलटे ही उनके ऊपर मुक़दमा चालू कर दिया है। जहां की पुलिस इतना बड़ा अत्याचार कर सकती है वहां के लोगों की श्रद्धा गवर्नमेंट में कितनी रह सकती है, यह हम सब को अपने आप विदित हो जायगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल की डिगनिटी को अश्योर करें और पुलिस के अन्दर राष्ट्रीयता, मानवता और अच्छा व्यवहार लाने की कोशिश करें और इसमें वे सफल होंगे ऐसी मेरी उनसे आशा है, उनके बड़े तजुर्बे से और उनकी ऊंची विद्वता से।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने बजट पेश है उस पर मैं एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रस्ताव आप के नाम से कोई है नहीं।

श्री कमला सिंह——जी है।

श्री उपाध्यक्ष——जो एक प्रस्ताव है उसी पर आप बोल सकते हैं।

श्री कमला सिंह——इस सदन में जितने हमारे माननीय सदस्य बोले हैं सब लोगों ने पुलिस पर काफी बौछार की है और यह बतलाया है कि जितने बुरे काम होते हैं पुलिस की

[श्री कमला सिंह]

ख़राबी से होते हैं। अगर यह ढ़ांचा शुरू से आखिर तक देखा जाय तो अंग्रेजों के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ मालूम होता है। अंग्रेजों का रवैया यह था कि किसी तरह से पब्लिक के ऊपर अंकुश रख कर उसको एक रास्ते पर ले जाना है, चाहे उसके लिये ज़बरदस्ती करनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े। पहले ज़माने में यथा राजा तथा प्रजा यानी जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी लेकिन अब जब स्वराज्य हो गया तब हम रवैया दूसरा देख रहे हैं। आज जिन लोगों के ऊपर राज्य का भार है और उनका जो रवैया है ठीक उसके विपरीत पब्लिक का रवैया है। यह एक चीज है जिसको हम सब साहबान जितने यहां पर हैं उन सब लोगों को ग़ौर करना है कि सरकार की जो नीति है वह उसके ख़िलाफ क्यों जा रही है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि देहात में गालियां सुनने को मिलती हैं। पुलिस भी मजबूर है और उसको आप ही मजबूर करते हैं उनके वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजूहात मैं आप को बतलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आप चौकीदार को ले लीजिये, वह लोयस्ट तबके का आदमी है। तीन रुपये से पांच रुपये तक तनख्वाह आज वह पाता है। आप पांच रुपये में उम्मीद करें दस गांवों में जा कर के वह निरीक्षण करे और गावों में जितने चोर बदमाश हों उनका मुक़ाबला करे मैं नहीं समझता कि—यह मुमकिन हो सकता है। आप पुलिस कांस्टेबिल को ले लीजिये। कांस्टेबिल पहले १५ रु० में भर्ती होता था, आज तीस रुपये है और भत्ता मिला कर वह पचास रुपये पाता है और सब-इंसपेक्टर आज १२० रुपया पाता है थानेदार एक पाव खाता है। कांस्टेबिल जो ५० रुपया पाता है वह तीन पाव खाता है और इस तरीक़े से तीस रुपये उसके खाने पीने का ख़र्चा हुआ। बीस रुपया जो बचता है, उसमें बाल बच्चे हैं और अन्य खर्चे हैं हमारे अफसरान जब निरीक्षण करते हैं उस वक्त वर्दी और बूट की पालिश करनी पड़ती है, आख़िर यह रुपया कहां से आयेगा, यह भी आप को देखना है। यह आप सोचिये और मिलिटरी की तरफ देखिये। पी० ए० सी० या मिलिटरी बटैलियन जो होती है उसको आप तनख्वाह देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा वग़ैरह देते हैं, फ्री वाशिंग होती है और उनकी फ्री शेविंग होती है। यहां तक कि उनको आप पाकेट एक्सपेन्सेज भी देते हैं, लेकिन यहां आप क्या करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि कमान जो आप का जाता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक प्राविन्स से दूसरे प्राविंस में तो आप क्या देते हैं। छै-छै आने पैसे देते हैं, वही ख़ूराक समझिये या जो समझिये। छै आने में किसी आदमी की गुज़र नहीं हो सकती है। ऐसी चीजों पर आप उम्मीद यह करते हैं कि वह ईमानदारी बरतेगा और जितने काम हैं ईमानदारी से करेगा। साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हैं कि दो तीन साल का ज़माना हुआ ग़ाज़ीपुर के ज़िले में एक डकैती हुई थी। उस डकैती के समय हमारी सरकार के पुलिस मंत्री शास्त्री जी थे उन्हें यह वायर करना पड़ा था ग़ाज़ीपुर ज़िले के एस० पी० और कलेक्टर को कि वहां पर अहीर और ठाकुरों की दो ज़मातें ज़ोरों पर चल रही हैं। दोनों में ऐसी विचारधारा चल रही है और सम्भव है कि उनकी बुरी हालत हो। ऐसी हालत में जो डकैती का केस था, डकैती के कम्प्लेनेन्ट शिवदास सिंह थे, उसमें ८ बेगुनाह फांसे गये थे। इसके मुताल्लिक़ हमारी सरकार को यह आदेश देना पड़ा था वहां के कलेक्टर और एस० पी० को कि आप निष्पक्ष तरीक़े से उस मामले को देखें। नतीजा यह हुआ कि वह अहीर जो कि नामज़द थे एफ०आई०आर० के अन्दर उनका चालान नहीं किया गया। तो मैं पूछता हूं आप से कि कोई भी आदमी हिस्ट्री की एक भी एक्ज़ाम्पिल दे दे कि एफ०आई०आर० का नामज़द आदमी किसी मामले में छोड़ा गया हो। मैं तो कहता हूं कि जब तक आप यह रवैया नहीं अपनायेंगे और जो बेगुनाह हैं उनको किसी कास्ट पर जेल भेजने से रोकने के लिये मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह उम्मीद करें कि पब्लिक भी आप का साथ देगी और पुलिस ईमानदारी बरतेगी गैरमुकिन है। साथ ही साथ मैं पुलिस के लिये कहना चाहता हूं कि आज मैं पुलिस की तरफ देखता हूं कि पुलिस के अन्दर जितने आदमी हैं वह ज्यादातर पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि इस चीज को करने के लिये वह बाध्य होते हैं क्योंकि हमारे जितने ऊपर के कर्मचारी हैं, जो दौरे पर बाहर जाते हैं वे अपने साथ खाना वग़ैरह नहीं ले जाते हैं, वह देना पड़ता है लोकल पुलिस को। आप की पुलिस

का बजट हमारे सामने पेश है उसके अन्दर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसके अन्दर उनका खर्चा वगैरह मीट किया जा सके। नतीजा यह होता है कि पुलिस मजबूर होती है उस खर्चे को मीट करने के लिये और किसी नाजायज़ तरीक़े से उस रुपये को वसूल करती है। उसके बाद पुलिस जो है वह मजबूरन इस काम को करती है। दूसरी चीज़ यह होती है कि जब कहीं कोई वाक़या होता है जैसा कि बहुत से हमारे भाइयों ने बतलाया है हम आप भी उसमें जा कर हस्तक्षेप करते हैं जिसकी वजह से न्याय नहीं होता है। इन चीजों को हमें देखना है और साथ ही साथ यह भी सोचना है कि अगर पुलिस पर ही हम भार दे दें तो वाक़ई हमें सफलता मिल सकती है या नहीं, यह गौर करने की चीज है। मैं मानता हूं इस चीज को कि हमारा पुलिस का रवैया जो है, उससे नैतिक पतन ऐसा हो गया है कि उन पर हमें इतना भार नहीं देना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जितने पुलिस के काम हैं उन्हें आप अपने हाथ में लेना चाहें या मंत्रिगण हाथ में लेना चाहें तो तब भी आप का काम नहीं चल सकता। मैं तो समझता हूं कि आप को ऐसा अंकुश उनके ऊपर रखना है कि जिससे वे ठीक हो सकें। यह अंकुश यह होगा कि अगर कोई कहीं निर्दोष फंसाया जाता है और राज्य के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुलिस ने नाजायज हरकत करके या पैसा वसूल करने के लिये या किसी के दबाव में आ कर किसी का नाजायज तरीके से चालान किया है तो पुलिस के ऊपर सख्ती बरतनी चाहिये और उसे परसनली लायबिल समझना चाहिये। साथ ही साथ दफ़ा ७ और २९ ये दो ऐसी दफायें हैं जो किसी मुहकमें में नहीं मिलेंगी। ये ऐसी दफ़ायें हैं जिनके कारण हर पुलिस का कांस्टेबिल या अधिकारी चाहे वाक़ई मौक़े पर जा कर देखता है या नहीं, वह मजबूर किया जाता है एक झूठा बयान या स्टेटमेंट देने के लिये जो कि प्रासीक्यूशन के लिये फ़ायदा करती है। ऐसी हालत में पुलिस रेगुलेशन ऐक्ट को अमेंडमेंट करने की आवयकता है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो आदमी हैं उनका भी दोष है। हमने अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी तरह से जानती है और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ठाकुर, ब्राह्मण और भूमिहारों की जायदादों पर जबदस्ती क़ब्ज़ा करना चाहते हैं और उनकी फ़सलें काटना चाहते हैं। सरकार इस चीज़को अच्छी तरह से जानती है। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री इतने कलुषित और इतने बुरे विचार के नहीं होंगे जिनमें कि पब्लिक उनको स्पष्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी के विचार बहुत ही उत्तम होंगे और जो उन्होंने कहा है वह किसी बुरे विचार से नहीं कहा था। असल में हमारे मंत्री जी के सामने किसी जाति-पांति का भेदभाव नहीं होना चाहिये। उनके लिये तो कोई भी आदमी, चाहे चमार हो या ब्राह्मण हो, सब बराबर हैं। यही चीज उनके सामने होनी चाहिये। अगर कोई बदमाश किसी भी जाति का है सरकार को उसके साथ बराबर कार्यवाही करनी चाहिये, यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि हम कोई वर्गभेद ब्राह्मण वग़ैरा का क़ायम करें। हमारे मंत्री जी की बात सुन कर हमारे कर्मचारियों के दिल में यह बात बैठ गयी कि ब्राह्मण, क्षत्री, भूमिहार वगैरा के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरा यह कहना है कि सरकार का रवैया एक होना चाहिये। हम देखते हैं कि इस समय गृह विभाग में कुछ और माल विभाग में कुछ हो रहा है। माल विभाग में हमने उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५२ बनाया जिसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि बहुत से किसान भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हैं या किये जा चुके हैं और सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण है कि इनमें बहुत से व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। अभी जो विचार स्पष्ट किया गया था उससे यह भिन्न है। यहां तो यह दिखलाया गया कि ग़रीब किसानों की जायदाद पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा किया जा रहा है। तो हमारे माल मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं और हमारे गृह मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं। ये दोनों आपस में कंट्रेडिक्टरी हैं। यह नहीं होना चाहिये। हमारे यहां तो जैसा कि माल मंत्री जी ने कहा है वैसी चीज़ गृह विभाग में होनी चाहिये कि कोई अगर किसी की जमीन पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेता है तो हमें उस कुर्मी की मदद करनी चाहिये, जो निर्बल है। हम तो चाहते हैं कि इस हुकूमत में कोई भी अपने को

[श्री कमला सिंह]

निर्बल न महसूस करे और हमें आशा है कि गृह मंत्री जी भी माल मंत्री जी के जो विचार हैं उनको पुष्ट करेंगे और अगर वह ऐसा करेंगे तो देश के निर्माण में सहायक होंगे।

इतना ही नहीं, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि हम ज्यादातर डकैती, बलवे और मर्डर की बातें आज कल रोज सुनते हैं और इनकी वजूहात ज्यादातर यह हैं कि यहां पर प्रापर्टी के मुताल्लिक़ डिसप्यूट्स होते हैं और उन्हीं के मुताल्लिक़ ज्यादातर बलवे होते हैं। इसके साथ ही जब पुलिस में लोग इसकी रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिसवाले हमेशा बलवे की रिपोर्टों से बचना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि पांच आदमी कभी न लिखे जायं चार ही आदमी लिखे जायं ताकि हमें अन्वेषण वगैरा न करना पड़े। इससे वह अपनी बचत करना चाहते हैं। हमें यहां यह देखना चाहिये कि आज तक का जो शासन था उसमें जो एन्ट्री पटवारी की होती थी उसी को बेसिक पैमाना माना जाता था और उसी का क़ब्ज़ा माना जाता था जिसका पटवारी के काग़ज़ात में इन्दराज होता था और प्राजीक्यूशन उसी की तरफ चलता था चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। लेकिन अब हमें यह चाहिये कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर जब मौके पर जायं तो उन्हें पता लगाना चाहिये कि वाक़ई क़ब्ज़ा किसका है और उसी को मदद देने की कोशिश होनी चाहिये। यह होने पर मैं समझता हूं कि जनता भी आप को इस न्याय के देने में मदद देगी। इतना ही नहीं, बल्कि डकैती वग़ैरह के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया कि उसकी संख्या बहुत कम है। डकैती तो दफ़ा ३९५ है। लेकिन ४५८ उसी का छोटा भाई है। अब अगर इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दिया जाय तो असलियत का पता चलेगा कि कितनी संख्या डकैती की है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बतलाऊंगा कि ४५७ और ३२३ भी डकैती को छिपाने के लिये रख दी जाती है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे ज़रा गौर से देखें कि वास्तव में कितनी डकैतियां हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त जो फायरआर्म्स की डकैतियां हो रही और बढ़ रही हैं उसकी क्या वजह है। आज जो फायरआर्म्स के लायसेंस सब को दे रहे हैं वह बड़ी खुशी की बात है। भाले, बरछी, कटार, सभी रख सकते हैं लेकिन हमें भविष्य को देखना चाहिये। हम इस बात के तो क़ायल हैं कि सब को हथियार रखने की इजाज़त होनी चाहिये लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को एक रिकार्ड रखना चाहिये कि फलां के पास इतने और इस क़िस्म के अस्त्र हैं। जब आप के पास इस क़िस्म का रजिस्टर होगा उससे यह मालूम हो जायेगा कि कितना अस्त्र आपका लोगों के पास है।

साथ ही साथ जैसे फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो इलाहाबाद में है उसी तरह का यूज्ड कार्टरीजेज ब्यूरो भी होना चाहिये। अगर ऐसा ब्यूरो हो तो आप फायरआर्म्स की डकैती का बड़ी आसानी से अन्दाजा लगा सकते हैं और मैं समझता हूं कि आपको फायरआर्म्स की डकैती तथा और डकैती का पता लगाने में जरा भी दिक़्क़त नहीं होगी।

अब इसके साथ साथ एक चीज और बतला देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में आपने १०९ और ११० की भरमार लगाई और यह कोशिश की कि १०९ और ११० में ज्यादा से ज्यादा आदमी भेजे जायं। यह है हमारा प्रिवेंटिव सेक्शन। हमारी पुलिस जो है जैसा मैंने इस सदन में बतलाया था खासतौर से पूर्वी जिलों में जो लोग डकैतियां वग़ैरह नहीं करते हैं, १, २ सेर अनाज चुरा लेते हैं उन्हीं लोगों को १०९ में पकड़ कर भेज दिया करते हैं और उनको सजा हो जाती है क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। यह चीज मैं नहीं चाहता। आप राइट पर्सन्स को भेजने की कोशिश करें। जो गुंडे बदमाश हों उनको भेजें। ज्यादा परसन्टेज न हो थोड़ा ही हो लेकिन जो वाकई बदमाश हो उसे भेजने की कोशिश करें। इससे पब्लिक की मेंटिलिटी जो बुरी हो रही है वह अच्छे रास्ते पर आयगी। लोगों में डर पैदा हो जायगा।

साथ ही साथ एक चीज मैं माननीय मंत्री से और बतला देना चाहता हूं। हमारे यहां दो विरोधी चीजें चल रही हैं। पहले लोग जेल में जाते हुये डरते थे और कोशिश करते थे कि हमें फिर न जेल जाना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है। जेल में जो लोग जाते हैं उनकी हर तरह से खातिर होती है। सिनेमा शो दिखाये जाते हैं। लक्जरीज मिलती हैं। मैं यह नहीं कहता

कि अमानुषिक बर्ताव किया जाय लेकिन साथ ही साथ जिस मनोवृत्ति को लेकर वह कोई क्राइम्स करते हैं उसको बदलने का उपाय करना चाहिये। जब आप ऐसा करेंगे तब आप कामयाब हो सकेंगे। जेलों में जो लोग जाते हैं और वापस आते हैं तो परिस्थिति से मजबूर हो कर वह चोरी करते हैं। नतीजा यह होता है कि वह सोचते हैं कि वहां जायेंगे तो खाना और कपड़ा मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, इसलिये उनकी मनोवृत्ति क्राइम्स करने की ओर बढ़ती है। माननीय मंत्री जी को इस भावना पर विचार करना चाहिये। हमारे कैदियों का ऐसा सुधार होना चाहिये कि उनकी यह भावना नष्ट हो जाय। जैसे जुविनाइल आफेन्डर्स हैं, २३ वर्ष के नीचे जो लोग आते हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाती है लेकिन जो इसके ऊपर आयें उनको भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। हर एक को मौका देना चाहिये जेल में लोग एक अवगुण को लेकर जाते हैं और १० अवगुणों को लेकर आते हैं। जेल में उनको इस लिये बन्द कर दिया जाता है कि पब्लिक में जा कर वह उसको फैला न सकें वहां उनका सुधार करने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता था लेकिन बाहर आकर उनको फिर दोबारा पकड़ कर जेल भेज दिया जाता था। ये चीजें होती थीं। लेकिन हमें यह रवैया बदलना चाहिये।

एक चीज की तरफ हमें और ध्यान देना चाहिये। वह यह है कि पुलिस के अन्दर जो ईमानदार आदमी हैं उनकी हम वक़त नहीं करते। हमारे आफिसर्स उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो आदमी आनेस्टली काम करता हो उसे सबसे पहले प्रोमोशन दिया जाय। अगर आप इन बातों को प्रोत्साहन देंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा।

एक चीज यह भी देखने में आती है कि पुलिस के खिलाफ जितनी शिकायतें आती हैं उनकी इंक्वायरी भी पुलिस के जरिये से ही कराई जाती है। पुलिस का आदमी उसे दबाने की कोशिश करेगा। हम यह नहीं चाहते कि आप उनको फांसी दे दें लेकिन जो जस्टिस डिमांड करता है उसे आपको पूरा करना चाहिये और यह कोशिश करना चाहिये कि जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें आयें तो उनका इन्वेस्टिगेशन सी०आई० डी० के जरिये से कराया जाय तो बहुत सुन्दर होगा। इन चीजों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे कई बातें सलाहन देनी हैं। यों तो आप देखते आये हैं कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से जनता में जो आशा थी वह निराशा में परिणत हुई। इन दिनों जिस तरह से डकैतियां होती हैं वह तो आप जानते ही हैं। इसी पिछले महीने में कानपुर के इलाके में करीब-करीब ८-१० ऐसे कत्ल हुये जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है जिससे कानपुर की जनता बहुत भयभीत हो गयी है। उसके भयभीत होने का कारण यह है कि पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती जब कि उसको साफ साफ तरीके से यह पता है कि कानपुर शहर में इतनी गुंडेशाही फैली हुई है, इतने बड़ेबड़े गुंडे वहां मौजूद हैं मगर उनके खिलाफ अभी तक कोई भी केस नहीं चलाया गया। इस होली के दौरान में भी पुराने कानपुर में जिस तरीके से एक पुराने गुंडे ने लोगों पर हमला किया है और जिससे पुराने कानपुर के रहने वालों को तकलीफ पहुंची है मगर उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती जिससे वह गुंडापन बन्द करे। वहां एक बहुत पुराना गुंडा है। उससे लोग इतने भयभीत हैं और इतने परेशान हैं कि वे कहते हैं कि कानपुर कि पुलिस गुंडाइज्म को दबाने के लिये तैयार नहीं है बल्कि भले आदमियों को दबाने के लिये हमेशा तैयार रहती है। जो भला आदमी रिपोर्ट लिखाने जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और बहुत देर लगाई जाती है और अगर लिखी भी जाती है तो सही नहीं लिखी जाती है। इसी तरह से जो आपस

[श्री हमीद खां]

में झगड़े होते हैं तो १०७ की कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है और रिपोर्ट लिखने में बहुत देर लगायी जाती है।

इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका कारण यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो छोटे तबके के कांस्टेबिल हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं जिसकी वजह से भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की वर्दी का हिसाब है। उनको वर्दी नहीं दी जाती है क्योंकि वर्दी में इस वक्त काफी रुपया लगता है और उनको करीब-करीब चार वर्दियां साल में जरूर बनानी पड़ती हैं। इसी तरह से कानपुर में जितने सब इंस्पेक्टर हैं उनमें से करीब-करीब दो या तीन के पास घोड़े होंगे, बाकी कोई भी घोड़ा इसलिये नहीं रखता है कि उनके पास खर्चा नहीं है। इसलिये जरूरत यह है कि उनको इतना भत्ता दिया जाय जिससे वे भ्रष्टाचार को बन्द करने में सहयोग दें और अपने कर्त्तव्य का ठीक ढंग से पालन कर सकें।

इसी तरह से मैं आपसे यह बता देना चाहता हूं कि कानपुर शहर में बहुत से ब्लैक करने वाले केस पकड़े गये मगर बहुतों में मुकदमा ही नहीं चलाया गया। कारण यह है कि जो असलियत होती है वह लिखी नहीं जाती है जिसकी बिना पर केस चलता है। यही वजह है कि करीब १,१६६ केसेज आपकी रिपोर्ट में दिये गये हैं मगर उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला गया और वे मिलओनर्स के हैं। जो मिलओनर्स की तरफ से भ्रष्टाचार किया जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि जिस गवर्नमेंट के पास इतनी सी० आई० डी० हो, जिस गवर्नमेंट के पास इतने बड़े-बड़े कर्मचारी हों वह उस शहर में भ्रष्टाचार को बन्द न कर सके यह बड़े अफसोस की बात है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दे कर इस भ्रष्टाचार को बन्द करायेंगे और पुलिस का जो छोटा तबका है उसको ज्यादा तनख्वाह दे कर और सब इंस्पेक्टरों को वर्दी और ज्यादा भत्ता दे कर उनको भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस के संबंध में जो अनुदान इस सदन के समक्ष है इस संबंध में माननीय गृह मंत्री ने जो अपना भाषण दिया उसको मैंने काफी ध्यान से सुना और उसके साथ-साथ पुलिस विभाग की तरफ से जो एक वार्षिक रिपोर्ट निकली है उसको भी मैंने पढ़ा। वार्षिक रिपोर्ट के अन्दर जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे यह पता चलता है कि हमारे इस प्रांत में जो क्राइम्स हैं उनमें प्रति वर्ष कमी होती चली आयी है और यह एक सुन्दर चित्र है। यह भी एक आश्वासन सा दिया गया है कि ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी व ठीक है। लेकिन जहां तक इन आंकड़ों का संबंध है वे असलियत को नहीं बताते। श्रीमन् जहां तक मेरा अनुभव है और जो जानकारी जनता के संपर्क से हमें होती है, उसको देखकर हमें अजीब हैरत होती है, क्योंकि देहातों में घूमने से जो चित्र हमें दिखाई देता है उससे वार्षिक रिपोर्ट वाला दृश्य बिलकुल ही दूसरा देखने में आता है। अभी जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय जनता को बहुत सी शिकायतें थीं उनमें बहुत सी शिकायतें तो मिट गयीं लेकिन अगर आप दौरा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी जो आम शिकायत बदअमनी की थी वह आज भी बराबर बढ़ती ही जा रही है। हालत यहां तक हो गयी है कि बहुत से स्थानों पर तो सूरज छिपने के बाद १०-२० रुपया लेकर भी घर से निकलना मुश्किल है, हिम्मत नहीं पड़ती। आज की परिस्थिति, विशेषकर देहातों की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों में से सेन्स आफ सिक्योरिटी खत्म ही होता जा रहा है। आज सबसे बड़ी चीज बदअमनी और गुन्डागिरी है जिसके लिये कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाना चाहिये।

एक नयी बीमारी जो देहातों में पैदा हो गयी है वह खेत काटने की शिकायत है। जो शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं उनसे यदि आंकड़े बनाये जायं तो २५ प्रतिशत खेती नाजायज तरीकों से काट ली जाती है या बर्बाद कर दी जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे क्योंकि खेत काटने की शिकायतों का रिकार्ड भी नहीं रक्खा जाता है और फिर ७५ फीसदी रिपोर्ट तो दर्ज भी नहीं की जाती हैं। जो आंकड़े यहां दिखाये जाते हैं, मैं समझता हूं कि उनमें काफी कमी के साथ काम लिया जाता है। अगर सरकार के पास सच्चे आंकड़े आयें तो सरकार को मालूम होगा कि जरायम की संख्या पहले से बढ़ी है। अगर डाका पड़ा है तो रिपोर्ट चोरी की लिखी जाती है या राहजनी की लिखी जाती है। इसलिये हम देखते हैं कि कम से कम यह विभाग उस प्रजातंत्र में जिसकी हम स्थापना आजादी के बाद करना चाहते हैं, अभी तक अपने आपको फिट नहीं कर पाया है। उसकी मनोवृत्ति अभी तक पुरानी ही चली आती है। अफसोस तो इस बात का है कि पहले जो पुलिस का आतंक रहता था वह भी आज नहीं रहा है। जो जरायम भय के कारण कम हो जाते थे वह आज भय के न रहने के कारण कम नहीं हो पा रहे हैं, और जो स्पिरिट पुलिस के अन्दर आनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं आ पायी है। इसलिये जो गुंडा एलीमेंट है वह दिन पर दिन बढ़ता जाता है, उस पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज में यह भी कहना चाहता हूं कि गुंडागीरी बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हथियारों को बहुत ज्यादा संख्या में बांटा जाने लगा है और उनके लाइसेंस इन्डिसक्रिमिनेटली दिये जाने लगे हैं उसका फल यह होता है कि जब हथियार गलत आदमी के हाथ में पहुंच जाता है तो उसका इस्तेमाल भी गलत होने लगता है। आमतौर पर यह शिकायत भी पायी गयी है कि कहीं-कहीं कुछ लाइसेंस होल्डर अपने कारतूस वगैरह डकैतों और बदमाशों को दे देते हैं या बेंच देते हैं।

इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो सके तो जो खाली और छोड़े हुए कारतूस होते हैं उनका रिकार्ड भी लोकल थानों में होना चाहिये। तो मुमकिन है कि इससे कुछ रोकथाम हो सके और बदमाशी में कुछ कमी आये। इसके साथ-साथ जो एक कठिनाई महसूस की जा रही है वह यह भी है कि जो हमारे अदालती कानून हैं उनकी वजह से भी काफी परेशानी होती है। पुलिस किसी को डकैती में पकड़ती है, या कत्ल में पकड़ती है और उसे जेल भेजती है तो आमतौर से हम यह देखते हैं कि ७० फीसदी मामलों में उनकी जमानत हो जाया करती है और वे जमानत पर छूट कर आ जाते हैं। जिसका फल यह होता है कि पुलिस के ७०-७५ फीसदी केसेज कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान श्रीमन् आपके द्वारा इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो तरीका है मैजिस्ट्रेट का बेल देने का, इसके लिये भी सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे आसानी से जमानत न होने पावे। इसके अलावा यदि भ्रष्टाचार वगैरह को भी हम देखें तो वहां भी कानूनी पेचीदगियों के कारण केसेज अमूमन कामयाब नहीं हो पाते। मैं केवल संकेत मात्र ही माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इधर भी उनको अवश्य ध्यान देना चाहिये। तीसरी बात मुझे यह भी निवेदन करना है कि बहुत से जो क्रिमनल केसेज ऐसे हैं जिनमें जूरी या असेसर बैठते हैं उनकी बाबत मेरी यह निश्चित राय है कि यह जो जूरी व असेसर का तरीका है उसको खतम कर देना चाहिये क्योंकि ज्यादातर यह देखने में आया है कि जूरी को भ्रष्ट (करेप्ट) करने की संभावना काफी अधिक रहती है जिससे सही न्याय नहीं हो पाता है और बदमाशों को काफी छूट मिल जाती है। तो माननीय गृह मंत्री जी इधर भी अपना ध्यान दें। मैं यह भी समझता हूं कि लॉ आफ़ एविडेन्स को भी बदलना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि अभी कहा गया है कि पुलिस में राष्ट्रीयता व मानवता की भावना आनी चाहिये तो उसूलन तो मानवता की बात ठीक ही है लेकिन इस संबंध में मुझे

[श्री नवल किशोर]

एक शिकायत यह भी है कि पुलिस ने अब डंडेबाजी में भी पहले से बहुत कमी कर दी है। मेरी अपनी राय यह है कि गुंडागीरी को खत्म करने के लिये उस तरीके को पुनः अपनाना पड़ेगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय। इतना भेदभाव तो होना ही चाहिये कि कौन आदमी शरीफ है और कौन आदमी बदमाश है। जो बदमाश और अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिये मानवता की बात चलने वाली नहीं है। आदर्श तो बहुत अच्छा है कि मानवता का व्यवहार हो लेकिन वे मानवता की बात को न समझ कर डंडे की बात को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो कम से कम बदमाश के साथ मानवता का सबक फिट नहीं होता है। इन शब्दों के साथ में श्रीमन्, आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा और यह आशा भी करूंगा कि इन चीजों के ऊपर ध्यान देकर जैसा कि मैंने निवेदन किया है और जो उनके ट्रेनिंग कालेज हैं वहां भी अगर उनके ट्रेनिंग का तरीका बदला जाय और उनकी पूर्ण मनोवृत्ति बदली जाय तो मैं आशा करता हूं कि काफी अधिक सुधार होने की सम्भावना है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जितना पुलिस में सुधार होना चाहिये उतना सुधार उसके अन्दर नहीं है। लेकिन हमारे समाज और हमारे हालात ऐसे हैं कि जब तक वह हालात और समाज तब्दील न हो तब तक पुलिस में सुधार नहीं हो सकता है। पुलिस कोई अनोखी चीज नहीं है। वह भी हमारे भाई हैं। जब तक हमारा करेक्टर बदलता नहीं है तो यह हालात कैसे बदलें। लेकिन यह देखना चाहिये कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने हुकूमत ली है उस वक्त से अब और पहले में कुछ तब्दीली है या नहीं। मेरे ख्याल में जहां तक पुलिस के जनरल बिहेवियर का सवाल है वह पहले से बहुत बेहतर है और उनके अन्दर कुछ इन्सानियत जरूर मालूम होती है और पहले जैसी बात नहीं रह गयी है। जिस सूरत में देहात या कस्बे में पुलिस बरतावा करती थी वह अब दिखाई कम देता है। यह भी कहा जाता है कि पुलिस का डिपार्टमेंट रिश्वतखोर है। मेरे ख्याल में रिश्वत सभी जगह चलती है और हर एक मुहकमे में चलती है। अगर मुहकमों को देखा जाय तो बहुत से मुहकमे ऐसे हैं कि जिनके अन्दर बहुत ज्यादा रिश्वत ली जाती है लेकिन चूंकि यह बदनाम मुहकमा है इसलिये उसकी बाबत हर शख्स शक करता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नया तरीका जो अख्तियार किया गया है उससे पुलिस ने क्या फायदा उठाया है यह समझ में नहीं आया। हर जिले में आदर्श थाने खोले गये हैं और उनकी बाबत यह कहा जाता है कि वहां पर सच्चे आदमी रहते हैं और वे बिलकुल रिश्वत नहीं लेते हैं। लेकिन क्या यह वाकया है कि जो थाने आदर्श खोले गये हैं वहां आनेस्ट आदमी रहते हैं और जो आदर्श थाने नहीं हैं वहां पर डिसआनेस्ट आदमी रहते हैं? गवर्नमेंट ने इन थानों की बाबत फर्क रखा है। मैं यह समझता हूं कि यह जो तरीका अख्तियार किया गया है, बिलकुल गलत है। हजूरवाला, मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर यह मालूम है कि सभी आदर्श थाने ज्यादातर डिसआनेस्ट होते हैं। मैं यहां पर किसी की पर्सनल बात को नहीं कहना चाहता लेकिन एक शख्स एक जगह पर काम करते थे और वह थानेदार ज्यादा ईमानदार नहीं कहे जाते थे लेकिन उनको एक थाने से आदर्श थाने में भेज दिया गया। अब आप बतलाइये कि जिनकी बाबत यह मालूम हो कि वह ईमानदार आदमी नहीं हैं उनको भी आदर्श थाने में भेज दिया जाता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो तरीका आदर्श थाने का रखा गया है यह दूर होना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही गलत तरीका है।

यह भी कहा जाता है कि चोरी और डकैती कम हो गयी। मेरे ख्याल में तो उनका औसत बढ़ गया है कमी नहीं हुई है। बल्कि डकैती के अन्दर जो कमी दिखाई जाती है यह दिखाने के लिये है। जो फिगर्स होते हैं वह आफिसर्स को दिखाने के लिये

बनाये जाते हैं । असल में चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन वह डी० आई० जी० को दिखाने के लिये ऊपर से नीचे तक उनसे यह कहा जाता है कि नक्शे में कम दिखलाओ ताकि यह मालूम न हो कि ज्यादा चोरी या डकैती होती है । मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिये। जो वाकया सच्चा हो उसकी उसी वक्त रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये। मेरे जिले हरदोई में काफी डकैती हुई हैं, चोरी भी होती हैं लेकिन दिखलाने के लिये उनको कम कर दिया जाता है । ज्यादातर ऐसा होता है कि ३९५ के केसेज को ४५८ में तब्दील कर दिया जाता है । यह अक्सर हर जगह पर होता है । मेरे कस्बे संडीला में डकैतियां हुई हैं, लेकिन उनको ४५८ में तब्दील कर दिया गया है । इन सब चीजों का सही बयान होना चाहिये ताकि इनसे यह मालूम हो सके कि आया हालत वैसे ही चल रही हैं या कुछ तब्दीली है । कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को जब यहां से जाना पड़ा तो हमारी हुकूमत के हाथ में यहां का एडमिनिस्ट्रेशन आया जिनको जापानी अफसरान कहते हैं, जो पुलिस में कांस्टेबिल से हेड कांस्टेबिल या सबइंस्पेक्टर से सुपरिन्टेन्डेन्ट हो गये हैं और जिनकी वही पुरानी आदत चली आती है रिश्वत वगैरह लेने की और जो ऊंचे ओहदे पर पहुंच गये हैं उनकी वह पहली आदत नहीं जाती है । ऐसे अफसरान की तरफ गवर्नमेंट को नजर रखना चाहिये और उनको इन खराबियों को दूर करना चाहिये। जो डायरेक्ट रिक्रूटेड अफसरान नहीं हैं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से ऊपर पहुंच गये हैं और जिनको खाने खिलाने की आदत पड़ी है उनको ठीक करना चाहिये और देखना चाहिये कि आया ऐसे अफसरान ईमानदार हैं या रिश्वत लेते हैं और किस सूरत से रिश्वत अब भी चलती है और जिन नाजायज तरीकों से वह आज भी फायदा उठा रहे हैं उनको रोकना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा यह सुझाव है कि एस०पी०, डी० आई० जी०, क्वार्टरली मीटिंग किया करें जिनमें तमाम एम०एल०एज० जमा हुआ करें और वह पब्लिक की तमाम शिकायतों को उनसे उस मौके पर सुना करें और जो कुछ जवाब वह देना चाहें दिया करें। हमारे डी०आई०जी० ऐसा करते हैं कि तारीख तय करके दौरे से पहले सब एम०एल०एज० को बुलाते हैं और वह तमाम पुलिस की खराबियों को सुनते हैं और वह जवाब देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हर जिले में एस०पी० और कप्तान साहब को हिदायत दे दी जाय कि वह अपने-अपने यहां इस तरह की मीटिंग किया करें। मैं समझता हूं कि इससे बहुत आसानी हो जायगी और पुलिस की बहुत सी कमियां दूर हो जायंगी ।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह है कि दफा ११० जो है उस में यह होता है कि जब कप्तान साहब सालाना मुआयना करते हैं तो वह कहते हैं कि ११० के मामलात बहुत कम हैं और इस तरह से ११० दफा के बदमाश बनाने पड़ते हैं। ऐसा न होना चाहिये । यह देखना चाहिये कि जो वाकई ११० में आते हैं उन्हीं पर केस चलाया जाता है या फर्जी भी मामले बनाये जाते हैं। ऐसा न होना चाहिये कि नक्शा देखकर कहा जाय कि सालाना फिगर बहुत कम हैं यह बढ़ाना चाहिये। इस चीज की तरफ मंत्री जी को ख्याल करना चाहिये ।

एक बात मैं पब्लिक के लाइसेंसेज के बारे में भी कहना चाहता हूं । जब लोग डी० एम० को एप्लाई करते हैं तो वह उस केस को गुड करेक्टर के लिये कप्तान साहब के पास भेज देता है। अब पुलिस वाले लाइसेंस के गुड करेक्टर के लिये सौ-सौ रुपया रिश्वत के लेते हैं और अगर कोई नहीं देता है तो वह करेक्टर को अच्छा लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं। वह साफ कहते हैं कि हम तुम को बन्दूक दिला रहे हैं कम से कम सौ रुपया दिलाओ। एक साहब का किस्सा मुझे मालूम है कि पुलिस ने उनका केरेक्टर खराब लिख दिया। इस पर उन्होंने नोटिस दिया और एफिडेविट दाखिल किया कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है। नतीजा यह हुआ कि सभी जानते थे कि वह एक शरीफ आदमी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने

[श्री ऐजाज रसूल]

पुलिस को कुछ नहीं दिया, इसलिये परेशानी पैदा कर दी गयी । डी० सी० ने उस फाइल को लिया । तो मैं ऐसे थानेदारों को जानता हूं जो यह जानते हुए कि शरीफ आदमी है, अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो रिपोर्ट खराब लिखी जाती है और उसको बन्दूक नहीं मिलती । यह चीज देखने की है और इन चीजों को दूर करना चाहिये ।

हुजूर वाला, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं कि यह कहना आउटराइटली , जैसा कि साधारण तरीका हो गया है कि अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो वह यह समझेगा कि हमको बुरा कहा जाता है तो बुरे ही रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है । जहां तक कोशिश हो बुराई के साथ जो कोई अच्छाई है उसकी तारीफ भी करनी चाहिये । आप को देखना चाहिये कि ला ऐंड आर्डर की कमी है । सन् ४७ में जब कि पुलिस थी और उस वक्त क्या-क्या हालात थे । इस वक्त जो हालात हैं वह रोज-बरोज खराब होते जा रहे हैं और अगर पुलिस न हो और इससे ज्यादा मुस्तैदी से काम न करे तो सूबे के हालात बहुत खराब हो जायं । तो यह कहना कि पुलिस के पास ही थाने में १२ कांस्टेबिल और दो ज्यादा से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं उन से काम चल सकता है यह गलत है । उनका एरिया ११० गांव का या ११५ गांव का होता है और उनको रात दिन इनवेस्टीगेशन करना होता है और क्राइम को प्रिवेंट करना होता है । लोग आजकल एजूकेटेड होते चले जाते हैं । जमाना बदल गया और जमाने के साथ पब्लिक भी बदल गयी । इन हालात में पुलिस कम है, पुलिस का बजट कम है और यह कहा जाता है कि उसमें कमी हमने कर दी, पर मेरे खयाल में पुलिस का बजट बढ़ना चाहिये । क्योंकि अगर मुल्क की और सूबे की हालत दुरुस्त न हुई और अगर रोज-बरोज क्राइम बढ़ते रहे और बदअमनी बढ़ती गयी तो उसका नतीजा यह होगा कि मुल्क की जो तरक्की और डेवलेपमेंट है वह सब बन्द हो जायेंगे । तो पहले तो लालेसनेस को दूर करना चाहिये और वह तभी दूर हो सकती है जब आप स्टाफ ज्यादा बढ़ायें, पुलिस कांस्टेबिलों को ज्यादा बढ़ायें । जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तरीका बना दिया, देहात में वही १०-१२ कांस्टेबिल और दो थानेदार होते हैं । तो यह तो इकबाल है जिसकी वजह से काम चलता आ रहा है, लेकिन अगर लालेसनेस बढ़ी तो मुसीबत हो जायगी ।

मुझे इस से ज्यादा कहना नहीं है । जो बजट हमारे मिनिस्टर साहब ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं ।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान सब से पहला अनुदान है जिसके बारे में दोनों पक्ष के लोगों की एक ही राय है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस में बहुत सारी खराबियां हैं, जुर्मों की संख्या बढ़ रही है इसमें दो रायें नहीं । लकिन इधर हमारी सरकार है कि इस मामले में अपनी तारीफ के पुल बांधे चली आती है । अपनी सालाना रिपोर्टों में, प्रकाशन विभाग की पुस्तकों में हम रात दिन इन तारीफों की भरमार देखते हैं और देखते हैं कि सरकार इस बात की कोशिश करती है कि साल ब साल पुलिस की वजह से जुर्मों में कमी दिखाई जाय ।

मैंने पुलिस विभाग के संबंध में पिछले साल की और इस साल की वार्षिक रिपोर्टें भी देखी । मैं आंकड़ों के जंजाल में तो नहीं फंसना चाहता और न मैं इस साइंस का विद्वान हूं, जैसे कि श्री परिपूर्णानन्द, माननीय सम्पूर्णानन्द जी और मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं लेकिन मैं मोटे से आंकड़े रखना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार ने बिलकुल निराधार इस बात को जाहिर करने की कोशिश की कि जुर्मों में रात दिन कमी होती चली आ रही है । एक रिपोर्ट जो सन् ५१ की है उसमें अपराधों की तालिका देखी जाय तो उसमें डकैती की संख्या सन् १९५० में ८७९ दिखाई हुई है और अगर हम सन् १९५२ की रिपोर्ट देखें तो उसमें सन् १९५० में ८२२ डकैती की संख्या है ।

इसी तरह अगर हम ५१ की पिछले साल की रिपोर्ट को देखें तो डकैतियों की संख्या ८१७ है। इस साल की जब रिपोर्ट देखते हैं तो ७६२ है। इसी तरह से राहजनी में भी कमी दिखाई गई है, हत्याओं तक के आंकड़ों में तफावट है। जो जुर्म इतनी अच्छी तरह से पुलिस में रिकर्ड होते हैं, पुलिस की रिपोर्ट में उन जुर्मों को कम दिखलाया जाता है, और अगर इस साल भी और कम करने की गरज से तब्दीली कर दी गई तो असम्भव नहीं। कौन सी ऐसी चीज है कि हम इन रिपोर्टों को सच्ची समझें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १९५२ के जो आंकड़े दिये गये हैं वह भी निर्मल मालूम पड़ते हैं। इसके लिये मुझे अफसोस है और बड़े क्षोभ के साथ ये बातें माननीय गृहमंत्री की नोटिस में लानी पड़ती हैं। अगर जैसा कि हमारे बहुत से मित्रों ने यहां पर कहा, जुर्म सही तौर पर दर्ज हों तो जाहिर होगा कि आज जुर्मों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और आज सारी जनता में भय और आतंक का वातावरण फैल गया है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जुर्मों में न्यूनता आ रही है, क्योंकि जुर्म बढ़ने का कारण भी है। बेकारी की समस्या है, आर्थिक समस्या है, इसके अलावा इन कारणों से लोगों का मारल भी बहुत गिर गया है। ऐसी दशा में, और ऐसे वातावरण में जब तक सरकार इन समस्याओं का हल नहीं करती तब तक किसी प्रकार जुर्मों में न्यूनता नहीं आ सकती। अगर मैं यह भी कहूं कि जुर्मों के बढ़ाने में पुलिस एक हद तक जिम्मेदार है तो शायद कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस बात के उदाहरण मौजूद हैं। जब कोई आदमी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब कि चुनाव के फल की घोषणा के पश्चात् पुलिस का थानेदार मास अरेस्ट करता है। सब गांव वाले मिल कर रिश्वत देने के लिये रुपया इकट्ठा करते हैं। उस शिकायत को गांव वाले एस०डी०एम० से करते हैं। एस०डी० एम० थानेदार का रिश्तेदार निकलता है। वे अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को भेजते हैं उसके बाद क्या होता है? थानेदार की इन्क्वायरी के लिये सर्किल इंस्पेक्टर जाता है। मेरे खयाल में किसी सर्किल इंस्पेक्टर ने शायद ही कभी किसी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की हो। इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं कि थानेदार लोगों ने औरतों की इज्जत को भी लूटा। अगर कोई उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता है तो नतीजा यह होता है कि १८२ उन पर चलाया जाता है। अगर लोगों में जुर्मों को कम करने का वातावरण पैदा हो जाय तभी जुर्म कम हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो देखनी है वह यह है कि अगर हम थोड़ी देर के लिये माननीय गृह मंत्री की इस रिपोर्ट को मान भी लें कि जुर्मों में कमी हो रही है तो उसकी सफलता का पैमाना तो इसी से हो जाता है कि लोगों के अन्दर सच्चाई और ईमानदारी का प्रादुर्भाव हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं तो इस किस्म की गलत रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं होता। अगर डर की भावना के कारण यह सब कुछ समय के लिये हो भी तो भी कैसी भी कल्याणकारी सरकार क्यों न हो इन जुर्मों में कमी नहीं हो सकती।

मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था और इस साल भी अर्ज करता हूं कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर सरकार पुलिस को जबरदस्ती लादे हुए है। मैं अपने जिले टेहरी गढ़वाल का उदाहरण देता हूं। वहां पर बहुत छोटे छोटे जुर्म होते हैं जो पंचायत की समाअत के काबिल होते हैं। पुलिस को तो वहां मक्खी मारनी पड़ती है। इसके अलावा जब पुलिस वालों को वेतन कम मिलता है, उनको कोई हिल एलाउंस भी नहीं मिलता तो अगर कोई अदना सा जुर्म भी हाथ लगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं। जिसे आम तौर पर मुर्गी फंसना कहा जाता है। यहां पर मैं आज भी देखता हूं और माननीय गृह मंत्री जी इस बात की जांच करायें, जरायम का रजिस्टर देखें कि किस किस्म के जुर्म हुआ करते हैं। जिलाधीश या किसी दूसरे अधिकारी की निराधार रिपोर्ट का अवलम्बन न करें।

[श्री सत्य सिंह राणा]

यहां भी जैसे कि और पहाड़ी ग्रामों में हुआ करता है पटवारियों को पुलिस पावर्स दी जानी चाहिये। पटवारी वहां पर बाकायदा लोकल ट्रेंड हुआ करते हैं। उनसे यह काम लिया जाय और फिजूल का पैसा जो खर्च होता है वह न हो। इसलिये माननीय गृह मंत्री जी इस दिशा में भी सोचें और इस बात की जांच करें कि फिजूल का पैसा जो इतनी बड़ी पुलिस पर जाया किया जाता है वह वहां की तरक्की में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनता में जैसा मैंने पहले कहा कि, भय और आतंक फैला हुआ है पुलिस की वजह से। उसका क्या कारण है? जनता नहीं समझती अपनी जिम्मेदारी को, और अपने कर्त्तव्यों को। वह यह नहीं समझ पायी है कि पुलिस हमारी सेवा और रक्षा के लिये है न कि हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिये। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारी सरकार हर एक चीज को केन्द्रीयकरण की ओर ले जा रही है। लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाले, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करे और पुलिस का भी रवैया बदले, वह अपने को जनता का सेवक समझे तभी यह भय और आतंक दूर हो सकता है। मैं विशेष कुछ न कह कर फिर गृह मंत्री जी से अपने जिले के मुताल्लिक अर्ज कर देना चाहता हूं कि पुलिस की पावर्स वहां पर पटवारियन के सुपुर्द की जायं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो पुलिस में बहुत से सुधार हो रहे हैं लेकिन जो इफिशियेंसी होनी चाहिये थी और उसमें सुधार जरूरी होने चाहिये थे वे नहीं हो पा रहे हैं। कानपुर में फ्लाइंग स्क्वैड जो बनाया गया है उसका अनुभव मुझको बहुत अच्छा है और मैं यह समझता हूं कि यह सुधार सबसे अच्छा है। मैं चाहता हूं कि टेलीफोन की व्यवस्था जिन शहरों में हो उन शहरों में यह व्यवस्था चालू की जाये। कहीं जुर्म हो रहा है लेकिन पुलिस वाले यह कहते थे कि पहले रिपोर्ट लिखाओ तब कुछ होगा लेकिन अगर हम टेलीफोन करते हैं तो फौरन् फ्लाइंग स्क्वैड आ जाता है। एक घटना मैं आप को बतलाता हूं कि रावतपुर गांव में एक कत्ल हुआ और उसकी लाश दो रोज तक घर के अन्दर पड़ी रही लेकिन किसी की हिम्मत यह न हुई कि वह उसकी रिपोर्ट करे और वह अस्पताल में पहुंचायी जाय। जब फ्लाइंग स्क्वैड को टेलीफोन किया गया, तब आप यकीन मानिये कि शायद बीस मिनट में वे लोग पांच या छः मील पहुंचे, जिसमें आध या पौन मील कच्ची सड़क भी रही होगी, उस लाश को वहां से ले आये और वह लाश अस्पताल पहुंचा दी गयी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो इसमें कर्मचारी काम करते हैं, जैसे दारोगा लोग, मैंने सुना है कि उनको वह एलाउंस नहीं दिया जाता है जो दूसरे दारोगाओं को दिया जाता है। मेरा यह सुझाव है कि उसको एलाउंस देना चाहिये क्योंकि यह बड़ी अच्छी सर्विस है और इससे कानपुर की जनता को खासतौर से बहुत लाभ पहुंचा है।

मेरे क्षेत्र में एक आदर्श थाना भी है। मेरे एक भाई ने आदर्श थाने की अभी तारीफ की। मुझे अफसोस है कि उन्हीं शब्दों में मुझे भी कहना पड़ रहा है। उस आदर्श थाने के अन्तर्गत पिछले दो तीन महीने के अन्दर छ-सात चोरियां हुई हैं और एक क़त्ल भी हुआ है जिसका हाल मैंने बतलाया लेकिन उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, चोरियों का कोई पता नहीं। यह आदर्श थाने की हालत है। मेरा सुझाव है कि आदर्श थाने में से आदर्श शब्द निकाल देना चाहिये और ऐसे थाने बन्द कर देना चाहिये।

हर थाने में कम्प्लेंट बुक की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी पहुंचते हैं जो रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कोई कहता है कि हमको रिश्वत दो, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर थाने पर, जिस तरह से स्टेशन्स पर, बस में होता है कम्प्लेंट बुक रहनी चाहिये। यदि कोई आदमी पुलिस के खिलाफ लिखने की हिम्मत रखता हो और वह लिखे और यदि किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसको दंड दिया जाय।

मेरे यहां कानपुर में इसमें शक नहीं कि पुलिस में काफी सुधार हुए हैं। अभी हमने देखा कि वहां चार-पांच चौकियां तीन-चार लाख रुपये की लागत से बड़ी सुन्दर बनी हैं। गोविन्दनगर

में जो चौकी बनी है, उसमें टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन न होने की वजह से वहां एक दुर्घटना हो गयी जिसको आप ने अखबारों में पढ़ा होगा। जगन्नाथ स्वाधीन, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका मर्डर हुआ। वह जगह कोतवाली से चार पांच मील की दूरी पर है, इसलिये कोई सूचना न पहुंचने की वजह से मौके पर कोई गिरफ्तारी न हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी जो खास कल्प्रिट है वह गायब है। मेरा सुझाव है कि वहां पर टेलीफोन की फौरन् व्यवस्था होनी चाहिये।

कुछ दिन पूर्व यहां पर हम लोगों ने एक कानून पास किया था कि सिगरेट सिनेमा घरों में न पी जाय। मुझे मालूम हुआ कि शायद लखनऊ में तो वह कानून लागू हो गया है लेकिन कानपुर में उसका कोई पता नहीं है। वहां लोग सरासर सिगरेट पीते हैं लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको कानपुर में भी इंफोर्स किया जाय।

मैं एक दिन जेल का निरीक्षण करने गया था। वहां एक क़ैदी मुझे मिला। उसने कहा कि कल मैं १०९ में छूटा हूं और आज मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि यह बात अनुचित है क्योंकि १०९ ऐसे लोगों पर लागू होती है जिनके संबंध में कुछ शिकायतें होती हैं। जो शख्स साल भर सजा काटने के बाद छूटता है और दूसरे दिन १०९ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह बात ठीक नहीं है। पहले इंक्वायरी होनी चाहिये, जांच होनी चाहिये, तब इस तरह की चीजें होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस का बजट आज भवन के सामने उपस्थित है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सुझाव के तौर पर दो चार बातें मंत्री महोदय के सामने रखने की चेष्टा करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उनपर विचार करेंगे। पुलिस विभाग अंग्रेजी हुकूमत के समय में एक ऐसा विभाग बन गया जो कि अंग्रेजी हुकूमत को ही यहां कायम करना चाहता था। वर्तमान पुलिस उन्हीं की (लीगेसी) देन है। वह सरकार भी एक पुलिस सरकार ही कहलाती थी। मगर जब हमने अपने देश में एक प्रजातांत्रिक राज्य क़ायम किया तो यह जरूरी हो गया कि इस राज्य में जो पुलिस हुकूमत पुरानी थी उसमें एक बड़ी भारी तबदीली लायी जाय। क्योंकि जब हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस से कल्याणकारी राज्य की हुकूमत की पुलिस में बड़ा भारी परिवर्तन हो। तो मैं चाहूंगा कि यहां की इस सारी मशीनरी में एक बड़ा भारी परिवर्तन लाया जाय ताकि जनता में एक ऐसी श्रद्धा पुलिस डिपार्टमेंट के लिये बढ़े और वह समझने लगे कि पुलिस हमारी लाइफ़ ऐंड प्रापर्टी सेव (जान व माल की हिफाजत) करने के लिये है और ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन (अमन चैन क़ायम) करने के लिये है और सही मानों में जनता की सेवा करने के लिये यह एक (आर्गेनाइजेशन) संस्था है। यदि कुछ कारणों से सरकार इसमें परिवर्तन नहीं ला सकती है तो मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि कम से कम जो अंग्रेजी हुकूमत के नाम व पहनावा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है उसमें ऐसी तब्दीली हमारे देश में लायी जाय ताकि जो हमारी संस्कृति है और जो शिष्टाचार है उसके मुताबिक हमारी पुलिस हो। मेरा तात्पर्य यह है कि पुलिस शब्द को ही बदल दिया जाय जिससे लोगों को घृणा है और कोई ऐसा ही शब्द हिन्दी में हमारे माननीय मंत्री उसको ज्यादा समझ सकते हैं, उसे लायें जिससे भावना बदले और उसके अलावा इंस्पेक्टर जेनरल, डी० आई० जी० और एस० पी० के जो नाम हैं उन्हें तब्दील करने की जरूरत है। इसके बाद मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो घूसखोरी बहुत ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में प्रचलित है उसको बन्द करने के लिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊंगा कि पुलिस में डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स के जो कि आर्मी से बहुत सी फौज कम हो जाने की वजह से आ गये हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय और उनको पुलिस में भर्ती किया जाय तो बहुत कुछ घूसखोरी में कमी हो सकती है। इसके अलावा स्त्रियों को भी चाहूंगा कि उनके लिये पुलिस में जहां बहुत कम शारीरिक परिश्रम (फ़िज़िकल लेबर) करना पड़े ऐसी जगहों पर उन्हें रखा जाय। इन बातों के अतिरिक्त थोड़े शब्दों में मैं अपने (कांस्टिटुएंसी) निर्वाचन क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि टनकपुर

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

को कि पहाड़ का हिस्सा है जिसमें कुमायूं के लोग बहुत से रहा करते हैं वह टनकपुर का हिस्सा हाल ही में पीलीभीत के थाने के अन्दर मिला दिया गया है जिससे पहाड़ी जनता को बहुत तकलीफ है। वैसे तो टनकपुर जिला नैनीताल में है और पुलिस के लिये यह पीलीभीत में है। इससे उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और टनकपुर को जिला नैनीताल में ही पुलिस डिपार्टमेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा माननीय मंत्री जी एक ओर और ध्यान देना है और वह यह है कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) का इलाका तिब्बत और नैपाल से मिला हुआ है। इन इलाकों में जितनी भी पुलिस है अगर उन्हीं इलाकों से ली जाय तो बेहतर होगा। क्योंकि वहां इलाकों में एक तो बेकारी बहुत है और उन इलाकों में वहां की ही पुलिस ज्यादा कामयाब हो सकती है बजाय इसके कि देश के मैदानी हिस्सों से जाय जो कि पहाड़ों में चल भी नहीं सकते उन्हें भी बहुत कुछ तकलीफ़ रहती हैं। इन इलाकों से वह वाकिफ नहीं होते। इसलिये जो भूटियां हैं और डीमोबिलाइज्ड सोलजर्स हैं उनको रक्खा जाय तो बेहतर होगा। पुलिस को हिदायत दें कि टनकपुर से पिठौरागढ़ तक K. M. O. U. की बसें चलती हैं वहां कई बसें टूटी फूटी हालत में हैं और पुलिस का कोई ठीक प्रबन्ध न होने से ओवरलोड की जाती हैं। सड़क भी बहुत खराब है और कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त मेरी प्रार्थना यह है कि पिठौरागढ़ में तार की लाइन का ठीक प्रबन्ध नहीं है। अच्छा होता यदि वहां टेलीफ़ोन की लाइन बन जाती। एक दफ़ा एक खून का केस हुआ, तार की लाइन ठीक नहीं थी और वह खूनी भाग गया। यदि तार की लाइन वहां होती तो ऐसा नहीं होता। मैं अधिक समय नहीं लेकर यह आशा करूंगा कि मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कल्याणकारी राज्य में किस तरह की पुलिस होनी चाहिये उसका नग्नरूप तो आज सुबह हमने इस काउन्सिल हाउस के सामने जो बाहर पुलिस खड़ी है उसमें देख लिया है। जब हम हिटलर या मुसोलनी का इतिहास पढ़ा करते थे तो हैलमैट की बात सुना करते थे कि जर्मनी की फौज के पास यह होता है और जहां वह जाती है आतंक सा छा देती है। जो चित्र आज हमने देखा वह बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। हैलटशाही के समय जब सन् ४२ का आन्दोलन हुआ था उस समय भी हम ऐसे ही चित्र देखा करते थे। लेकिन आज जब हम एक नये साल में कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करने जा रहे हैं तो जो रूप हमने आज देखा उसे देख कर जो निराशा हुई उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी पुलिस यहां खड़ी थी केवल उन अध्यापकों को डराने के लिये जो लखनऊ में आकर सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह, कर रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की तारीफ़ हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने की थी और माननीय गृह मंत्री जी के लिये तो मैं क्या कहूं, उन्होंने जो सप्लीमेंट्री बजट के समय पुलिस को एक सर्टीफ़ीकेट दे दिया था कि उन्हें गर्व है कि ऐसी पुलिस हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं है। मैं यह जानता हूं कि पुलिस में अच्छे आदमी भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस के सभी लोग खराब हैं या यह डिपार्टमेंट बिलकुल वाहियात है। कोई भी गवर्नमेंट आवे उसका पुलिस विभाग होगा और रहेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि गिव दि डेविल हिज ड्यू यानी जब हम किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसका असर यह होता है कि उसकी हम तारीफ़ करते हैं उसकी ओर आफ़त आ जाती है। अगर हम किसी की काट करना शुरू करते हैं तो इस सदन में कहा जाता है कि वह यहां नहीं हैं इसलिये उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारी बड़ी मुसीबत है। हमारे ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि देखिये पुलिस में कितनी तब्दीली हो गयी और कम से कम उनका व्यवहार तो अच्छा है ही। मैं जानता हूं कि जब आई० जी० साहेब या डी० आई० जी० साहेब कोई भारी दावत करते हैं तो उसमें उनको बुला लेते हैं और पहले भी जब वह मुस्लिम लीग में थे तो बुला लिया करते थे। हमको नहीं बुलाते, न आई० जी० और न डी० आई० जी० क्योंकि हमसे तो वे बोलते हुए भी डरते हैं कि किसी कांग्रेसी ने कहीं देख लिया तो मुसीबत हो जायगी।

वह तो कह देंगे कि पुलिस वाले सोशलिस्टों से बातें करते हैं।

श्री ऐजाज रसूल—हम आपके लिये उनसे सिफारिश कर देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आप फिक्र छोड़ दीजिये। हमें तो जहां जाना होता है उनके बिना बुलाये ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन माननीय ऐजाज रसूल साहब को दावत मिल जाती है या उनको फायदा पहुंच जाता है इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रांत को पुलिस अच्छी है। पुलिस क्या क्या जुल्म कर रही है, अगर मैं अकेले किसी का नाम लूं तो यह कहा जायगा कि वह सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वे क्या क्या जुल्म कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हमारे पुलिस मंत्री के ऊपर है। बांदा में हाल ही में १० जनवरी को एक बयान निकला जिसमें रामसनेही जी भारतीय, जो एम०एल०ए० हैं उनका नवजीवन में एक लेख निकला कि बांदा में पुलिस की क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। गृह मंत्री जी ने उस ओर जरूर ध्यान दिया होगा। और भी जगह ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे जिले से आ रहा हूं जहां पर सीधे सादे पटवारी वहां की पुलिस का काम देते हैं और वही वहां के थानेदार समझे जाते हैं वहां चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, और कभी कभी कत्ल हो जाया करते हैं। इस तरफ मैंने एक खबर पढ़ी थी कि तिब्बत से हमला होने का डर है इसलिये अल्मोड़े में वायरलेस सेट लग रहा है और पुलिस वहां भेजी जायगी। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जहां चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, वहां अब पुलिस के पहुंचने से डकैती भी होने लगेगी, और चोरियां भी होने लगेंगी। खाली पुलिस पहुंचा देने से काम नहीं चलेगा। जब तक सड़कें नहीं होंगी दस पांच पुलिस के सिपाही को तो हम एक कमरे में बंद कर सकते हैं और जब तक आपकी पल्टन पहुंचेगी तब तक उनका इलाज हो जायगा। तो वायरलेस सेट वहां लग रहा है। और हमने यह भी खबर सुनी है कि स्काटलैन्ड यार्ड से कुछ कुत्ते मंगाये जा रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अन्देशा है कि जब ये सीखे सिखाये कुत्ते उत्तर प्रदेश में आ जायेंगे तो यहां अन्ट्रेन्ड पुलिस के सिपाहियों की सोहबत में आ कर वे कुत्ते भी न खराब हो जायं। मैं यह मानता हूं कि पुलिस के जो लोग हैं वे हमारे भाई हैं। मैं यह मानता हूं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं और छोटे छोटे सिपाहियों से मेरी कोई शिकायत भी नहीं है लेकिन जब किसी पुलिस आफिसर के खिलाफ शिकायत कीजिये तो उसपर कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट की प्रेस्टिज चली जाती है। सारा डिपार्टमेंट एक हो जाता है और समझता है कि गजब हो जायगा और ऐसा करने से सारे डिपार्टमेंट के ऊपर बदनामी आयेगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि इसमें डिपार्टमेंट की प्रेस्टिज का क्या सवाल है। क्या उनके कारनामों से माननीय गृह मंत्री जी की प्रेस्टिज सदन में नहीं खराब हो रही है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि "गिव दि डेविल इट्स डू यू' जो पुलिस के अफसरान बहुत अच्छे हैं उनकी तरक्की होनी चाहिये लेकिन जहां खराबियां हैं उनके लिये हमारी बातों को भी सुनिये, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमें झूठ मूठ के लिये तो पुलिस से लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं होता। हम तो साफ साफ कहते हैं कि पुलिस का रुख बिलकुल नहीं बदला। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जो पुलिस का रुख था उससे कहीं बदतर हमारे प्रांत की पुलिस है। हमारे सदन के जो माननीय मेम्बरान कांग्रेसी हैं वे अनुशासन से बंधे हुए हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं लेकिन अगर उनसे पूछा जाय कि तुम्हारे इलाके में किस किस तरह से पुलिस जुल्म कर रही है तो वे कभी छिपा नहीं सकते और अगर छिपाना भी चाहें तो कब तक छिपावेंगे। एक दिन अवश्य आने वाला है जब इसका भंडाफोड़ होगा। हम सवाल यहां पूछते हैं उनका जो जवाब हमें मिलता है, उससे हमें मान लेना चाहिये कि यह तो सिर्फ लीपापोती होती है उन शिकायतों को दबाने के लिये इतना जरूरी है कि हमारे माननीय मंत्री कभी कभी साफ बातें करते हैं लेकिन जब से उन्होंने यह रुख अख्तियार किया है कि हमारे प्रांत की पुलिस आदर्श है तब से पुलिस वालों का पारा ऊंचा हो गया है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

से झगड़े और चोरियां बढ़ रही हैं जैसा कि आपको १९५१ की रिपोर्ट से मालूम हो जायगा कि ये क्राइम्स वगैरह किस तरह से बढ़ रहे हैं। १९५२ की रिपोर्ट जो निकलेगी उससे मालूम हो जायगा कि क्राइम्स की क्या प्रोग्रेस हो रही है। रोज यह सुनने में आता है कि फलां लड़की भगा दी गई। लखनऊ के अन्दर लड़कियां सिनेमा घर से आ रही थीं तो पुलिस वाला उठा कर ले गया। कानपुर में कुली बाजार का केस हुआ। उसमें भी पुलिस वाले शामिल थे और पुलिस वालों को सजा हुई। जब पुलिस वाले ही यह काम करेंगे तो उन पुलिस वालों की तारीफ के पुल बांधना, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हमको यह शोभा नहीं देता।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज पुलिस लाक-अप में किस तरह से लोग सताये जा रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि बगैर मारे जुर्म साबित नहीं होता, जब तक मारोगे नहीं तब तक वह कबूल नहीं करेगा। इसलिये मारना जरूरी है। लखनऊ का किस्सा देखिये। अभी हाल में ८ तारीख की रात को करीब ९ बजे एक हवालाती मर गया। उसको हवालात में पुलिस ने इतना मारा कि वह अस्पताल में जा कर मर गया। ४ तारीख को गिरफ्तार करके ८ तारीख को जेल भेजा गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इसकी हालत बहुत खराब है तो उसको बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया गया। उसके इतने घाव थे कि वहां वह मर गया। जब हवालात में उसको ले गये थे तब उसके एक भी घाव नहीं था। ५२ जिले का यह प्रांत है और साढ़े छ करोड़ इसकी आबादी है। अगर एक-एक जिले का किस्सा मैं कहना शुरू करूं तो एक लम्बा इतिहास बनेगा।

हमारे मंत्री महोदय ने आदर्श थानों की बात कही। आदर्श थाने वे थाने हैं जिनमें पुलिस वाले कांग्रेस वालों से मिल कर घूस लेते हैं, यह परिभाषा आदर्श थानों की यहां बताई गई है। ये आदर्श थाने सब बन्द किये जाने चाहिये। आदर्श के नाम पर वहां जुल्म किया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी पुलिस में सुधार होना चाहिये। यह ठीक है कि अगर पुलिस के साथ हमारा रवैया अच्छा रहेगा तो पुलिस हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी लेकिन जो पुलिस वाले बदमाशी करते हैं उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये। उनका प्रोमोशन रुकना चाहिये। जब कोई बदमाशी करता है तो अफसर हम लोग ही उसकी सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले यह नहीं समझते हैं कि वे सरकारी नौकर हैं वह यह समझते हैं कि वे कांग्रेस वालों के नौकर हैं, वे एक आर्गनाइजेशन के नौकर अपने को समझते हैं उनको चाहिये कि वे अपना काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस वालों का कोई दखल न होना चाहिये। इसलिये एडमिनिस्ट्रेशन, अध्यक्ष महोदय, तभी सुधर सकता है जब कि ये बड़े बड़े अफसर और आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० अपने को सरकार का नौकर समझें। सारी गड़बड़ी इनसे ही होती है। सिपाही बेचारा तो सबसे डरता है। सबको सलाम करता है। लेकिन अगर उनके दिमाग में यह जाय कि हम इस प्रांत की जनता के सेवक हैं न कि किसी पोलिटिकल पार्टी के सेवक हैं तो उस समय हमारे प्रांत की पुलिस आदर्श पुलिस हो सकती है। लेकिन यह नहीं है, उसके लिये फिजा पैदा करनी होगी और वह फिजा तब पैदा हो सकती है जब हम सब लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन से हाथ अलग रखें। अगर हमारे बीच में कोई गलत आदमी है तो उसको फंसने दिया जाय। हम तो अपनी कांस्टीटुएंसी को नष्ट इस तरह से करते हैं कि अगर कोई बदमाश है तो उसको छुड़ायें ताकि अगले चुनाव में हमें अच्छी तरह से वोट दिलाये। अगर यह हमारा उद्देश्य है तो कभी कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। हमारे ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि हम बिगड़े हुए हैं। यह तो रोज कहा जाता है, जब साल में बजट आता है तो यह एक बोगी रखी जाती है कि इतनी

गड़बड़ी है, इतना ला ऐंड आर्डर में डिस्टरबेंस है, इतनी जान खतरे में है। नतीजा यह है कि ८ करोड़ रुपया पुलिस विभाग पर खर्च हो रहा है मगर उससे कोई खास राहत हम लोगों को नहीं मिल रही है। यह बात तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सभी यह कहेंगे कि जो आज पुलिस का रवैया है उससे तो अंग्रेजों के जमान में अच्छा था कि कम से कम शिकायत तो सुनी जाती थी। आज तो निडर हो कर वे लोग जो चाहे सो करते हैं। हां, यह जरूर करते हैं कि उस इलाके के जितने एम०एल०ए० लोग हैं उन सब के पास दरबारदारी कर आते हैं। यह उन्होंने कर लिया फिर जो चाहें ग़ज़ब ढा सकते हैं। ऐसी आदर्श पुलिस हमारी है। हमारे सारे ७८ करोड़ के बजट का ८ करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च किया जा रहा है। अस्पतालों पर इतनी रकम खर्च होती या शिक्षा पर खर्च होती तो एक बात भी थी। अध्यापक लोग हैं जान देने के लिये तैयार हो रहे हैं। उनके पास खाने का साधन नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है कि अपने बच्चों की गुजर कर सकें, पुलिस के लिये रुपया खर्च किया जाना ठीक है, यह मैं नहीं कहता कि पुलिस न रखी जाय, हर गवर्नमेंट पुलिस रखती है, हम होंगे तो हम भी रखेंगे, लेकिन यह देखना चाहिये कि जनता को उससे कितना फायदा हो रहा है। कुछ तो राहत जनता को पुलिस से मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे जो बहुत से जिले हैं जहां कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अवश्य कुछ खयाल करें। सीतापुर में हाल ही में यह हुआ कि एक थानेदार साहब के नौकर को बाजार में कुछ लोग जा रहे थे उन्होंने गाली दे दी। नौकर ने जा कर दरोगा जी से कहा साहब, फलां आदमी ने हमें गाली दिला दी। दरोगा पुलिस को लेकर आ गये और आपस में झगड़ा हुआ और वह गोली से मार दिया गया। यह आतंक है पुलिस का और पुलिस के सिपाही को किसी ने कुछ नहीं कहा। बुलन्दशहर में हमारे कुछ सोशलिस्ट सत्याग्रही एक जमींदार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे जमीन के लगान वगैरह के बारे में। हमारे डी० आई० जी० साहब भी बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और जिन जमींदार साहब के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था वह उनके रिश्तेदार हैं। सत्याग्रह बंद हो गया। पुलिस को यह हुक्म हुआ कि जिन किसानों ने सत्याग्रह किया उनके खिलाफ दनादन किसी न किसी मामले में कार्रवाई करो। आप इन्क्वायरी करा लीजिये मालूम हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह की कोई चिट्ठी है, यह तो इशारों से काम होता है। तो जिस तरह ये सब चीजें हो रही हैं अगर ये ही रहीं और हमारे गृह मंत्री जी अगर इसी तरह से पुलिस की बराबर तारीफ करते रहे तो फिर भगवान ही मालिक है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में सब बुरे ही हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी तारीफ कीजिये और जो बुरे हैं उन्हें निकालिये। एक हमारे यहां डी० एस० पी० अल्मोड़ा गये हैं। वह हाल में पिथौरागढ़ में थे। वह गाली देने में इतने माहिर हैं कि जब भंगियों की हड़ताल हुई तो उन्होंने गली गली जाकर वह गालियां दी कि जिनको मैं यहां कहना नहीं चाहता इस तरह से हमारे बहुत से पुलिस के अफसरान ऐसे भी हैं जो यह समझते हैं कि पुलिस का अफसर अगर गाली देना न सीखा तो वह पुलिस का अफसर नहीं है। वेलफेयर स्टेट में पुलिस ऐसी होनी चाहिये जैसी कि और जगहों पर जहां कि वेलफेयर स्टेटस हैं, जैसी कि विलायत में है। मैं तो कभी विलायत गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है कि वहां की पुलिस वेल बीहेव्ड है, रास्ता पूछिये तो रास्ता बताते हैं लेकिन यहां की पुलिस से रास्ता पूछा जाय तो बदतमीजी की बातें करने लगते हैं। मैं अब बहुत ज्यादा न कह कर केवल यही कहूंगा कि गृह मंत्री जी अपने बयान को बदल दें और कहें कि जो बदमाश हैं उनके साथ सख्ती की जायगी और जो ईमानदार हैं उनको इनाम दिया जायगा। हमें तो उस दिन खुशी होगी जब कि ईमानदार पुलिस वालों को इनाम दिया जायगा।

वहां पर पोलक साहब एक ऐंग्लो इंडियन थे जो रात दिन थाने में हाजिरी देते थे और काम देखते थे। वे देखते थे कि कोई थानेदार गड़बड़ी तो नहीं करता। आज अगर

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अल्मोड़ा में हैं तो दूसरे दिन नैनीताल में पहरा चेक कर रहे हैं। ऐसा अच्छा उनका प्रबंध था, जैसा मैंने सुना है, वहां की जनता के साथ उनका संपर्क अच्छा होने के कारण थानेदार लोग डरते थे लेकिन डी० आई० जी० साहब को यह अच्छा न लगा। गोकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी उनके बारे में जैसा सुना वह कह दिया। हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमने उनके बारे में कह दिया इसलिये उनको डिसमिस कर दिया जाय। हमारे लिये यह एक बड़ी मुसीबत की बात है कि अगर हम किसी की तारीफ भी करें तो उसका नुकसान हो जाय। इतना ही कह कर मेरा माननीय गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वेलफेयर स्टेट में जैसी पुलिस होनी चाहिये वैसी पुलिस यहां भी बनाने की कोशिश करें और उसी तरह से वो जनता की सेवा करें।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—सर्वप्रथम में माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत उठा बैठी के बाद इस सदन के बहुत कीमती टाइम में से, इस बजट सेशन के समय मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की इस मद का सवाल है यह तो हम सब को मालूम है कि यह मद जनता की दृष्टि में बहुत ही अहमियत की मद है। जो भी रुपया हम इस मद में खर्च करते हैं उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि उसका इंतजाम और असर ऐसा होगा जिससे हमारे प्रांत की जनता की जानोमाल की हिफाजत हो सकेगी और शांति होगी, इसी चीज पर हमारे प्रांत की जनता की गति-शीलता निर्भर करती है। सुबह से बैठे बैठे मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने, मैं तो इसके पहले यही समझता था कि जो कुछ मैं कहूंगा वैसी अपनी बात को कहने वाला मैं ही अकेला हूंगा, परन्तु जब मैंने इस सदन की राय देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में मामला कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैं समझता हूं तथा और लोग महसूस कर रहे हैं। बड़ी परेशानी है, मैं तो एक देहात का रहने वाला हूं नया-नया चुन कर यहां आया हूं और ज्यादातर मेरा संपर्क देहात के लोगों से ही रहता है। आजकल जब भी मैं देहातों में जाता हूं तो तरह-तरह की बातें लोग कहा करते हैं। वहां की जनता ने ही हमें यहां चुन कर भेजा है, वे समझते हैं कि सब चीजों के जिम्मेदार एम०एल०ए० हैं और किसी हद तक यह होना भी चाहिये। मैं अक्सर शासन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता परन्तु मुझे पुलिस के बहुत कुछ कटु अनुभव हैं जिनके बारे में मेरे हृदय के अन्दर एक तूफान सा है। मैं आपको क्या बतलाऊं। मैं देखता हूं कि जुर्म होते हैं, लेकिन जब गरीब लोग थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं तो पहिले तो उन्हीं से रुपये का सौदा होता है। और जैसा कि पहले अंग्रेजों के जमाने में मशहूर था कि सोने की क़लम से लिखा जायगा या सादी क़लम से लिखा जायगा, उसी तरीक़े का फार्मूला अब भी वहां चलता है। साथ ही साथ जैसा कि अभी यह रिपोर्ट आप को दी गयी उसके देखने से यह मालूम होता है कि दिन प्रति दिन जुर्म की संख्या कम हो रही है लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से जरा सा इसमें शुब्हा पैदा होता है कि वास्तव में ऐसी बात है या नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद हमारे माननीय मंत्री महोदय चूंकि नये-नये अभी आये हैं, पहले और डिपार्टमेंट देखते थे, एक ही साल का अनुभव है और काम ज्यादा होने की वजह से शायद देहातों में जा नहीं पाये। बात कुछ ऐसी है कि इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि जो आंकड़े यहां बतलाये गये हैं उसमें बहुत कुछ कमी है और संगीन जुर्म जो देहातों में होते हैं, डकैतियां होती हैं, राहजनी आदि होती है तो वहां के थानेदार और मुंशी यह कोशिश करते हैं कि वे लिखे न जायं। डकैती रहती है तो उसको चोरी में लिखने की कोशिश करते हैं। ३९५ को ४५८, ४५८ को ४५७ इस तरह से हिन्दुसों में बराबर तरमीम करने की कोशिश करते हैं और उसी का असर है कि हम लोग नाराज हो कर अपनी नाराजगी माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रकट करते हैं और इसलिये करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि यहां आ कर हम शासन में सुधार करने के बहुत जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ जनता टांग पकड़ कर खींचती है, कान गरम करती है तो एक बारगी दिल में एक तहलका मचता है जिससे मजबूर होकर ये सब तमाम बातें आप के सामने कह देनी पड़ती हैं। श्रीमन्! यह रहा जुर्मों के

छिपाने का सवाल कि किस तरह से पुलिस जुर्मों को छिपाती है। दूसरी बात जो मुझे अनुभव से मालूम हुई है वह यह है कि जब से आजादी आयी है या गांव-गांव में विशेषकर जब से पंचायतें बनी हैं तब से गांवों में पार्टी बन्दियां पैदा हो गयी हैं और हमने यह भी देखा है कि जब वहां पर कोई केस होता है तो पुलिस ज्यादातर पार्टीबन्दी का सहारा ले कर चलती है अगर कोई मामला गांव में उठता है तो वह पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि फलां आदमी का दुश्मन कौन कौन है। हमारे नोटिस में यह आया है कि सही बात चाहे जो कुछ हो, सही मुल्जिम चाहे जो कोई भी हो लेकिन वे इस बात की कोशिश करते हैं कि एक पार्टी का गवाह हो और दूसरी पार्टी का मुलजिम हो। इस तरह से इसका नतीजा यह होता है कि जहां चार्ज शीट भेजते हैं उन मुकदमों में कामयाबी नहीं हो पाती। इस तरह से वे कप्तान की डांट से बच जाते हैं और उनकी कोई शिकायत भी नहीं होती। जो यह अपने अनुभव की बात मैं बतला रहा हूं। वह किसी तरीक़े से किसी मुंशी, किसी सिपाही, या किसी एस० पी० या किसी खास जिम्मेदार आदमी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं। आज का जमाना तो दरख्वास्ती जमाना समझा जाता है। अगर किसी को कुछ शिकायत हुयी तो वह पंत जी से कम की बात ही नहीं करता है, सब जा कर दरख्वास्त दे आते हैं। मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है लेकिन एक बात की जरूर शिकायत है कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हैं वे कम से कम यह तो समझे जाते हैं कि वे जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी की बातें करते हैं, उनकी कुछ क़ीमत और वकत भी है, लेकिन मैंने जो देखा है वह यह भी है कि एक शिकायत किसी के लिलाफ की जाती है तो शिकायत करने वाला और जनता एक तरफ और जिसकी शिकायत होती है उसके नीचे से लेकर ऊपर तक के शासन के आफीसर दूसरी तरफ हो कर उसकी डिफेंस करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है और यह मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है और इस संघर्ष में न्याय नहीं मिल पाता है। मैंने यह भी देखा है कि जिसने शिकायत की उसे यह भी मालूम नहीं हो पाता कि उसकी शिकायत का हुआ। दो तीन महीने बीत जाते हैं। शायद हमारा खयाल है कि जो पुलिस के ऊंचे अफसर हैं उनको तजुर्बा होगा और वह समझते होंगे कि २,३ महीने इस तरह से आदमी को रखने से उसके अन्दर जो यह टेन्डेन्सी होती है वह खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर वह उस चीज को नहीं करता है और भूल जाता है। लेकिन मैं बतलाता हूं कि यह उसी का नतीजा है कि हम लोग माननीय मंत्री जी के सामने आ कर सब बौछार करते हैं। ऐसी तकलीफ़ होने पर ही हम लोग माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहते हैं कि इस सदन के सदस्यों के द्वारा जो पत्र भेजें जायं कम से कम उनका उत्तर तो जरूर मिलना चाहिये कि उस मामले में क्या किया जा रहा है। इससे यह होगा कि हम लोगों को मालूम होता रहेगा कि जो दृष्टिकोण सरकार के सामने पेश किया गया था वह सही है या ग़लत है। मैं यह सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं।

एक बात का हमको और अनुभव है कि आजकल ज्यादातर पुलिस १६०,१७ एक दफा है उसमें पुलिस ज्यादातर लोगों को फांस देती है। गांव-गांव में इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है और अगर उस आदमी को छिपाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस के पास एक और जरिया है और वह यह है कि ३,४ दफा रिपोर्ट लिखाई और फिर ११७ में उस को रख देते हैं और फिर वह मुकदमा अदालत में चला जाता है और वहां पर एम० एल० ए० कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मानहानि का प्रश्न पैदा होता है। ऐसी परिस्थिति में मुश्किल हो जाती है और लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है और उनका रुपया तमाम बरबाद जाता है। अगर किसी पर मुक़दमा चलाया जाय तो मेरी राय यह है कि उसकी जांच अच्छी तरह से कर ली जाय। अगर जुर्म का अन्देशा है तो उनको जरूर उसके अन्दर लिया जाय। ऐसे मामले ही आमूली तौर पर बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि लोग रिश्वत देकर चलवाते हैं तो इसको रोकने की जरूरत है।

इसके साथ ही डाक्टर साहब के सामने मेरी यह भी शिकायत है कि जैसा अभी एक भाई ने कहा कि माडल थाने ऐसे बनाये जायं। यह स्कीम श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में चलायी गयी थी और इसमें यह समझा जाता था कि इससे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इससे करेप्शन कम होगा और इससे जनतांत्रिक प्रणाली सफल बनायेंगे। सभी अच्छे विचारों को लेकर

[श्री राम प्रसाद]

माडल थाने बनाये गये थे और सभी लोगों को उसकी आवश्यकता थी, लेकिन मामला कुछ ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास इसकी जांच के लिये कोई पैमाना नहीं रखा गया है। किस तरीके से क्या बात है और क्या काम वहां पर होता है इसके लिये जानकारी नहीं है। जिस तरीके से दूसरे थानों के अन्दर निगरानी का काम होता है कम से कम 'माडल थानों, में भी वह निगरानी साल में ३,४ बार अगर हुआ करे तो इससे कुछ जांच हो सकती है और हमारी यह प्रणाली सफल हो सकती है। लेकिन इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि एक दरोग़ा साहब थे वह रिश्वत में पकड़े गये क्योंकि उन्होंने १२०० रुपया रिश्वत में लिया था। उनकी बाबत सभी लोगों ने, कप्तान ने, मैजिस्ट्रेट ने इस बात को माना कि इन्होंने रिश्वत ली है। यहां तक कि डी० आई० जी० तक को यह मालूम था कि इन्होंने रिश्वत ली है और यह करप्ट आदमी है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि उनकी पोस्टिंग माडल थाने में कैसे कर दी गयी। उनके ऊपर दफ़ा ७ की कार्यवाही नहीं की गयी और माडल थाने में उनको भेज दिया गया, जब वह माडल थाने में आये तो उनकी हिम्मत और बढ़ गयी। उसने समझा कि मैं बिलकुल बरी हूं और वहां पर उसने और रिश्वत ली। तो इस प्रकार की बातें जब हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है? यह बात दूसरी है यह कि हम लोगों ने जब बहुत हल्ला मचाया तो उनका वहां से ट्रांस्फर किया गया। जब इस प्रकार की बातें हो जाती हैं तो इनको जानकर तकलीफ होती है। माडल थानों में कम से कम कुछ अच्छी बातें होनी चाहिये और अच्छे करेक्टर के लोगों को वहां पर भेजा जाय। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो इन सब हालात को देखे कि माडल थानों में असल रूप में क्या-क्या बात होनी चाहिये और वह समिति ऐसी बातें भी सोचे कि जिनसे तमाम माडल थाने ठीक हो सकें।

मुझे तीसरी बात यह अर्ज करना है कि वैसे बजट बहुत अच्छा है और पुलिस का काम भी अच्छा है और बहुत अहमियत का काम है लेकिन वहां एक तकलीफ़ छोटे अहलकारों को जरूर है। आप अपने यहां के चौकीदार से उम्मीद करते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ आप के शासन को चलाये और ईमानदारी से काम करे, जब वहां एस०पी० जाते हैं, दौरा होता है तरह-तरह के उस पर दबाव पड़ते हैं लेकिन उसकी तनख्वाह केवल ५ रुपया ही होती है। अगर उस को दो तीन फेरे महीने में करना पड़ गये तो ५ रुपये से ज्यादा तो उसकी उन दिनों की मजदूरी ही हो जाती है। यह सब देख कर मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि उनकी तनख्वाह कम से कम १५ रुपया जरूर होना चाहिये ताकि वह ठीक से अपना काम चला सकें।

इसके अलावा आप के यहां के जो सिपाही हैं वह भी बहुत करप्ट है और उनको मजबूरन रिश्वत लेनी पड़ती है यहां तक मैं कह सकता हूं कि उनका काम ५० या ६० रुपये में नहीं चल सकता है। वह रवानगी लिखा देते हैं और नम्बरदार के यहां या कहीं और पड़े रहते हैं और उसके ही सिर खाते हैं, उनके पास इतने साधन भी नहीं हैं कि वह साइकिल रख सकें। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अगर सरकार जुर्म का जल्द पता लगाना चाहती है तो उसको हर थाने पर एक जीपकार रखना चाहिये अगर ऐसा होगा तो जैसे ही पता लगेगा फौरन् मामला पकड़ा जा सकता है और साइकिल या घोड़े से पहुंचने में बहुत देर लग जायगी।

इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने असेम्बली में सवाल भी भेजे थे लेकिन प्रोरोग होने के कारण वह प्रश्न एजेंडे पर नहीं आ सके और मैंने भी उचित समझा कि अब बजट के मौक़े पर ही कहूं। आप का पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके जरिये से आप राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। आप को जाति भेद मिटाने के लिये सब को एक समान करना चाहिये लेकिन अब भी पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है। इस सदन के जितने सदस्य हैं वह सब राष्ट्रीय विचार धारा के हैं और सब मिल कर खाते हैं। अगर हमारे डाक्टर साहब इस ओर ध्यान दें तो यह चीज बड़ी जल्दी चालू हो सकती है और जाति भेद हर प्रकार का मिट सकता है। अगर इस चीज को पुलिस शुरू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? राष्ट्रीय विचार

धारा स्वाभाविक होती है अगर पुलिस ही में कमजोरी होगी तो जनता क्या मानेगी। बार-बार हरिजनों के लिये कहना शायद माननीय सदस्यों को खलेगा और मेरी ज्यादती होगी और मुझे खुद हरिजन अपने को कहना फ़ील होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज में कोई किसी तरह का जाति भेद और अस्पर्शता न रहे। मैं तो कुछ ज्यादा कह रहा हूं उसके लिये माफी चाहता हूं। बहुत से भाई-भाई बोलने के लिये उतावले हैं मैंने जो कुछ कहना था दिल की बात निकाल दी और फिर माननीय मंत्री जी से मिल कर निकालूंगा। उन का जैसा योग्य कर्मठ विद्वान् और योग्य शासक जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उन को भी आप ने मात कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान देंगे। उन्होंने जनता की राय जान ली है उनसे उस पर अमल करने की उम्मीद है और वह जरूर कोशिश करेंगे। आखिर में मैं मंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री बसन्तलाल—(ज़िला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई दूं, माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। मुझे आज इस हाउस के अन्दर जो उनके माननीय नेता द्वारा कार्यवाही हुई उस पर बड़ा ही दुःख हुआ और मैं तो यह समझा था कि शायद उधर अनुशासन का दिवाला ही निकल गया है, लेकिन जब माननीय उपाध्यक्ष जी ने हम कांग्रेस सदस्यों की यह प्रशंसा की कि वह अनुशासन में बंधे हुये हैं तो मुझे कुछ आशा हुई कि शायद अनुशासन की अभी उनमें भी बू है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं साफ नहीं समझा।

श्री बसन्तलाल—साफ समझाने का ज्यादा तो मैं प्रयत्न नहीं कर सकता आप जैसे योग्य सदस्य के लिये, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया वह यह कि अनुशासन के लिये हमारे विरोधी दल के अन्दर जैसी कि कार्यवाही देखी गयी, गुंजायश नहीं थी, लेकिन आप ने जो अनुशासन के लिये कहा उसके ऊपर मैंने यह कहा है।

अब हमारे सामने पुलिस बजट के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा है और सुझाव चल रहे हैं उनसे यह स्पष्ट ही है कि पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार है। उसको हम चाहे अधिक रूप से कहें, चाहे थोड़े रूप में कहें और मैं यह भी मानता हूं कि उससे हमारे मंत्री गण अनभिज्ञ नहीं हैं। किन्तु हमें सोचना यह है कि उस भ्रष्टाचार का निराकरण हो कैसे और इस प्रयत्न की तरफ हम सभी को मिल कर लगना है। मैं तो यही समझता हूं कि हमारी विभागीय कार्यवाही जो होती है उनके अन्दर बहुत बड़ी ढिलाई है और जो कार्य किया जाता है उस को सख्ती के साथ नहीं किया जाता। इस वजह से इस भ्रष्टाचार को पनपने में ज्यादा गुंजायश मिलती है।

जहां तक कान्स्टेबिलों का ताल्लुक़ है तहां तक तो यह बात समझ में आती है कि उनकी तनख्वाह कम है, उनका पेट नहीं भरता, इसलिये वह भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन हमें उसको भी मिटाना पड़ेगा। किन्तु जब इसके ऊपर सबइंसपेक्टर, इंसपेक्टर, डी० एस० पी० और एस० पी० की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनको एक अच्छा वेतन मिलने पर भी किस क़दर भ्रष्टाचार होता है और क़रीब-क़रीब सब मुहकमों से ज्यादा भ्रष्टाचार इसी मुहक़मे में होता है। जब जनता के पास शिकायतें उत्पन्न होती हैं तो हम उसको हायर अथारिटी के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जब उसकी इन्क्वायरी होती है तो इंक्वायरी का वही तरीक़ा है जो अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में देखने में आता था कि थानेदार की शिकायत की गयी पुलिस कप्तान के पास और उन्होंने उस इंक्वायरी को सर्किल इंसपेक्टर के पास भेजा और सर्किल इंसपेक्टर और सबइंसपेक्टर का शेयर बंधा ही होता है, जिस को कि हम सभी जानते हैं। तो उस इंक्वायरी की ठीक जांच होने के बजाय लीपा पोती हो करके भ्रष्टाचार को उलटा प्रोत्साहन दिया जाता

[श्री बसन्तलाल]

है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। यही प्रथा अंग्रेजी जमाने में थी और यही प्रथा आज भी हमारे जन-तंत्र राज्य में चली आ रही है। दूसरी चीज यह है कि यदि उस इंक्वायरी के लिये वहां के जिम्मेदार आदमियों ने अधिक जोर लगाया और वह किसी तरह से हायर अथारिटीज ने मंजूर किया कि अच्छा नहीं इंसपेक्टर भेजा जाय, डी० एस० पी० भेजा जाय या एस० पी० खुद चले आवें तो यह होता है कि अव्वल तो लोगों में इतना साहस नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कोई अपना बयान दे, क्योंकि वह डरते हैं कि इस कार्यवाही का कुछ होगा नहीं और हमारे खिलाफ बवाल बन जायगा, हम कुचल जायंगे और हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखी जायंगी। अगर कोई साहस भी करता है और वह किसी तरह से साबित हो जाता है तो परिणाम यही होता है कि थानेदार लाइन हाजिर होता है। दो चार महीने लाइन हाजिर होता है, उसके बाद जिला भेजा गया और फिर उसकी तरक्की हुई।

इस सदन की सदस्यता प्राप्त होने के पूर्व मैं आप को बताता हूंकि मेरी कांस्टिट्युएंसी में एक थाना है वहां सन् १९५० में एक थानेदार थे। मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। उनके खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायतें आयीं जब कि मैं तहसील कांग्रेस का प्रेसीडेंट था और जांच करने पर मैंने कोशिश की और कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उनके दुर्भाग्य ने जोर खाया और वह रंगे हाथों पकड़े गये। वहां की जनता ने एस० पी० से शिकायत की। वह जांच करने गये और उसमें उनका अपराध साबित हुआ। वह लाइन हाजिर करके बुलाये गये। छः महीने तक करीबकरीब वह वहां रहे। उन्होंने बहुत कोशिशें मेरे पास और मुझसे ऊंचे नेता जो थे उनसे कीं। लेकिन जब विभागीय कार्यवाही उनके विरुद्ध हुई तो मुझे सुनने को मिला कि उनको डिग्रेड कर दिया गया है और जिला गैर भेज दिया गया है। और दो वर्ष तक किसी थाने का चार्ज नहीं पायेंगे सिवा इसके कि अफसर दोयम रहें। लेकिन दो महीने के बाद मुझे बड़े आश्चर्य के साथ सुनने को मिला कि वह गोंडा के कोतवाल बना दिये गये हैं और वह आज भी हैं। मैंने इसके लिये प्रश्न भी किया था लेकिन दुर्भाग्यवश सत्रावसान के कारण उत्तर नहीं मिल सका। फिर मैंने एक प्रश्न को बारबार भेजना उचित नहीं समझा। तो जब सरकारी पक्ष के लोग ऐसी बातें करते हैं तो वह इस बात की द्योतक हैं कि भ्रष्टाचार इस प्रकार समाप्त नहीं होगा बल्कि पनपेगा। इसीलिए सख्ती होनी चाहिए। हमारी सरकार को इसके लिये सख्ती के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों के विरुद्ध वैभागीय कार्यवाही हो उनको जो दंड दिया जाय वह सख्ती के साथ दिया जाय। उस दंड के बाद दंड के समय में इस बात का ध्यान रखा जाय कि अफसरान वाला उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करते।

अब सवाल यह है कि रिपोर्टों के अन्दर उत्तरोत्तर जुर्मों में कमी पायी जाती है। सम्भव है कि ऐसा हो। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसी आवाज सदन में आ रही है इससे यह स्पष्ट है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरे जिले का सम्बन्ध है सम्भव है वहां जुर्मों में कुछ कमी हुई हो क्योंकि बहुत सी पुरानी चोरियों का पता चला है। और चोरियां और डकैतियां कम हो रही हैं। लेकिन जैसे और जिलों के हालात मालूम हो रहे हैं इन आंकड़ों में यह बात जरूर समझ में आती है कि रिपोर्टें सही और समय पर नहीं लिखी जातीं। या तो थानेदार आर्डर दे देता है या मुंशी जेब गरम करता है। देहात में प्रसिद्ध है कि कोई नौकरी न मिले थाने की दीवानगीरी मिल जाय यह सब से बड़ी चीज है। एफ० आई० आर० के सम्बन्ध में सरकार को काफी परिवर्तनशील कदम उठाना पड़ेगा। तब जाकर यह चीज बन्द होगी।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जहां तक इनकी तरक्की का सम्बन्ध है थानेदार या इन्स्पेक्टरों की इसमें ऐसा होना चाहिये कि कैरेक्टर रोल जो लिखे जाते

और अगर नहीं लिखे जाते हैं तो लिखे जाने चाहिए और एक कमेटी हर जिले में बनायी जाय। उस कमेटी के अन्दर जिम्मेदार आदमी आफिशियल और नान आफिशल रखे जायं। इस कमेटी की रिपोर्ट पर तरक्कियां दी जाया करें। वैसे मैंने समाचारपत्र के अन्दर पढ़ा था कि हमारे माननीय पंत जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी है जिसका सुझाव है कि तरक्की सीनियारिटी जूनियारिटी के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट और आचरण के आधार पर दी जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिये खास कमेटी बनायी जाय क्योंकि पुलिस का संबंध प्रदेश के कोने-कोने से है। एक एक आदमी के अन्दर पुलिस का सम्बन्ध व्याप्त है।

आदर्श थानों के सम्बन्ध में हमारे बहुत से भाइयों ने कहा। उन्हीं शब्दों को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। मेरी समझ में आदर्श शब्द का बहुत बड़ा मूल्य है। उसे भ्रष्ट और बदनाम किया जाता है। या तो आदर्श शब्द बिल्कुल मिटा दिया जाय या अगर रखा जाता है तो आदर्श थाना जिले के अन्दर अधिक से अधिक एक हो। उसके अन्दर कुछ विशेषता रखी जाय, जो आदर्श थाने में थानेदार हो उसके वेतन में भी कुछ अन्तर होना चाहिए। जिस थानेदार की तरक्की हो वह आदर्श थाने में रखा जाय। ताकि उनका कुछ रुझान यह हो कि हमारी उन्नति होगी अगर हम अच्छा काम करेंगे और भ्रष्टाचार हमारे यहां नहीं रहेगा, तभी हमारी तरक्की होगी और इस प्रकार जो आदर्श थाना रखा गया है यह चीज जो है वह आदर्श शब्द को बदनाम करने के लिये अच्छी नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा बयान अपने जिले के सम्बन्ध में देना चाहूंगा जिसका पारसाल बजट के सम्बन्ध में भी जिक्र किया था लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां एक थाना है बखरपुर उसकी इमारत ऐसी है कि पशुओं के कांजीहौज से भी बदतर है। न कोई जगह है, तमाम पानी चूता है। बरसात में बिच्छू और गोजर तमाम निकलते हैं जिनसे न थाने वालों को बैठने की जगह है और न और किसी के लिये। देखने से यह मालूम ही नहीं होता कि यह थाना है। पशुओं के कांजीहौज से भी खराब मालूम होता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस थाने की तरफ सरकार का ध्यान जायगा और माननीय गृह मंत्री जी उसके बनवाने की तरफ ध्यान देंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री उपाध्याय जी और अपने मित्र राणा साहब के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। उपाध्याय जी ने कहा कि जो जिसकी खूबी हो, जो जिसकी तारीफ हो, वह भी हमें अवश्य कह देना चाहिए किन्तु जब मैंने उनके इस कथन को सत्य की कसौटी पर कसा तो देखा यह कि वह अपनी आंख के नीचे की चीज ही ओझल कर गये। जहां उन्होंने अपने तरीके से इस राज्य की पुलिस की तारीफ की वहां पर वह एक मिनट इस बात के लिये न दे सके कि वह यह कहते कि जो चोरी उनके दल के प्रमुख नेता, राजाराम जी शास्त्री या नारायण दत्त जी के कमरे में हुई उसका पता कुछ दिन के अन्दर ही लखनऊ की पुलिस ने लगा लिया और सारा का सारा गैंग जो था चोरों का वह पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद दारुलशफा में चोरियां बन्द हुईं। जब यह चीज अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी ने नहीं कही तब मुझे कुछ शंका होने लगी कि उनकी सारी तारीफ में शायद यह हिस्सा कहने की जरूरत नहीं समझी गई थी। अलावा इसके हमारे दूसरे साथी जो संयुक्त दल के सदस्य हैं उन्होंने यह फरमाया कि आज भय और बड़ी चोरियां और डकैतियां फैली हुई हैं। मैंने

[श्री रामनरेश शुक्ल]

सोचा कि शायद पड़ोस का असर उनके ऊपर भी पड़ गया। उनके पड़ोसी, माननीय नेता विरोधी दल के मस्तिष्क में काफी भय का वातावरण जब से यह सदन इस वर्ष बैठ रहा है। तो उसका मैंने सन्तुलन करना शुरू किया अपने जिले से और यह सोचने लगा कि आखिर यह टेहरी और गढ़वाल का हिस्सा क्या इस प्रान्त के बाहर है। सही बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि लड़ाई खत्म होने के बाद और राज्य परिवर्तन के बाद जिसने भी अपराधों के इतिहास को पढ़ा है, संसार में अपराधों की वृद्धि हुई है और इस तथ्य पर जब हम अपने देशों को संसार के और देशों से मिलाते हुए देखते हैं तो यहां भी प्रारम्भ में लड़ाई खत्म होने के बाद, द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था और अंग्रेज यहां से हटाये गये थे, अपराधों की वृद्धि हुई और यह सच है कि उस समय में गांवों के अन्दर सोना मुश्किल था, निकलना मुश्किल था और रहना मुश्किल था। लेकिन आज जब मैं अपने ही जिले को देखता हूं और मुकाबिला करता हूं पिछले दिनों से, अगर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलिये, जमीन आसमान का अन्तर है। हमारे यहां सब के सब आठ गैंग पकड़ लिये गये और सब इस वक्त दाखिल हैं हमारे जिले की जेल में। मुझे एक शिकायत जरूर है जेल वालों से और वह यह है कि एक आध बहुत शातिर बदमाश हमारे जिले की जेल से भाग गये। इस तरह से मुकाबिला किया जाय तो हम यह पाते हैं कि हर वर्ष में इस देश में अपराधों की कमी हुई है। अब इस बात को देखा जाय कि रिपोर्ट अव्वल के लिखाने की बड़ी शिकायतें की गयी हैं। मैं अभी एक कल की घटना बता रहा हूं। मैं कल एक क्षेत्र के दौरे पर था.....

एक सदस्य— आपके यहां आदर्श जिला है।

श्री रामनरेश शुक्ल— जी हां, आप भी तशरीफ लाइये और वहां बसिये। वहां पर एक जगह शादी के लिये बरात आई हुई थी। उसी एक लड़की से दो दल शादी करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि मारपीट हो गयी और एक दल ने शादी कर ली। दूसरे दल ने आकर के यह रिपोर्ट पुलिस में लिखाना चाही कि उनके ऊपर डाका पड़ गया। वे मुझसे मिले और सब कहने लगे। मैंने पूरी घटना पूछी और फिर मैंने कहा कि जो सच बात हुई है उसे ही क्यों नहीं लिखाते हो कि लड़ाई झगड़ा हुआ, बलवा हुआ, और और दफायें भी उसमें आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज जनता की मनोवृत्ति है बढ़ा करके रिपोर्ट लिखाने की। कोई भी घटना हो, चाहे एक बांस ही छीना जाय, लेकिन उसके लिये डकैती के लिखाने की सलाह गांव के होशियार और शातिर लोग दे दिया करते हैं। इसलिये जहां रिपोर्टों के लिखाने की दिक्कतें हैं वहां अधिकारियों को भी कुछ परेशानियां हैं कि इस तरह का जो दिमाग़ हो गया है उसे भी कुछ ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी।

मुझे एक बात और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहनी है। माननीय उपाध्याय जी को बड़ा एक अजीब सा सीन बाहर आज दिखाई पड़ा। उनके मस्तिष्क के असर को जब मैं अपने दिमाग़ के असर से तौलता हूं, तो उस पर भी कुछ कहना मुनासिब है। किसी राज्य के लिये कर्तव्यपरायण जनता, देशभक्त फौज और सुसंघटित पुलिस की आवश्यकता होती है। यही तीनों मिल कर राष्ट्र की शक्ति हुआ करती हैं। तो माननीय उपाध्याय जी को एक सुसंगठित पुलिस को देखकर परेशान नहीं होना चाहिये। उन्हें यह मतभेद हो सकता है कि वह कहां किस विषय में इस्तेमाल की जाय, लेकिन इस बात के लिये क्यों शिकायत थी कि एक सुसंगठित पुलिस अपना खेमा डाले हुये पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं, उन्होंने हमारे दल की तरफ उंगली उठाई थी। क्या यह सच नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनसे पूछ सकता हूं कि आज जब बदमाशों का चालान होता

है, तो मुझे माफ करेंगे, सही बात है, कहना लाजिमी है, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य उनकी पैरवी करते हैं ताकि वे छूट जायं; मेरे पास सबूत हैं और अपने जिले के हैं। आप के यहां न हों वह दूसरी बात है। उनको यह आशा रहती है कि यदि ये छूट जायंगे तो उनकी पार्टी में आ जायंगे। आज इनकी पार्टी में जाने के दो ही साधन हैं। एक तो उन्हें होली के दिन खुशी होती है जब बहुत सी टोपियां लाल हो जाती हैं, लेकिन वह हालत रोज रहती नहीं, एक दिन टोपियां लाल हो जाती हैं लेकिन दूसरे दिन फिर बदल जाती हैं। दूसरी आशा यह रहती है कि चलो पैरवी करो, एक तो अड्डा हो जायगा, और यदि अड्डा नहीं होगा तो यह हमारी पार्टी का मेम्बर हो जायगा और दो-चार इसके रिश्तेदार आ जायंगे...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह राजनैतिक बहस न शुरू हो।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, आपकी आज्ञा के अनुसार। तो आज यह स्थिति है, लेकिन असली चीज जो है वह हमें पुलिस का संगठन देखना है। यह सही है कि इसको अभी और रिआर्गेनाइज करना है। मैं इस पर भी सहमत हूं कि शायद पैसे की कमी के कारण ही यह सरकार ऐसा नहीं करती है। हर थाने पर वायरलेस होना चाहिये, गाड़ियां होनी चाहिये। क्योंकि जितनी ही एफीसेन्सी बढ़ती है उतनी ही दूसरे तरीके जो बदमाशों के होते हैं बदमाशी करने के निकाला करते हैं। आज इस दुनिया में जो होड़ लगी हुई है बदमाशी रोकने वालों की और बदमाशी करने वालों की, एक रास्ता निकाला जाता है बदमाश को पकड़ने और बदमाशी को रोकने का तो फिर बदमाश दूसरे तरीके से दूसरा रास्ता निकालता है बदमाशी करने का। हम में से हर एक सदस्य परिचित हैं कि नये नये तरीकों से डकैतियां होती हैं। उस तरीके को अगर पकड़ा गया तो फिर दूसरा तरीका निकालते हैं। तो इसलिये इस एफीसेंसी को बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है कि पुलिस का पुनर्संगठन हो। मैं इस बात से सहमत हूं अपने मित्र से जब वह कहते हैं कि यदि कोई आदमी इस मुहकमे में पकड़ा गया रिश्वत लेता हुआ और यदि यह शुबहा भी हुआ तो फिर लैन हाजिर करना कौन सी सजा है, मेरी समझ में नहीं आती। तनख्वाह तो वह मिलती ही है, लाइन में सिर्फ हाजिर होना तो कोई सजा नहीं है? जरूरत इस बात की होती है कि थोड़ा सा भी शुबहा होने के बाद अगर आफिसर इस बात से संतुष्ट हो जायं तो फिर उसे सीधे उसकी बरख्वास्तगी होनी चाहिये। सजाएं जहां इस तरीके से भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए होती हैं उसमें सख्ती होनी चाहिये लेकिन लैन हाजिर होना या गैर जिला तब्दील हो जाना यह कोई सजा नहीं है। प्रतापगढ़, रायबरेली में बदमाशी करने वाला, पीलीभीत, अलीगढ़ या अल्मोड़ा भेज दिया गया तो यह कोई सजा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस मुहकमे में नर्मी का कदम बन्द कर दें, सख्ती के क़दम की जरूरत है। देश का भ्रष्टाचार बिला सख्ती के क़दम के बन्द नहीं हो सकता है। इसलिये उनको लैन हाजिर करना या गैर जिला तबादला कर देना मुनासिब रास्ता नहीं है, बल्कि सही दंड है नौकरी से अलग कर देना और अगर हो सके तो जेल भेज देना और मुकदमा चलाना। आपके द्वारा मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आजकल इस मुहकमे में सम्भवतः यह मनोवृत्ति है कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोग इसमें भर्ती किये जायं, इससे कठिनाई पैदा हो रही है। अगर ग्रेजुएट्स और डबल ग्रेजुएट्स थानेदार की जगहों पर पहुंचते हैं। तो उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। इसीलिये मुश्किल हो जाता है उन्हें अपने को संभालने में। इसलिये हरएक ओहदे के लिये शिक्षा की एक सीमा होनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि कोई भी थानेदार इन्टरमीजियट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। ग्रेजुएट पहुंच जाते हैं तो एक तो यह होता है कि

[श्री रामनरेश शुक्ल]

वह आरामतलब होते हैं और मशक्कत नहीं कर पाते हैं। दूसरी यह दिक्कत होती है कि उनका फैशन और जिन्दगी का रहन-सहन बड़ा ऊंचा होता है।

अगर शिक्षा की योग्यता रख दी जाय तो वह ज्यादा से ज्यादा इन्टरमीडियेट हो। थानेदारों के लिये, तो वह काफी है इस काम को चलाने के लिये। इसके अलावा मुझे एक प्रार्थना और करनी है कि हम में से हर एक को परिस्थिति के अनुसार उदारता से प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सोचना है कि जितनी बरखास्तगी इस मुहकमे में हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई। लेकिन फिर भी आज यह शिकायत सुनने को मिल रही है। तथ्य क्या है? आखिर ये लोग हमारे और आपके घरों से निकले हुये बच्चे हैं। कहीं इसकी बुनियाद जरूर बिगड़ी हुई है और वह समाज पर जा कर टिकती है। समाज एक दिन में परिवर्तित नहीं होता। यह संभव हो सकता है कि गृह मंत्री जी इस मुहकमें में और अधिक बरखास्तिगियां कर दें या कुछ ओहदों को तोड़ दें लेकिन मेरी समझ में उनके लिये यह संभव नहीं है कि समाज के नैतिक स्तर को एक दिन में ऊंचा कर दें। इसलिये उसमें उदारत के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस में है। मुझे तकलीफ हुई यह सुनकर। मुझे यह अन्दाजा होता है कि लोगों ने पुलिस के मुहकमे को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की। एकाध मुहकमें हैं, जो पुलिस के मुहकमें को हरा सकते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० है।

इसके बाद संगठन की दृष्टि से में यह भी कहूंगा कि तबादले आप बड़ी जल्दी-जल्दी कर दिया करते हैं। १०–१२ वर्ष से और जन्म से हम लोग अपने जिलों में हैं। तब भी हर गांव को और हर आदमी को नहीं समझ पाते हैं। में अपने क्षेत्र में दिन-रात दौरा करने पर भी नहीं जान पाता हूं कि कौन आदमी कैसा है या कौन गांव ठीक कहां है। तो पुलिस वालों से यह आशा करना कि वे हर आदमी को ६ या ८ महीने में समझ लें और हर जगह दौड़ जाया करें, मेरी समझ से बाहर है। मेरी राय में बड़े अफसरों को ६ या ८ वर्ष से पहले तबादला नहीं करना चाहिये और यह भी है कि यदि किसी के विरुद्ध कोई ठीक शिकायत मिले तो उसे बरखास्त करना चाहिये। तबादला कोई सजा नहीं है। आप एक कप्तान से कहिये यहां ५ या ७ साल के लिये भेजा जा रहा है, आप यहां का अध्ययन कीजिये और अच्छा प्रबन्ध कीजिये। अगर इसमें कोई कमी होगी तो फिर आपकी खैर नहीं और आपकी नौकरी की खैर नहीं। लेकिन अगर आप ५ या ६ महीने बाद तबादला करते रहेंगे तो कोई आदमी फरिश्ता नहीं है कि वह अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से अन्जाम दे सके। यही कारण है आज यहां पुलिस की शिकायत सुनने को मिल रही है। यदि यह जल्दी तबादले का रोग हटा दिया जाय तो अगले वर्ष में समझता हूं कि माननीय सदस्य ज्यादा अच्छी पुलिस पावेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)——अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं बजट पर कुछ कहूं मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि धन्यवाद देने की प्रथा नहीं है। इसलिये यह धन्यवाद बेकार है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह——साल भर से इस सदन में बैठा-बैठा इस इंतजार में था कि मुझे भी कभी बोलने का अवसर अवश्य मिलेगा और बोलने का खास मौका यही था क्योंकि मैं भी चाहता था कि अखबारों में नाम मेरा भी आवे और मेरे क्षेत्र की जनता यह समझे कि मैं यहां आकर अपनी कुछ ड्यूटी करता हूं। पुलिस बजट के बारे में बहुत से भाइयों ने बहुत तरह की बातें कहीं लेकिन किसी ने कांस्ट्रक्टिवली से बजट को नहीं देखा। हर आदमी ने क्रिटिसाइज किया और पुलिस डिपार्टमेंट का क्रिटिसिज्म किया और पुलिस डिपार्टमेंट का

क्रिटिसिज्म एक तरह से इन्डाइरेक्ट क्रिटिसिज्म बजट का है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह खामियां क्या हैं। ब्रिटिश राज्य एक लीगेसी, एक देन दे गया है अब उस देन को जल्दी से दूर करने में हमारे गृह मंत्री कामयाब नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं और जहां तक उनसे होगा वह हमसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के खिलाफ किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। हर इन्सान को मौका देना चाहिये कोई जादू का मंत्र तो नहीं है कि उससे छूकर दिया और रोग दूर हो गया। यह बहुत पुराना रोग है और इसकी एक दवा गृह मंत्री जी ने गोरखपुर में बतलायी थी। वह मंत्री की हैसियत से वहां गये थे और वहां के कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को आपने बुलाया और लोगों ने जब वहां पर इस किस्म की शिकायतें कीं तो उन्होंने कहा कि इनीशियल मिस्टेक जिसको कहते हैं वह हमने उस वक्त की जब हमें हुकूमत मिली थी। चाहिये तो यह था कि जो लोग ब्रिटिश राज्य के जमाने में थे हम उन सब को निकाल देते और नये ढंग से राज्यशासन करते तो ज्यादा अच्छा हुआ होता। हम उसी रास्ते पर चल दिये जिस पर अंग्रेजी राज्य चलता था, इसलिये अब उसको दूर करने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने ठीक ही कहा था समय जरूर लगेगा। जो लोग ब्रिटिश राज्य से रिश्वतों में पले हुये हैं उनकी आदत नहीं छूटेगी। न्यू ब्लड जिसको कहते हैं वह आवे तो मुमकिन है कि कुछ कामयाबी हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप कल भी बोल लें। दो दिन आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप इस वक्त खत्म करें और यह बहस अब कल जारी रहेगी।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

शनिवार, ७ मार्च, १९५३ को सदन की बैठक करने के संबंध में संकल्प

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं:—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक शनिवार को नहीं हुआ करती। तथापि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक के जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त विधेयक में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने तथा उन संशोधनों सहित उपरोक्त विधेयक को पारित करने के लिये सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार ७ मार्च, १९५३ ई० को भी होगी।"

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय सभा सचिव महोदय ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मुझे एक आपत्ति है। वह यह है कि नियमों के अनुसार जब बजट पर वाद-विवाद चल रहा हो और जब वोटिंग आफ डिमांड्स फार ग्रांट्स के बारे में चल रहा हो तो कोई भी इस प्रकार की बहस होना नियमानुकूल नहीं है। हम भी जानते हैं कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक या चकबन्दी का विधेयक

* यहां पर छापा नहीं गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के जल्दी पास होने का प्रश्न है और उनके साथ हम भी हैं। लेकिन जहां तक नियमों का प्रश्न है वहां तक मैंने यह देखा है कि जिन दिनों बजट पर या वोटिंग आफ डिमांड्स पर कार्यवाही चल रही हो तो उन दिनों इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—कौन सा नियम है? आप बतलायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—पहले भी माननीय नेता सदन ने दो प्रस्ताव रखे थे उस दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केवल दो ही शनिवार को यह चीज होगी, इसके बाद नहीं। अगर वह अपने फैसले पर पुनः विचार करें तो ठीक होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय .....

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, गुजारिश यह है कि यह बात रूल में है या नहीं लेकिन कन्वेन्शन के तौर पर सही है कि जब बजट का डिस्कशन हो तो उस वक्त और कोई चीज नहीं आनी चाहिये। लेकिन जिस दिन के लिये यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उस रोज कोई डिस्कशन बजट का नहीं है और यह वह रोज है जब कि असेम्बली बैठती नहीं है। इसीलिये यह रिजोल्यूशन लाया गया है कि यह काम बहुत जरूरी है और ऐसे रोज जिस रोज कि असेम्बली की बैठक न हो और उस रोज बजट का भी कोई काम नहीं है, लिहाजा इसके ले लिये जाने में मेरे नजदीक न कोई कायदे की खिलाफवर्जी है और न कोई बुकर्रा तरीके की खिलाफवर्जी ही है। इसके अलावा उन्होंने इकरार किया है कि इसका जल्द से जल्द पास होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि एतराज का लिहाज न करते हुए रिजोल्यूशन को पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने उठाई है उसमें आपने नियम नहीं बतलाया कि किस नियम के अनुसार जिस वक्त वोटिंग आफ डिमांड्स के दिन हों तो उनकी बीच में किसी अन्य दिन भी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है लेकिन मैं आपके सामने नियम रखे देता हूं। वोटिंग आफ डिमांड्स में नियम १५३ में दिया हुआ है कि :

"153. Voting of Demands (1) The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

[१५३..... मांगों पर मतदान (१) अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत लिये जायेंगे जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श करके बंटन करें।]

यानी दिनों का अलौटमेंट उसके लिये होता है और प्रस्ताव में जो तारीख दी गई है, जब कि यह विधेयक लिया जायगा वह दिन अलौटमेंट में नहीं आता है, इसलिये उस दिन विधेयक लिया जा सकता है। सदन को यह भी अधिकार है कि जो दिन अलौटमेंट का हो गया है उसमें भी और काम हो सकता है यदि अध्यक्ष अनुमति दें इसके लिये नियम १५३(३) दिया गया है :—

"Except the asking and answering of questions, no other business shall be taken up without the consent of the Speaker, during the usual hours of the sitting of House, on a day allotted under sub-rule (1) for the Voting of demands for grants."

[उपनियम (१) के अन्तर्गत अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान के निमित्त किसी बंटित दिन में सदन के उपवेशन के साधारण कार्य-समय में प्रश्न पूछने तथा उनके उत्तर देने के अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा।]

यूजुअल आवर्स में अध्यक्ष की इजाजत के बगैर और कोई मामला नहीं लिया जा सकता है। मुझसे इजाजत मांगने पर मैंने कहा कि यूजुअल आवर्स दिन का साधारण कार्य, काम के समय के पश्चात् ५ बजे अन्य कार्य लिया जा सकता है, अनुदानों के वोटिंग के काम से पेश्तर। इसलिये संकल्प पर विचार बाद में खास-तौर से रक्खा गया। चूंकि आज बजट की डिमांड्स थीं इसलिये यूजुअल आवर्स में न रख कर बाद में रक्खा गया लेकिन शनिवार बजट की डिमांड पर वोट करने के दिनों में नहीं है, इसलिये यह आपत्ति वैधानिक नहीं है, मैं इसे आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इसमें ७ दिन का नोटिस नहीं दिया गया। इसलिये इस पर आज विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—मेरी अनुमति से यह लिया गया है। मुझे इसका अधिकार है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—जैसा माननीय नेता सदन ने बताया था आरम्भ में यह तय हुआ था। बजट सेशन के बारे में तारीखों को निश्चय किया गया उस समय केवल दो शनिवारों के लिये कहा गया था कि वे काम में लाये जायं। १५ मार्च को बहराइच में इलेक्शन हो रहा है और यह ७ तारीख का शनिवार ही हम लोगों को मिलता है जब कि हम थोड़े से लोग जा कर वहां कुछ काम कर सकते हैं। इसलिये मैं न्यायसंगत यही समझता हूं कि ७ तारीख को यह न रक्खा जाय। मंत्रीगण तो वहां जा कर दिनरात काम कर रहे हैं और शनिवार का दिन जो हमको अवकाश का दिन मिल रहा था उसे तोड़ कर दूसरे काम में लिया जा रहा है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि आप अनुमति देने में जरा हिचकिचाहट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मेरे अनुमति देने का अब प्रश्न नहीं है। यह सदन के सामने उपस्थित हो चुका है। आप विरोध प्रकट कर सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार श्री मलखान सिंह जी ने भवन के सामने अभी रक्खे हैं उन्हें मैं दोहराना चाहता हूं। बहराइच का जो चुनाव है वह १५ तारीख को होने वाला है। दूसरा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा जिसमें हम बहराइच जा सकें और अपने उम्मीदवार के लिये कुछ काम कर सकें। यहां पर हम लोगों को बजट पर काफी अध्ययन करना पड़ता है, हम लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। मंत्रीगण तो बहराइच के अन्दर बैठे हुए हैं, उनको यहां कोई ग्रांट्स नहीं है। हम चन्द आदमियों को कोई दूसरा मौका वहां जाने का नहीं मिलेगा अगर ७ तारीख आपने इसके लिये रख ली। पंजाब में पेप्सु में तो राड़ेवाला साहब ने स्तीफा भी दे दिया लेकिन हमारे मंत्री जी हुकूमत में टिके बैठे हैं और सारी हुकूमत के बाकी मंत्री वहां हैं। हम लोग बहुत कम संख्या में हैं। ७ तारीख इस काम के लिये रख देने से हम बहराइच भी न जा सकेंगे और सदन भी नहीं छोड़ सकते। हाउस में न आयें यह भी बुरा है और बहराइच न जायं यह भी बुरा है। इसलिये गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि ७ और १५ तारीख को छोड़ कर बाकी दूसरे किसी दिन के लिये वह अपना प्रस्ताव रख लें और इस वक्त वह इसे वापस ले लें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—तो मैं यह अर्ज करूंगा जैसा कि वह फरमाते हैं कि किसी और तारीख को फिर यह रिजोल्यूशन ले लिया जाय और इस वक्त इसको रोक दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
४ मार्च, १९५३ ई०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १ व २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

तालिका-चम्पावत व पिथौरागढ़ तहसीलों के अस्पताल

पिथौरागढ़ तहसील

(अ) एलोपैथिक—

(१) सरकारी अस्पताल:—

जनाना अस्पताल (Womens wing) पिथौरागढ़।

(२) स्थानीय बोर्ड के अस्पताल :—

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	पिथौरागढ़ से दूरी
(१) असकोट	इमदादी (Subsidized)	२६ मील
(२) बेरीनाथ	,, ,,	२९ मील
(३) गंगोलीहाट	,, ,,	१७ मील
(४) पिथौरागढ़	गैरइमदादी (non-subsidized)	..

(ब) आयुर्वेदिक— ..

(१) सरकारी औषधालय :—

नाम	पिथौरागढ़ से दूरी
बड्डा	५ मील
कनाली छिना	१३ मील

(२) स्थानीय बोर्ड के औषधालय :—

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	पिथौरागढ़ से दूरी
मुन्डयारी	गैर इमदादी (non-subsidised)	५० मील

चम्पावत तहसील

(अ) ऐलोपैथिक—

(१) सरकारी अस्पताल:—कोई नहीं।

(२) स्थानीय बोर्ड के अस्पताल :—

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	चम्पावत से दूरी
(१) देवीधुरा	इमदादी	२१ मील
(२) पुल हिन्डोला	,,	८ मील
(३) लोहाघाट	गैर इमदादी (non-subsidised)	६ मील

(ब) आयुर्वेदिक —

(१) सरकारी अस्पताल—कोई नहीं।

(२) स्थानीय बोर्ड के औषधालय चम्पावत (गैर इमदादी)

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७८ एच० ए०—१९५३—८५०